



बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेण्डर बजट Gender Budget

2026-27



वित्त विभाग, बिहार सरकार



GENDER BUDGET

2026—27

Government of Bihar
Department of Finance

CONTENTS

(विषय सूची)

1	Preface	1
	प्राक्कथन	54
2	Overview : Gender Budgeting	2
	जेंडर बजटिंग : अवलोकन	55
3	Gender Budgeting in Bihar	4
	बिहार में जेंडर बजटिंग निर्माण	57
4	Efforts for Women Development	9
	महिला विकास के प्रयास	63
5	Important Schemes for Women and Girls in Bihar	14
	महिलाओं और लड़कियों के लिए चलने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं	69

LIST OF TABLES

(तालिका सूची)

Table 1	Classification of Gender Budget	5
	जेंडर बजट का वर्गीकरण	58
Table 2	Comparative Indicators of Male and Female	7
	पुरुषों और महिलाओं के लिए तुलनात्मक सूचक	60
Table 3	Comparative Indicator of status of women in Bihar	7
	बिहार में महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक सूचक	61
Table 4	Gender Budget : Expenditure for Women	8
	जेंडर बजट : महिलाओं के लिए व्यय	61
Table 5	Department-wise Statement	41
	विभागवार विवरणी	99
Table 6	Departmentwise Gender Budget F.Y 2026-27	43
	वर्ष 2026-27 के जेंडर बजट के अंतर्गत विभागवार प्रावधानित राशि	101
Table 7	Establishment and Committed Expenditure	45
	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	103
Table 8	Scheme (State Scheme/Central Scheme)	47
	स्कीम (राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम)	105
Table 9	Class-A- 100% for Women	49
	श्रेणी-ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत	107
Table 10	Class-B- 30% for Women	51
	श्रेणी-बी – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम	108

LIST OF FIGURES

(चित्र सूची)

Figure 1	Holistic View of Gender Budgeting	3
चित्र-1	जेडर बजट : समग्र दृष्टिकोण	56
Figures 2	Gender Equality through Gender Budgeting	4
चित्र-2	जेडर बजट निर्माण के जरिए लैंगिक समानता	57
Figure 3	Progress of Gender Budgeting in Bihar	5
चित्र-3	बिहार में जेडर बजट की प्रगति	58
Figure 4	Types of Schemes in Gender Budget	6
चित्र-4	जेडर बजट में योजनाओं के प्रकार	59
Figure 5	Comparative Indicators for India and Bihar	6
चित्र-5	भारत और बिहार के लिए तुलनात्मक सूचक	60
Figure 6	Share of Women in the Total Budget of Bihar	8
चित्र-6	राज्य बजट में महिलाओं का हिस्सा	62
अनुसूची	विभागवार विवरणी	110

Preface

Gender budgeting is an effective fiscal tool that integrates gender concerns into planning and budgetary processes to promote gender equality and the empowerment of women. It assesses the gender-specific impact of women-focused schemes as well as broader government programmes. By aligning policy commitments with budgetary allocations, it helps reduce gender disparities and ensures equitable use of public resources. The Government of Bihar remains committed to inclusive and sustainable development, and gender budgeting supports mainstreaming gender within fiscal policy to achieve equitable development outcomes for women and girls.

Human development in Bihar is closely linked to the empowerment of 498.21 lakh women and girls (Census 2011), who constitute nearly half of the State's population and represent a powerful force for progress. Their growing participation in education, health, and economic activities highlights the importance of sustained investment in both direct and indirect welfare measures. Unlocking this potential is central to achieving inclusive growth and aligns with Goal 5 of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), which emphasises gender equality and women's empowerment. Reflecting this vision, the Government of Bihar has institutionalised gender budgeting since 2008–09, embedding gender priorities into fiscal planning and resource allocation. This proactive approach ensures women are mainstreamed into development processes as equal partners, accelerating Bihar's journey toward sustainable and equitable progress.

The Gender Budget of Bihar is a focused initiative for the holistic development of women and girls, integrating a gender perspective at all stages of state-level policy making. Over the past nineteen years, the State Government has introduced financial reforms and targeted programmes to advance gender equality, placing Bihar among the pioneer states in gender budgeting. The core objective is to ensure that public expenditure creates tangible benefits for women and girls. This approach is further reinforced through *Saat Nischay*–3. The Government's commitment is reflected in the *Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana*, under which women receive Rs.10,000 as initial assistance along with additional financial support of up to Rs.2 lakh to expand their enterprises, thereby encouraging entrepreneurship, self-reliance, and inclusive growth.

Accordingly, the Gender Budget enables all departments to review and align their plans and budgetary provisions through a gender lens. A landmark reform was the introduction of 50 percent reservation for women in Panchayati Raj Institutions in 2006 and in Urban Local Bodies in 2007, ensuring their effective participation in local governance. Several flagship initiatives of the State Government, such as Jeevika and Shashakt Mahila–Saksham Mahila, includes 35 percent reservation for women in government employment, including teachers, and 33 percent reservation for girls in engineering colleges. It is expected that this document will serve as a key for reviewing and strengthening all programmes and policies related to women.

Overview: Gender Budgeting

Gender Budget is a vital instrument for integrating gender priorities into government policies and programmes. It translates commitments on equality into budgetary provisions, ensuring resources address women's needs. By bridging gaps between men and women, it empowers women and girls socially and economically. As a fiscal tool, it strengthens inclusive governance, reduces disparities, and promotes equitable development outcomes, making gender equality central to Bihar's growth and progress.

Gender Budgeting is not a distinct budget. It involves separating gender-oriented programmes from the overall budget and presenting gender commitments in a budgetary form. The objective of the process is to examine various programmes through a gender lens to address the specific requirements of women. Thus, gender budget refers to the financial allocation for specific programmes to be implemented for gender equality and women's empowerment. Through this entire process, the government provides opportunities for the social and economic development of women. To provide women a fair share in relation to their rights, efforts are made to make other departments and sectors women-sensitive as well for gender budgeting, rather than limiting them to the traditional departments of the government, such as education, health, social welfare, labour resources, etc.

Objective of Gender Budgeting

1. Segmentation of main budget to find out gender-based outcomes,
2. Converting gender commitment into budgetary commitment,
3. To assess what share of its budget the government allocates to meet the specific needs of women in the areas of health, education, welfare, etc.,
4. To bring women into the mainstream through smooth and positive budgetary management.

Background of Gender Budgeting

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is an international treaty adopted by the United Nations General Assembly in 1979 to promote gender equality. It is also known as the 'International Bill of Rights of Women', which came into force in 1981. Additionally, the United Nations organized four World Conferences on Women in Mexico City in 1975, in Copenhagen in 1980, in Nairobi in 1985 and in Beijing in 1995. The World Conference in Beijing in 1995 proved to be an important turning point for the global agenda of gender equality. The document of the Beijing Conference and Platform for Action is considered to be the main document of women empowerment and gender equality. The concept is considered as an innovative fiscal tool towards gender equality. So far, more than 80 countries have adopted gender budgeting. Australia was the first country in the world to initiate gender-responsive budgeting in 1984. Later, Canada started in 1993 and

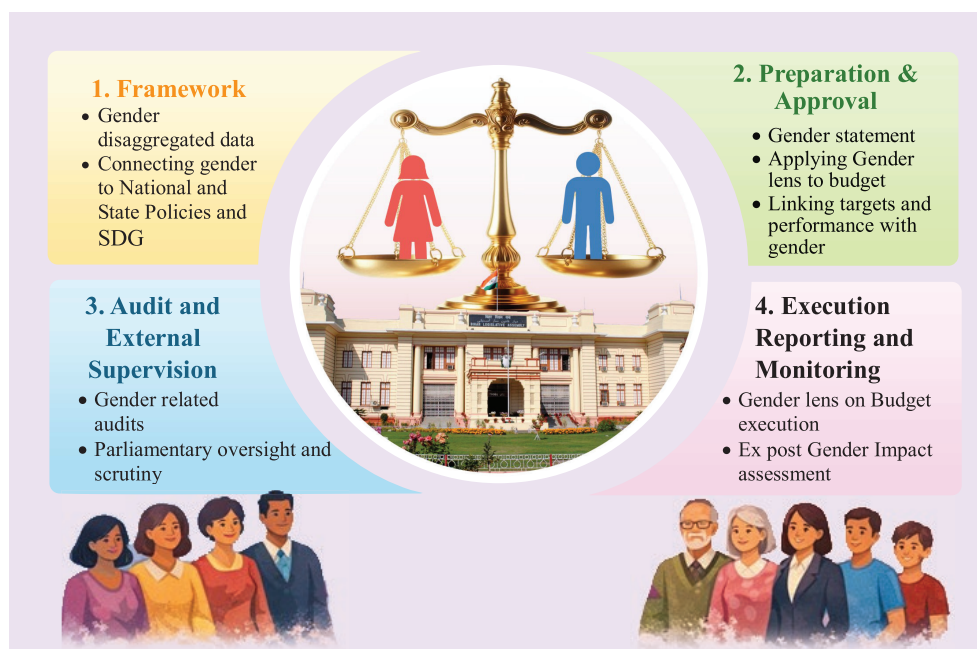
South Africa and the Philippines followed in 1995. Subsequently, many countries have taken this initiative at the national and sub-national levels of the government.

For the first time, the empowerment of women was included as a goal in the Eighth Five-Year Plan to improve the status of women in India. This was taken forward in the Ninth Plan with the Women Component Plan and it was made mandatory for identified ministries to report the flow of funds for women's programmes. Later, the Twelfth Plan identified key indicators of gender equality to be addressed in the planning process through economic, social and cultural empowerment. India made the Gender Budget a part of the Union Budget for the first time in 2005-06. Subsequently, 16 states and 2 union territories adopted the Gender Budget in their fiscal systems. Bihar started it from 2008-09. Under this, the government's schemes are classified and analysed based on their implications regarding the needs of women.

Gender Budget planning includes the following tasks:

- (a) Allocation of adequate resources and formulation and implementation of women-sensitive programmes. This helps in reducing the gap between policy commitments and allocations made towards women;
- (b) Mainstreaming women's concerns in public expenditure and policy;
- (c) To conduct a gender audit of public expenditure and implementation of programmes and policies.

Figure 1 : Holistic View of Gender Budgeting



Gender Budgeting in Bihar

Gender budgeting serves as a vital mechanism to include women in the development process. This ensures that the gains of development reach every woman in the state, both in rural and urban regions. It is a continuous process of including gender perspectives in the formulation and review of policies and programmes. Women constitute half of the total population, hence there is a need to draw attention to the status of women in areas such as health and nutrition, education, livelihood and property ownership. To fulfil these needs of women through financial support, the Bihar government started the gender budgeting process. The Gender Budget document for 2026-27 presents the details of the amount of expenditure to be incurred on women.

Figure 2 : Gender Equality through Gender Budgeting



The gender budget provides important information on the state's financial allocations from a gender perspective. For this, the schemes and programmes of various departments are reviewed from a gender perspective. To encourage gender mainstreaming, it looks at the actual expenditure of the previous year, the revised estimate of the current year and the proposed estimate of the next year from a gender lens. Some key facts of this document are:

1. To identify government schemes and programmes of various departments that address the development of women.
2. To analyze the percentage of expenditure on women under various schemes, so that women are brought into the mainstream through targeted financial and implementation strategies.
3. To check the state's allocation on women in proportion to the total state budget and gross state domestic product.
4. Linking Gender Budgeting to Outcome Budgeting.
5. To formulate various strategies based on the budgetary preferences of women.

Figure 3 : Progress of Gender Budgeting in Bihar

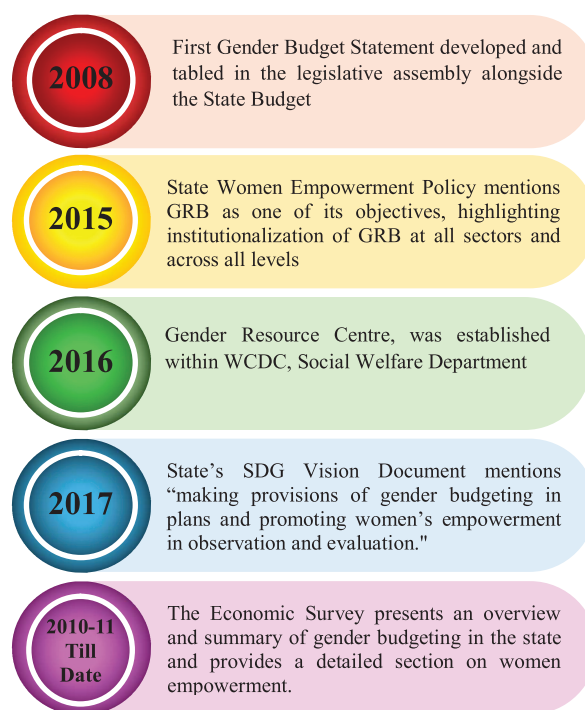


Table 1 : Classification of Gender Budget

Category A	100% expenditure on women and girls	Schemes and programmes whose entire allocation is for the welfare of women and girls.
Category B	30% and above, but less than 100% expenditure on women	Schemes and programmes in which some component is for women and girls and is between 30% to 99%.

Gender budget analysis is done in three parts:

- ❖ **Actual Expenditure (AE):** Actual expenditure to be incurred by departments on women in the year 2024-25.
- ❖ **Revised Expenditure (RE):** Estimate of expenditure on remaining services for the year 2025-26 after mid-year review.
- ❖ **Budget Estimate (BE):** Forecast for the year 2026-27 based on the trend of probable expenditure and receipts of the previous budget presentation.

Specific schemes targeted for women: Schemes in which 100 percent of the provision is for women.

Gender-related schemes: These are schemes in which at least 30 percent of the allocation is for women. It contains schemes implemented by various departments, which directly or indirectly benefit women or girls. Gender budgeting is the measurement and evaluation of benefits to women or girls on the basis of objectives of planning, output-cum-outcomes, which helps in the process of further facilitating gender equality as a guide.

Figure 4 : Types of Schemes in Gender Budget

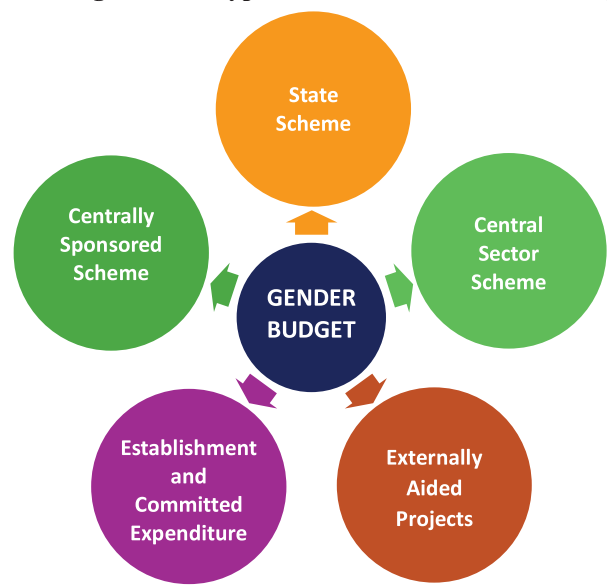


Figure 5 : Comparative Indicators for India and Bihar

Total Population of Women  5.0 Crore BIHAR	 58.7 Crore INDIA	Worker Population Ratio of Women  31.5 % BIHAR	 43.7 % INDIA
Sex Ratio (Female per 1000 males)  918 BIHAR	 943 INDIA	Literacy Rate of Female  51.5 % BIHAR	 64.6 % INDIA
Life Expectancy at Birth (Years)  69.7 BIHAR	 72.5 INDIA	Total Fertility Rate  2.8 BIHAR	 1.9 INDIA

Source: Census, PLFS, SRS

Table 2 : Comparative Indicators of Male and Female

Sl. No.	Indicators	Bihar		India		Source
		Male	Female	Male	Female	
1	Total Population (crore) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	Census 2011
2	Sex Ratio (All Ages) (2011)	1000	918	1000	943	
3	Child Sex Ratio (0-6 years) (2011)	1000	935	1000	919	
4	Work Participation Rate (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	Literacy Rate (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	Literacy Rate (7-18 years) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

The table above presents a comparative picture of the status of women in Bihar and India. While Bihar performs better than the national average in child sex ratio, with 935 females per 1,000 males compared to 919 at the national level, women in the state continue to lag behind in several other indicators, such as the overall sex ratio (918 females per 1,000 males) and female work participation rate (19.1 percent). To address these gaps, the state government has undertaken several targeted initiatives.

Table 3 : Comparative Indicator of status of women in Bihar

Sl. No.	Indicators	2019-20	2015-16	Increase/ Decrease	Source
Educational Indicators					
1	Literacy (%)	55.0	49.6	5.4	NFHS
2	Women with 10 or more years of schooling (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
Health Indicators					
3	Institutional Delivery (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	Body Mass Index below normal (15-49 yrs.) (%)	25.6	30.4	-4.8	NFHS
5	Females from 15-49 years who are anaemic (%)	63.5	60.3	3.2	NFHS
Empowerment Indicators					
6	Currently married women who generally participate in household decisions (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	Women having a bank account or savings that they use themselves (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
8	Women having mobile phones which they use themselves (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

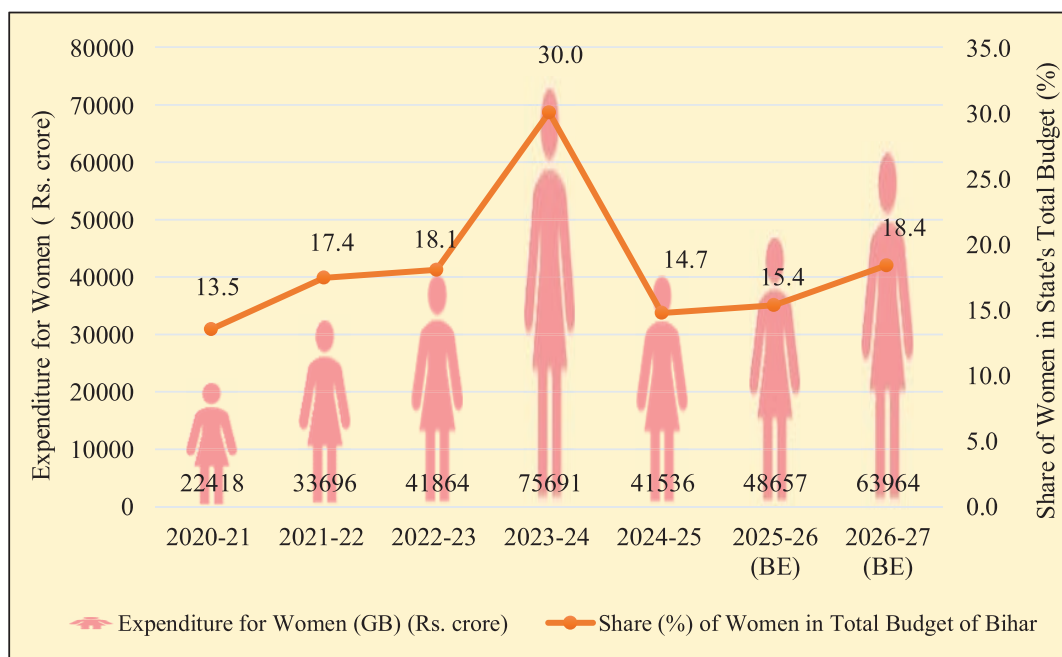
Between 2015-16 and 2019-20, Bihar witnessed remarkable progress in advancing the status of women. The most encouraging sign of empowerment is the sharp rise in women owning savings accounts, which grew by 50.3 percentage points. These achievements clearly showcase the success of gender budgeting in driving holistic development and opening new opportunities for women across the state.

Table 4 : Gender Budget : Expenditure for Women

(Rs. crore)

Details	2020-21 (AE)	2021-22 (AE)	2022-23 (AE)	2023-24 (AE)	2024-25 (AE)	2025-26 (BE)	2026-27 (BE)
State Budget Outlay	165696	193123	231904	252082	281939	316895	347590
Expenditure for Women (GB)	22418	33696	41864	75691	41536	48657	63964
Share (%) of Women in State Budget of Bihar	13.53	17.45	18.05	30.03	14.73	15.35	18.40
Identified Departments' Total Budget (BE)	90269	112571	130030	72935	81050	113692	134999
Share (%) of Women in Reporting Departments	24.83	29.93	32.20	103.78	51.25	42.80	47.38
Gross State Domestic Product (GSDP)	618628	675448	751396	854429	991997	1097264	1309155
Share (%) of Women in GSDP	3.62	4.99	5.57	8.86	4.19	4.43	4.89

Figure 6 : Share of Women in the Total Budget of Bihar



Efforts for Women Development

Women are the cornerstone of society, and they play an important role in the progress of any nation. Societies that foster continuous growth and empowerment of women invariably achieve greater prosperity. True development can only be realised when women are granted equal opportunities across economic, social, and political spheres, enabling them to drive meaningful social change. Aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, Goal 5 emphasises the elimination of poverty, inequality, and violence against women, while promoting solutions that ensure global success. In this context, the state government has taken significant steps toward gender mainstreaming and has actively promoted gender-responsive budgeting at both district and state levels. Over the past few years, several landmark programmes and initiatives have been introduced to strengthen women's empowerment and enhance their role in shaping a more equitable society.

Key initiatives and notable accomplishments in advancing women's development include:

1. Participation of Women in Government Sector

- The state government has introduced a 35% horizontal reservation for women across all direct recruitments in state government services and grades under the *Aarakshit Rojgar Mahilaon Ka Adhikar* initiative.
- A 50 percent reservation for women has been mandated in Panchayati Raj Institutions and Municipal Bodies, significantly enhancing their representation and active participation in the political sphere.
- Presently, around 27000 women officers and constables are part of the Bihar Police.

2. Promoting Education through Reservations and Incentives for Girls/Women

- The Bihar government reserves 33 percent of seats for women in all state engineering and medical colleges. This ensures greater access for girls to technical and professional education, and encourages them to pursue careers in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) and healthcare.
- Under the incentive component of Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana (Intermediate), during the financial year 2025–26 up to January, 4.82 lakh unmarried girl students have been provided financial assistance at the rate of Rs. 25,000 each. A total amount of Rs. 1,204.02 crore has been transferred directly to their bank accounts through the DBT mechanism.
- To promote higher education among women, the State Government has made a budget provision of Rs. 1,650 crore for 2025–26 under Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana (Graduation). Up to January 2025, an amount of Rs. 900.00 crore has been disbursed as an incentive to 1.80 lakh girl students through DBT directly into their bank accounts. Additionally, action is underway to transfer a total amount of Rs. 750.00 crore to 1.55 lakh girl students. This includes payment of Rs. 25,000 each to 10,000 students and Rs. 50,000 each to 1.45 lakh students, which will be credited to their accounts.

3. Women Entrepreneurship

- To promote women's economic self-reliance, the Government of Bihar launched the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana, implemented through JEEViKA. Under the scheme, one woman from each family receives Rs 10,000 to start an income-generating activity, with additional support up to Rs 2 lakh for expansion. To strengthen market access, haat-bazaars from villages to cities are being developed. Over 1.56 crore women have already received Rs 10,000 each, enhancing household incomes and livelihoods.
- Under the Lakhpati Didi initiative, women in JEEViKA whose annual income has reached Rs 1 lakh or more through sustainable livelihood activities are trained in diversified income-generating skills to ensure long-term economic security. So far, 31.71 lakh women in Bihar have been declared Lakhpati Didis.
- So far, 2.92 lakh families associated with Self-Help Groups (SHGs) have been linked to entrepreneurship development, additional income generation, and new employment opportunities. Under this initiative, 6 women producer companies and 701 women producer groups have been established.
- With support from the State Horticulture Mission and Bihar's Agriculture Department, 11,855 women from SHGs are engaged in beekeeping, producing 3,551 metric tonnes of honey to date.
- In collaboration with the Programme Planning Division, Kolkata, entrepreneurship development has been facilitated for 150 Didi.
- To support small rural entrepreneurs, especially women running grocery shops, 143 Rural Retail Marts are being operated to supply quality goods at fair prices.
- Through 288 'Didi Ki Rasoi' units, JEEViKA Didi are providing affordable, hygienic, and standard-quality meals in hospitals, Scheduled Caste and Scheduled Tribe residential schools, and other institutions.
- Under the Gramin Aajeevika Express Scheme, 109 families have been provided with commercial vehicles.
- Additionally, under the Startup Village Entrepreneurship Program (SVEP), 32,572 individual entrepreneurs have received technical and financial assistance.
- In partnership with the Koilwar Mental Health Hospital, JEEViKA Didi manages the hospital's kitchen, sanitation, laundry, and patient clothing supply.
- Under the Mukhyamantri Udyami Yojana, 42 members have been selected as centralised entrepreneurs and 40 members as decentralised micro-unit entrepreneurs. A bag cluster in Muzaffarpur has been developed, producing 29 lakh bags to date.

4. Livelihood Promotion

- Under the Satat Jeevikoparjan Yojana, aimed at supporting extremely poor families, a total of 201,218 households have been identified, 193,000 families have been provided livelihood support during the transition period, and 197,000 families have received integrated asset transfers to ensure sustainable livelihoods.

- With the support of JEEViKA and various Project Implementing Agencies, youth are provided demand-based skill development training through different training centres in sectors such as retail, hospitality, healthcare, construction, automobile, and electrical services.
- Through these skill development and placement initiatives, approximately 4.08 lakh youth have been trained and placed in wage employment or self-employment so far.
- JEEViKA has established two Bihar Migrant Resource Centres in Delhi and Bengaluru. During FY 2025–26, more than 8,000 youth have been trained and gainfully employed through these centres.
- In convergence with the Department of Environment, Forest and Climate Change and the MGNREGA scheme of the Rural Development Department, 987 JEEViKA Didi have developed nurseries (Didi ki Nursery). Through these efforts, 4.84 crore saplings have been planted across the state, contributing significantly to environmental sustainability and livelihood generation.
- A total of 4,500 farmers, organised into 67 producer groups, have been linked with and benefited from the Chief Minister Kosi Mulberry Project, promoting diversified livelihoods and agro-based income opportunities.
- With technical and institutional convergence between the Environment, Forest and Climate Change Department and MGNREGA, 987 nurseries have been established by group members, facilitating the plantation of 4.84 crore fruit-bearing and shade trees to strengthen green livelihoods and climate resilience.
- In collaboration with the Ministry of New and Renewable Energy, JEEViKA Didis have received training in solar lamp manufacturing and are operating solar shops. A total of 372 Didis are currently engaged in this enterprise. In Gaya district, a company has been established to operate and support this initiative, ensuring institutional backing for the enterprise.
- Didi Adhikar Kendras are operational in 174 blocks, managed by trained and capable JEEViKA Didi. These centres function as help desks at block offices, providing assistance and facilitation services to citizens.

5. Encouragement for Competitive Examinations

The Civil Sewa Protsahan Yojana for Women, launched by the Government of Bihar in 2021 under the **Mukhyamantri Nari Shakti Yojana**, supports women from the General and Backward Classes preparing for civil services. Under the scheme, women qualifying the UPSC Preliminary Examination receive Rs 1,00,000, and those qualifying the BPSC Preliminary Examination receive Rs 50,000 for advanced preparation. Between 2021–22 and 2024–25, 102 eligible women candidates qualifying the UPSC Prelims were provided incentives at Rs 1,00,000 each, with a total expenditure of Rs 1.02 crore.

6. Training and Support

- Capacity building efforts for women were carried out throughout the year, driven by 26 Training and Learning Centres and 53 Community Managed Training Centres. These centres provided essential training to SHG members, Community-Based Organisation leaders and cadres, significantly reducing reliance on external agencies.
- To support children's education and career guidance, JEEViKA has established Community Library-cum-Career Development Centres (CLCDCs) at the cluster-level federation in 110 blocks across 33 districts of Bihar, offering academic support and structured career counselling
- The JEEViKA Health Help Desk, implemented in partnership with the Health Department, Government of Bihar, functions as a vital bridge between rural communities and public healthcare services. Operational in 35 Sadar hospitals and 10 medical colleges, the initiative deploys 134 Swasthya Mitra Didis in two shifts to provide in-person and telephonic support for OPD and IPD services, hospital navigation, and access to entitlements such as Ayushman Bharat. Supported by a mobile application, the Help Desks assisted 18,17,538 patients and handled 48,763 calls in 2024–25, significantly improving accessibility and patient satisfaction, particularly for marginalised groups.
- JEEViKA also serves as a National Resource Organisation, with Bihar's women supporting training and capacity-building under NRLM in other states.
- To strengthen antenatal and postnatal care for pregnant women, ANMs and Staff Nurses are being provided Skilled Birth Attendant (SBA) training across all districts and empanelled private healthcare institutions. The training programme has a duration of 21 days and focuses on improving the quality of maternal healthcare services. During 2024–25, a total of 1,544 women trainees were successfully trained, and in 2025–26 (up to date), 152 women trainees have already been trained, contributing to improved maternal and neonatal health outcomes across the state.
- To reduce maternal deaths caused by unsafe abortions, Comprehensive Abortion Care (CAC) training is being provided to doctors at designated training centres in selected districts, including Sadar Hospitals and Medical Colleges. This is a 12-day training programme. A total of 2,017 doctors have been trained so far. During 2024–25, 50 women doctors were trained, and in 2025–26 (till date), 5 women doctors have been trained under this programme.
- With the objective of reducing the Maternal Mortality Ratio (MMR), Basic Emergency Obstetric Care (BEmOC) training is being provided to Primary Health Centre doctors at Medical Colleges. This is a 10-day training programme. During 2024–25, 38 women doctors were trained, while 15 women doctors have been trained in 2025–26 (till date).
- Following directions of the Hon'ble Chief Minister during the *Pragati Yatra*, the Mahila Samvad initiative was launched on 18 April 2025 to review scheme implementation and address community issues at the village level through senior officers. The programme disseminated information on women-centric government schemes using leaflets, the Chief Minister's message, and audio-visual

films. Through 600 awareness vehicles, the campaign covered over 70,000 locations and reached more than 1.55 crore women, significantly strengthening awareness, participation, and grassroots governance.

- In 15 districts, nodal tailoring-cum-training centres are operating with 1,365 sewing machines. Plans are underway to set up tailoring centres at every block level, for which 40,142 JEEViKA Didi have already been trained. Each block will host two tailoring production centres, creating employment for over 50,000 Didi. In FY 2025–26, 50,000 families have been connected to non-agricultural schemes.

7. Women Safety and Mobility Initiatives

- Female victims often hesitate to share experiences with male police, delaying case resolution. To address this, Mahila Thanas (women-only police stations) were introduced. Currently, 40 are operational in the state. Between 1 January 2022 and July 2025, about 43% of cases registered under crimes against women were successfully disposed of. Mahila Thanas aim to provide a supportive, secure environment encouraging women to report crimes without fear.
- The Pink Bus initiative in Bihar promotes women's safety, mobility, and inclusion in public transport. Operating in six districts—Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur, Darbhanga, Purnia, and Gaya—it runs 100 CNG buses offering safe, affordable travel for students and working women. In two months, ridership rose sixfold to 33,000 women, including 21,000 from the Patna division. Buses feature CCTV, panic buttons, GPS, and ETMs. The program also boosts women's economic participation by employing conductors and training drivers, strengthening gender-responsive urban mobility.
- To enhance women's travel safety, Bihar Police launched Surakshit Safar Suvidha in September 2024. The service lets women register journeys for real-time tracking via ERSS, ensuring timely emergency assistance. Bihar became the third state after Telangana and Haryana to adopt it. Since launch, 206 requests have been received and assisted. Women can access the service by dialling 112, adding an extra layer of security while travelling.
- The state government is continuously taking steps towards women empowerment. Bihar is the first state in India to provide 35 percent reservation for women in the police force. As a result, today, around 27,000 women officers and constables are part of the Bihar Police.
- Patna Traffic Police has recently taken significant steps towards women empowerment. Over 315 female police personnel are working to manage the traffic system in Patna's urban areas. In addition, 8 all-women Quick Response Teams, called 'Dolphins,' have been formed, consisting of female officers, constables, and even drivers.
- For the second time, a women's contingent from Patna Traffic Police participated in the state-level parade on January 26, 2026 and won an award for best turnout, setting a significant and inspiring example.
- Ensuring the efficiency of female police personnel is also crucial. Previously, most traffic checkpoints lacked basic facilities for women. To address this issue, a mission mode target has been set to make 54 traffic checkpoints in Patna fully functional. These checkpoints will provide facilities like comfortable

resting areas, toilets, drinking water, and first-aid kits for women. In the future, these checkpoints will also function as nearby complaint/help centres for women.

- Inaugurated on the occasion of International Women's Day last year, Model Traffic Posts has been made operational at four locations: Zoo Gate No. 2, Saguna Mod, New Secretariat Mod, and Hartali Mod.

Important Schemes for Women and Girls in Bihar

The Gender Budget document 2026-27 highlights the wide range of provisions made under schemes dedicated to women and girls. These initiatives are designed not only to ensure their welfare but also to strengthen women's empowerment across Bihar. To achieve this, multiple government departments are actively implementing women-centric programmes that directly and indirectly benefit diverse groups of women in both rural and urban areas. The Women and Child Development Corporation, along with other key departments of the Government of Bihar, runs numerous welfare schemes—such as skill development, training, and capacity-building—for the empowerment of Anganwadi workers, women from minority communities, and economically disadvantaged groups. The details of some of these departmental schemes are outlined below.

Social Welfare Department

1. Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

The scheme was launched in 2012 to support poor families at the time of marriage, encourage marriage registration, promote girls' education, and prevent child marriage by providing Rs.5,000 through DBT to eligible girls from BPL families or those with annual incomes up to Rs.60,000. In 2024-25, against a budget of Rs. 4,500.25 lakh, an expenditure of Rs. 3,436.92 lakh benefited 62,961 girls, while in 2025-26, up to December 2025, Rs.1,538.70 lakh was spent from a budget of Rs.5,450.00 lakh to benefit 30,572 girls, reflecting the scheme's continued impact on women's welfare and empowerment in Bihar.

2. Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana (MKUY)

MKUY was launched in 2018 as a flagship initiative of the Government of Bihar aimed at safeguarding, educating, and empowering girls by preventing female foeticide, promoting birth registration and complete immunization, improving the sex ratio, reducing infant mortality, curbing child marriage, and lowering fertility rates. Covering up to two daughters per family from birth to graduation, the scheme seeks to make girls self-reliant and enhance their economic contribution to society. In 2024-25, against a budget of Rs.12,102 lakh, an expenditure of Rs.12,000 lakh benefited 4,59,073 girls, while in 2025-26, up to December 2025, Rs. 4,755 lakh has been spent from a budget of Rs.14,408.00 lakh, underscoring the state's commitment to holistic development and empowerment of women.



3. Mukhyamantri Nari Shakti Yojana

Implemented since 2007, the Mukhyamantri Nari Shakti Yojana is a flagship initiative of the Bihar Government aimed at the social, economic, cultural, and political empowerment of women and their integration into the national development mainstream. The scheme addresses key issues related to women's development and is implemented by the Bihar State Women Development Corporation. In 2024–25, the total budget of Rs.5,000 lakh was utilized, benefiting 7,688 women, while in 2025–26, Rs.4,095 lakh has been spent against a provision of Rs.6,300.00 lakh, benefiting 5,968 women up to December 2025.

3.1 Civil Sewa Protsahan Yojana under Mukhyamantri Nari Shakti Yojana

The Civil Services Incentive Grant Scheme, introduced in the year 2021 for young women belonging to the general and backward classes in the state, is being implemented under the Mukhyamantri Nari Shakti Yojana. Under this scheme, women candidates who qualify the Preliminary Examination of the Union Public Service Commission (UPSC) receive an incentive of Rs.1,00,000, while those who clear the Preliminary Examination of the Bihar Public Service Commission (BPSC) are provided Rs.50,000 to support their advanced preparation for the Main Examination and interview.

3.2 Short-stay home

To provide short-term shelter to women and adolescent girls affected by domestic violence or other adverse circumstances, the establishment and operation of Short Stay Homes in all districts has been approved under the Mukhyamantri Nari Shakti Yojana. At present, such homes are being operated through government institutions in 11 districts, and tenders have been invited to extend the facility to the remaining districts of the state.

3.3 One Stop Centre-cum-Women's Helpline

Under the One Stop Centre scheme, women affected by violence are provided integrated services including medical care, psychosocial support, legal counselling, police assistance, and short-term shelter under one roof. Established in all districts as per Government of India guidelines and state cabinet approval, the scheme is implemented through district task forces. During 2024–25, out of 8,888 cases registered, 7,185 were successfully resolved, while in 2025–26, 2,582 cases were disposed of against a total of 3,290 registered cases.

3.4 Bihar State Women's Commission:

The primary objective of the Commission is to ensure the protection of women's rights, address cases of harassment and exploitation of women, resolve women's grievances, and facilitate justice for women in matters related to social evils. An important function of the Commission is to periodically review existing legal provisions and laws affecting women and recommend amendments to address any gaps, inadequacies, or weaknesses, thereby advising on corrective legislative measures. The Commission also brings all cases of atrocities against women and violations of women-related laws to the attention of the appropriate authorities.

4. National Crèche Scheme:

The National Crèche Scheme provides safe and quality childcare for children aged six months to five years of working parents, particularly working women, in line with the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017. In Bihar, crèches are operational at the state headquarters at (i) the Department of Social Welfare, Government of Bihar; (ii) the Home (Jail) Department, Main Secretariat, Patna; (iii) the Panchayati Raj Department, New Secretariat, Patna; and (iv) Sardar Patel Bhawan, Police Headquarters, Patna, along with district-level facilities, taking the total number of functional crèches to 67. The scheme follows a 60:40 cost-sharing pattern between the Centre and the State.

5. Mission Shakti (Sambal and Samarthya):

Implemented since 2022, Mission Shakti is being carried out by the Women and Child Development Corporation, Bihar, Patna, to promote empowerment of women through various schemes such as One Stop Centres, Beti Bachao Beti Padhao, Women Helpline, Nari Adalat, Shakti Sadan, Sakhi Niwas, and State and District Hubs. As per Government of India norms, the cost-sharing pattern between the Centre and the State is 100:0 or 60:40, depending on the component. In 2024–25, an expenditure of Rs.1,533.15 lakh was incurred against a central allocation of Rs.1,873.04 lakh, while in 2025–26, Rs.1,013.19 lakh was spent against a provision of Rs.12,540.20 lakh up to December 2025.

6. Welfare of Mentally ill/Disabled Women and Girls – Aasra Homes:

The Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities is operating three special residential *Aasra Homes* in Patna district for mentally ill or disabled women and girls, of which one is run directly by the government and two through non-governmental organizations. The scheme aims to provide shelter, medical care, rehabilitation, education, vocational training, and family or community-based reintegration for homeless or abandoned women and girls with mental illness or disability. In 2024–25, Rs.193.00 lakh was spent against a budget provision of Rs.193.70 lakh, while in 2025–26, Rs.96.86 lakh was utilized against the same provision, benefiting 148 residents.

7. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

The main objective of this scheme is to improve the health and nutritional status of pregnant and lactating women and to partially compensate them for wage loss incurred during pregnancy. Under the scheme, eligible pregnant/lactating women are provided a conditional cash benefit of Rs.5,000 for the first live birth through the PFMS system, paid in two instalments—Rs.3,000 as the first instalment and Rs.2,000 as the second—through Direct Benefit Transfer (DBT). In addition, a one-time assistance of Rs.6,000 is provided on the birth of a second girl child. Under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, the funding ratio between the Centre and the State is 60:40. In 2024–25, the entire allocated funds Rs.7,559.80 lakh from the Centre and Rs.5,039.57 lakh from the State, were fully utilised, benefiting 6.81 lakh beneficiaries. In 2025–26, expenditures of Rs.16,429.49 lakh (Centre) and Rs.10,952.99 lakh (State) were incurred against the provisions, benefiting 2.86 lakh beneficiaries up to December 2025.

8. Scheme for Adolescent Girls (SAG)

This is a Centrally Sponsored Scheme aimed at the holistic development of adolescent girls, breaking the intergenerational cycle of malnutrition, and promoting a healthy life-cycle approach. From 2022–23, under the revised guidelines of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, the scheme is being implemented in 177 projects across 13 aspirational districts of the State to improve the health and nutritional status of adolescent girls aged 14–18 years. The core objective is to support adolescent girls in enhancing their health, nutrition, and educational levels so that they become self-reliant, aware, and empowered individuals. As per Government of India norms, the cost-sharing ratio between the Centre and the State is 50:50. In 2024–25, against budget provisions of Rs.2,845.07 lakh (Central share) and Rs.2,845.41 lakh (State share), expenditure of Rs.2,117.98 lakh each was incurred. In 2025–26, budget provisions of Rs.3,200.59 lakh each were made for both Central and State shares, with no expenditure recorded so far.

9. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

This scheme was launched in 2009–10 with the objective of providing social security by granting a monthly pension of Rs. 400 to widowed women aged 40 to 79 years belonging to BPL families. Out of this amount, Rs. 300 was contributed by the Central Government and Rs. 100 by the State Government. With effect from August 2025, the State Government has made a provision of Rs. 1,100 per month per beneficiary under this scheme, comprising Rs. 300 as the Central Government's share and Rs. 800 as the State Government's contribution. For the financial year 2024–25, a budget provision of Rs. 25,516.00 lakh was made under the Central share, Rs. 7,541.00 lakh under the State share, and Rs. 100.00 lakh under the State Plan head. Against this, an expenditure of Rs. 22,913.74 lakh under the Central share and Rs. 7,541.00 lakh under the State share was incurred, benefiting 6,28,323 beneficiaries. Similarly, in 2025–26, a budget provision of Rs. 23,850.04 lakh under the Central share, Rs. 62,997.51 lakh under the State share, and Rs. 248.43 lakh under the State Plan head was made. Accordingly, expenditures of Rs. 9,102.90 lakh, Rs. 39,002.26 lakh, and Rs. 35.00 lakh were incurred respectively, benefiting 6,48,365 beneficiaries.

10. Laxmibai Social Security Pension Scheme

This scheme was launched in 2007–08 to provide a monthly pension of Rs. 400 to widowed women aged 18 years and above belonging to BPL families or families with an annual income of less than Rs. 60,000, who are not covered under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme. With effect from August 2025, a provision of Rs. 1,100 per month per beneficiary has been made under the scheme. For the financial year 2024–25, a budget provision of Rs. 40,516.84 lakh was made, against which an expenditure of Rs. 38,738.56 lakh was incurred, benefiting 8,51,008 beneficiaries. Similarly, in 2025–26, a budget provision of Rs. 1,21,451.67 lakh was made. Accordingly, up to December 2025, an expenditure of Rs. 75,998.65 lakh was incurred, benefiting 9,07,514 beneficiaries.

11. Anganwadi Centres Uniform Scheme (100% State Scheme)

The scheme which falls under the category of allocations between more than 30 percent and less than 100 percent, all registered children aged 3–6 years receiving pre-school education at

Anganwadi centres across the State are provided two sets of uniforms annually through JEEViKA. The scheme is implemented in all Anganwadi centres functioning under 544 sanctioned Child Development Projects in the State. In the financial year 2024–25, the entire amount was utilized against a budget provision of Rs. 20,854.49 lakh for the supply of uniforms, benefiting 53,52,650 girl children. For the financial year 2025–26, a budget provision of Rs. 17,924.64 lakh has been made for the distribution of uniforms.

12. Pradhan Mantri Janman Yojana

The scheme was launched in 2023 and falls under the category of allocations between more than 30 percent and less than 100 percent. Under this scheme, Anganwadi centre buildings are constructed in tribal areas in accordance with the norms of the Government of India, with the entire construction cost borne by the Central share. In the financial year 2024–25, against a Central allocation of Rs. 588.02 lakh, an expenditure of Rs. 588.00 lakh was incurred.

13. Bihar Disability Pension Scheme

The scheme, which falls under the category of allocations between more than 30 percent and less than 100 percent, was launched in 2007–08. Under the scheme, persons with disabilities having 40 percent or more disability, irrespective of income and age, are provided a monthly pension of Rs. 400, which has been revised to Rs. 1100 with effect from August 2025. In the financial year 2024–25, against a budget provision of Rs. 46,122.41 lakh, an expenditure of Rs. 44,107.113 lakh was incurred, benefiting 9,55,687 beneficiaries. In the financial year 2025–26, against a budget provision of Rs. 1,39,431.55 lakh, an expenditure of Rs. 84,043.33 lakh was incurred, benefiting 10,07,167 beneficiaries up to December 2025, of whom 3,60,471 were women beneficiaries.

14. Old Age Home (Sahara)

Under the Bihar Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2012, old age homes named “Sahara” are being operated in six districts of the State—Patna, Purnea, Gaya, Rohtas, Bhagalpur, and West Champaran—through non-governmental voluntary organizations. These six old age homes have a total residential capacity of 450, of which 422 senior citizens are currently accommodated. In addition, 100-bed old age homes have been constructed through the Building Construction Department at Gulzarbagh (Patna), Gaya, and Purnea. This scheme falls under the category of allocations between more than 30 percent and less than 100 percent. In the financial year 2024–25, against a budget provision of Rs. 330.00 lakh, an expenditure of Rs. 300.00 lakh was incurred. In the financial year 2025–26, against a budget provision of Rs. 390.00 lakh, an expenditure of Rs. 300.00 lakh has already been incurred up to December 2025.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department

1. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Scholarship Scheme

Students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are provided various facilities from school level to college level through various scholarship schemes. The rates of scholarships are as follows:

Monthly for class 1-4: Rs. 50

Monthly for class 5-6 – Rs. 100

Monthly for class 7-10 – Rs. 150

Hostel accommodation per month for class 1-10 – Rs. 250

Under the Post-Entrance Scholarship Scheme, a monthly scholarship with full fees is provided as per the provision of the Central Government. In the financial year 2025-26, a total of 10,54,900 girl students have availed the benefited of this scheme.

2. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Medhavritti Yojana

Under this scheme, those students belonging to the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) communities who pass the Class 10 examination conducted by the Bihar School Examination Board with first division are awarded Rs. 10,000, and those passing with second division are awarded Rs. 8,000 under the Chief Minister SC/ST Merit Scholarship Scheme. This scheme was launched in the year 2008–09. Similarly, for students belonging to SC/ST who pass the Class 12 examination, in first division and in second division, are provided the incentive amount of Rs. 15,000 and Rs. 10,000 respectively, through the Education Department. In the financial year 2024–25, a total of 1,01,117 girl students and in 2025–26, a total of 98,960 girl students were benefited from the scheme.

3. Awasiya Vidyalaya (Residential Schools)

The Department operates 66 residential schools for Scheduled Caste (SC) students and 25 residential schools for Scheduled Tribe (ST) students, with a total capacity of 25,600 SC students and 7,720 ST students. The State Government provides funds to meet the daily needs of students, including study materials, food, clothing, medicines, and other basic requirements. A decision has been taken to upgrade all residential schools up to the 10+2 level, and currently, 46 residential schools are functioning at the +2 level. At present, a total of 37 residential schools are operational exclusively for SC and ST girls, while 4 residential schools are co-educational. As of the financial year 2025–26, a total of 12,121 girl students have been enrolled in these residential schools.

4. Chhatrawas (Hostel)

The Department currently operates a total of 138 hostels, with approval granted for the construction of 60 new hostels. These hostels provide residential facilities including cots, mattresses, and RO drinking water, along with essential items for students such as towels, bed

sheets, blankets, pillows, mosquito nets, study tables, and utensils for cooking and eating. At present, 7 hostels are operational for Scheduled Caste (SC) girls and 2 hostels for Scheduled Tribe (ST) girls. In the financial year 2024–25, under the “Chief Minister Scheduled Caste & Scheduled Tribe Girls’ Hostel Scheme,” administrative approval was granted for the construction of Savitribai Phule Girls’ Hostels (100-seat) in each district of the State, and so far, approval has been granted for the construction of these hostels in 16 districts.

5. Prak Pariksha Prashikshan Kendra (Pre-Examination Training Centre)

Currently, 10 Pre-Examination Training Centres for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being operated across districts including Patna, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Tarun, Bhojpur (Ara), Saharsa, Purnea, and Munger, with provisions to train about 2,400 candidates for various competitive examinations. Additionally, the State Government supports a Student Guidance Centre at the Chandragupt Institute of Management, Patna, where 60 students annually receive training for CAT and similar management entrance exams, enabling them to secure admission in leading management institutes across the country, and importantly, these centres provide training to both male and female students, ensuring equal opportunity.

6. Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Civil Seva Protsahan Yojana

Under this scheme, a one-time grant of Rs 50,000 (Fifty thousand rupees) is given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who pass the preliminary competitive examination conducted by BPSC for further preparation. Similarly, there is a provision of a one-time grant of Rs. 1,00,000/- (Rs. one lakh) to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who pass the Civil Services (Preliminary) Competitive Examination conducted by the UPSC. Furthermore, through Departmental Resolution No. 1012 dated 21.02.2024, approval has been granted to extend similar incentives to candidates qualifying for the first stage (written examination) of other Group-1 competitive examinations. The scheme covers both male and female candidates. To date, 1,781 women beneficiaries have been supported under this programme, with a total expenditure of Rs. 894.00 lakh.

7. Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Chhatrawas Anudan Yojana

The scheme was started in the year 2018-19. Under this scheme, students residing in Scheduled Caste and Scheduled Tribe hostels are granted a hostel allowance of Rs. 1000 (One Thousand Rupees) per month per student. At present, a total of 170 Scheduled Caste students and 48 Scheduled Tribe students are benefiting from this scheme.

8. Khadyann Apurti Yojana

The scheme was started in the year 2018-19. Under this scheme, in the hostels operated by the department, resident students are provided 15 kilograms of food grains per month—comprising 9 kilograms of rice and 6 kilograms of wheat. At present, this scheme is benefiting 170 Scheduled Caste students and 48 Scheduled Tribe students.

9. Assistance under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

This scheme is being operated to provide assistance to those victims of atrocities who belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Under this scheme, a relief amount is also provided to women.

10. Pradhan Mantri Scheduled Caste Abhyudaya Yojana

Under this scheme, for the economic upliftment of Scheduled Caste individuals as well as women, a maximum grant of Rs. 50,000 is provided under the individual benefit programme. So far, a total of 6,710 Scheduled Caste women have been benefitted through this scheme.

11. Mahadalit Vikas (Development of Mahadalits)

For the development of the Mahadalit community, the Bihar Mahadalit Vikas Mission was established in 2007-08 under the Societies Registration Act, 1860, with approved plans for their economic upliftment and infrastructure development. Across the state, 9,820 posts of Vikas Mitras have been sanctioned, ensuring 50 percent participation of women. Under the Dashrath Manjhi Skill Development Scheme, Mahadalit youth are provided training in various trades through selected institutions. Special school-cum-hostels for girls are also being run by the NGO “Nari Gunjan” in Patna and Gaya, where 150 girls in Patna and 100 girls in Gaya are benefitting from both traditional and non-traditional education along with special training. Furthermore, in collaboration with the Women’s Development Corporation, Patna, each Vikas Mitra in all districts has facilitated the formation of three adolescent girls’ groups and one adolescent boys’ group, and they are trained to organize these groups effectively within their respective panchayats/wards.

Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department

1. Mukhyamantri BC and EBC Pre-Matric Chhatravritti Yojana (PM-YASASVI)

Under the scheme, a total of 53,52,858 students have been benefitted in 2025–26. For the same financial year, under the State Scheme, a total amount of Rs. 920.00 crore has been sanctioned, and under the Centrally Sponsored Scheme, Rs. 13.75 crore has been sanctioned, making a total sanctioned amount of Rs. 933.75 crore.

2. Mukhyamantri BC and EBC Praveshekottar Chhatravritti Yojana-2023

Under the scheme, a total of 2,78,136 students have been benefitted so far in the financial year 2023–24. For the financial year 2025–26, a total amount of Rs. 369.69 crore has been sanctioned under the State Scheme, and Rs. 157.083 crore under the Centrally Sponsored Scheme, making a total sanctioned amount of Rs. 526.773 crore.

3. Mukhyamantri EBC Medhavritti Yojana

Under this scheme, students of the Extremely Backward Class who are permanent residents of Bihar and have passed the Secondary (10th) Examination conducted by the Bihar School Examination Board (BSEB), Patna, with First Division, are provided a one-time scholarship of Rs.10,000 (per student. In the financial year 2025-26, a total of 1,16,065 students have benefitted

from the scheme so far.

4. Mukhyamantri BC Medhavritti Yojana

Under this scheme, students from the Backward Class who are permanent residents of Bihar and have passed the Secondary (10th) Examination with First Division conducted by the Bihar School Examination Board, Patna, and whose annual family income is Rs.1,50,000 or less, are provided a one-time scholarship of Rs.10,000 per student. This amount is provided to the female students of the Backward Class by the Department of Education. In the financial year 2025-26, a total of 73,785 students have benefited from this scheme.

5. Establishment of Directorate and Regional Offices

To facilitate the smooth implementation of various schemes under the Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department in the State, a Directorate has been established at the headquarters level and offices at the regional level. In the year 2024, out of a total of 139 sanctioned posts of Sub-Divisional Backward and Extremely Backward Classes Welfare Officers, 130 officers were appointed. At present, a total of 112 officers are in service.

6. Other Backward Class (OBC) Kanya Awasiya +2 Uchch Vidyalaya

At present, a total of 7,678 girl students are enrolled in 39 operational OBC (Other Backward Classes) residential +2 high schools. Out of a total of 1,365 sanctioned teaching posts across various categories, 561 teachers have been appointed so far. Administrative approval has been granted for the construction of a total of 39 OBC girls' residential +2 high schools across all 38 districts. So far, the construction of 23 school buildings has been completed, while 16 are still under construction.

7. Other Backward Class Hostel Scheme

Under the OBC Hostel Scheme, all 38 districts of the State are now covered. Currently, 29 OBC hostels are operational in 26 districts for OBC students, with a total enrolment of 2,196 students. The construction of hostels in three districts—Nalanda, Lakhisarai, and Madhubani have been completed in 2025-26. Under the OBC Hostel Scheme, a total of 36 hostels have been constructed, while the construction of 8 hostels is still in progress.

8. Jananayak Karpoori Thakur Chhatrawas Yojana

Under the Jananayak Karpoori Thakur Hostel Scheme, approval has been granted for the construction of one hostel in each district, with hostels currently operating in all 38 districts. These 38 hostels have a total capacity of 3,800 students, against which 3,597 students are presently enrolled. Students residing in Janayak Karpoori Thakur hostels as well as Other Backward Classes hostels are provided free accommodation, along with monthly assistance of Rs. 1,000 per student under the Chief Minister Hostel Grant Scheme and 15 kg of foodgrains per student per month under the Hostel Foodgrain Distribution Scheme.

9. **Mukhyamantri Extremely Backward Class Civil Seva Protsahan Yojana:**

The Mukhyamantri Extremely Backward Classes Civil Services Incentive Scheme has been expanded to include preliminary examinations conducted by the Union Public Service Commission, New Delhi; the Staff Selection Commission; various State Public Service Commissions; Banking Service Recruitment Boards/IBPS; and various Railway Recruitment Boards. Under this expanded scheme, candidates belonging to the Extremely Backward Classes of the state who qualify these preliminary examinations are provided an incentive amount ranging from Rs. 30,000 to Rs. 1.00 lakh, as per prescribed norms. In the financial year 2025–26, a total amount of Rs. 138.00 lakh was distributed among 500 beneficiaries.

10. **Prak Pariksha Prashikshan Yojana (Pre-Examination Training Scheme)**

Under the scheme, the eligibility criteria have been revised, increasing the annual income limit from Rs.1.00 lakh to Rs. 3.00 lakh. All 38 pre-examination training centres are currently operational. Against a total enrolment capacity of 4,560, a total of 4,525 students are presently enrolled. So far, 1,132 students studying at these centres have successfully qualified for various competitive examinations.

11. **Mukhyamantri Vyavsayik Pathyakram Margdarshan evam Utpreeran Yojana**

Under the scheme, students from the Backward Class and Extremely Backward Class are provided free coaching for preparation of professional courses such as management, law, and other related competitive exams, as well as for participation in appointments to higher academic positions. In the financial year 2024–25, the operation of a “Vocational Course Guidance and Motivation Centre” was initiated at Magadh University, Bodh Gaya. Under the scheme, all ten approved centres are currently operational. Against a total enrolment capacity of 1,200, a total of 1,039 students are presently enrolled. So far, 163 students studying at these centres have achieved success.

Minority Welfare Department

1. **Alpasankhyak Muslim Parityakta/Talakshuda Mahila Sahayata Yojana**

This scheme has been implemented by the State Government since 2006-07 with the objective of strengthening the economic condition of minority Muslim deserted/divorced women and enabling them to become self-reliant. Under this scheme, each deserted or divorced woman is provided a one-time financial assistance of Rs. 25,000.

2. **State Post-Matric Scholarship Scheme**

Under the Central Post-Matric Scholarship Scheme, Bihar has a fixed quota, while the total number of eligible applications exceeds this prescribed limit. As a result, a large number of deserving minority students are deprived of the scholarship benefits. To address this gap and ensure that such students are benefited, the State Government launched the State Post-Matric

Scholarship Scheme in the financial year 2017-18.

3. Mukhyamantri Vidyarthi Protsahan Yojana

Minority students who pass the Matriculation Examination with First Division from the Bihar School Examination Board or the Fauqania Examination with First Division from the Bihar Madrasa Board, as well as minority (Muslim) girl students who pass the Intermediate Examination with First Division from the Bihar School Examination Board or the Moulvi Examination with First Division from the Bihar Madrasa Board, are awarded incentive grants under this scheme. In addition, students who pass the Matriculation Examination with First Division while opting for Bengali as a subject are also eligible to receive the incentive grant.

4. Mukhyamantri Shramshakti Yojana

The Mukhyamantri Shram Shakti Yojana, approved in the financial year 2008-09, aims to promote self-employment and job opportunities for minority youth. The objective of this scheme is to provide specialized training to young men and women from minority communities, thereby enabling them to secure employment and become economically self-reliant.

5. State Coaching Scheme

To enhance the representation of minority community students in employment, the State Government launched a Coaching Scheme in the financial year 2006-07. Under this scheme, minority students are provided coaching for the Bihar Public Service Commission (BPSC) examinations as well as other technical and professional competitive examinations.

6. Mukhyamantri Alpasankhyak Kalyan Chhatrawas Anudan/Khadyan Yojana

The scheme was started in 2018-19. Under this scheme, students residing in Minority Welfare Hostels are provided benefits aimed at promoting awareness of higher education and increasing the rate of higher education among minority students. Each student receives a monthly grant of Rs. 1,000 along with 15 kilograms of food grains free of cost per month.

7. Central Scholarship Scheme (Pre-Matric, Post-Matric, and Merit-cum-Means Based)

The Central Scholarship Scheme (Pre-Matric, Post-Matric, and Merit-cum-Means based) is a fully Centrally Sponsored Programme. The objective of this scheme is to provide financial assistance to minority students in pursuing their education. Under this scheme, the Ministry of Minority Affairs, Government of India, directly transfers the scholarship amount into the bank accounts of the beneficiaries.

8. Prime Minister's Jan Vikas Programme (formerly known as MSDP)

The centrally sponsored scheme, Prime Minister's Jan Vikas Programme (formerly known as MSDP), is being implemented in the identified minority-concentrated areas of the state. Under this scheme, basic infrastructure is developed in sectors such as education, health, and others to improve facilities and promote inclusive growth.

Education Department

1. Participation of women in the employment of city/panchayat/zilla council teachers

In the recruitment of primary, secondary, and higher secondary teachers, school operators, school assistants, physical education instructors, and health trainers conducted by local bodies such as municipal councils, blocks, and district councils, a 35% reservation has been provided for women candidates. As a result, the status and respect of women in society have increased, fostering their sense of development. Additionally, the number of employed women has risen, and they have become more aware of their rights, raising their voices against social evils such as the dowry system. Alongside contributing to population control, this scheme has proven to be a milestone in ensuring equal rights for women, on par with men.

2. Mukhyamantri Balika Cycle Yojana

Under Secondary Education, the Mukhyamantri Balika Cycle Yojana, started in June 2007 provides eligible girl students studying in Class IX of secondary schools with Rs. 3,000 per student through Direct Benefit Transfer (DBT) for the purchase of a bicycle, enabling girls from distant areas to reach school conveniently. This scheme has particularly helped in creating an educational environment in rural areas, reducing time wastage, and encouraging girls to focus more on their studies. Every financial year, funds are allocated to districts for the purchase of bicycles for girl students enrolled in government, government-aided, project (including upgraded), minority, approved aided madrasas, Sanskrit schools, unaided secondary/higher secondary schools, and intermediate colleges.

3. Mukhyamantri Balika Poshak Yojana

Under the Mukhyamantri Balika Poshak Yojana, eligible girl students studying in primary and secondary schools are provided financial assistance for uniforms. The scheme provides Rs. 600 per year to eligible students of Classes 1–2, Rs. 700 per year to students of Classes 3–5, Rs. 1,000 per year to students of Classes 6–8, and Rs. 1,500 per year to students of Classes 9–12. This assistance is intended to promote a sense of equality among all eligible students and support their continued education.

4. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Samagra Shiksha Abhiyan)

The Government of Bihar has decided to ensure that every panchayat is covered by a secondary or higher secondary school. To achieve this objective, middle schools are upgraded under this Centrally Sponsored Scheme and brought into the secondary and higher secondary category. Under the scheme, children in the age group of 14 to 18 years are provided access to quality education. The scheme aims to eliminate social, economic, and gender disparities and to improve the overall qualitative development of students by focusing on the recruitment and training of teachers as well as curriculum enhancement. The implementation of this scheme has led to an increase in student enrolment at the secondary level in schools. Along with education, ensuring the safety of girls in hostels is also an important objective of the scheme.

5. Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakarm

Under the Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakram , eligible girl students studying in Classes 7 to 12, generally in the age group of 12–18 years, are supported during adolescence, a period marked by significant mental, physical, and physiological changes, most of which relate to menstrual health and often lack timely solutions, leading to negative effects on development. To address this, eligible girl students enrolled in Classes 7–12 in government, government-aided (including minority), project, upgraded, recognized and aided madrasas, Sanskrit schools, and unaided secondary and higher secondary schools are provided financial assistance of Rs. 300 per student per year through Direct Benefit Transfer (DBT) for the purchase of sanitary napkins, ensuring dignity, health, and continuity in education.

6. Bihar Bal Bhawan 'Kilkari' Yojana

Bal Bhawan “Kilkari” has been functioning since 2008 for the creative development of children. Under this scheme, children in the age group of 8 to 16 years are provided free training in 25 different activities. The programme focuses on strengthening children mentally and promoting equality so that no discrimination exists between girls and boys. The Kilkari scheme has emerged as an ambitious initiative to bring girls into the social mainstream and ensure their holistic development.

7. Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana

The Bihar Government provides a scholarship of Rs. 10,000 to female students of all categories who pass the examination conducted by the Bihar School Examination Board in the first division. This includes students from the General, Backward, Minority, Extremely Backward, Scheduled Caste, and Scheduled Tribe categories. In addition, Scheduled Caste and Scheduled Tribe students who pass the examination in the second division are awarded a scholarship of Rs. 8,000.

8. Midday Meal Scheme (PM Poshan)

Under this scheme, mid-day meals are provided in schools for children studying in Classes 1 to 6. The scheme has played a significant role in promoting social harmony and has substantially increased the enrolment of girl students in schools. As a result, the Government has been continuously undertaking important reforms to further strengthen and expand the scheme, including the introduction of new features such as improved menus.

9. Scheme of the Right to Free and Compulsory Education

In order to implement the Right of Children to Free and Compulsory Education, the Government aims to ensure the enrolment of 25 percent children from weaker and disadvantaged sections in recognized private schools. For this purpose, the Government provides grants to such schools. Students belonging to weaker and disadvantaged sections of society are benefiting from this scheme.

10. Akshar Aanchal Yojana

To increase the literacy rate, the Government is promoting education under the Akshar Aanchal Yojana. Under this scheme, education is provided to girls and women in the age group of 15 to 45 years and to children aged 6 to 14 years from the target groups to make them literate. An annual Maha Pariksha (mass examination) is conducted under the scheme to assess their literacy levels. As

a result of this initiative, there has been a significant improvement in the literacy rate among girls, women, and children belonging to the targeted groups.

11. Samagra Shiksha Abhiyan

The Samagra Shiksha Abhiyan plays a significant role in implementing government schemes in the State to ensure equal educational opportunities for all children. Under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, free and compulsory education is mandated for children aged 6 to 14 years. Through this scheme, the Government is committed to transforming schools into model institutions, providing basic facilities, and ensuring the construction of toilets in every school.

12. Rajkiya Mahila Prashikshan Mahavidyalaya

The State Government is making several efforts to promote women's education. Separate schools and colleges for girls are being established across the State. This initiative by the Government is helping girls become self-reliant and empowered.

13. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (Kasturba Gandhi Residential School)

The primary objective of the Kasturba Gandhi Residential Girls' School is to provide primary education to girls from disadvantaged sections of society, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, and Minority communities. Under this scheme, girls can now pursue their education at school even if they live far from home.

14. ICT Project

Computer training in the secondary schools of Bihar is being provided through the Integrated Computer Training Project. Under this project, boys and girls across the State are offered free computer education. This scheme not only fosters a sense of equality among girls but also creates employment opportunities, empowering students with valuable skills for the future.

15. Teacher Training Colleges

Various teacher training colleges have been established in the State to provide teacher training to both boys and girls.

16. Unnayan Yojana

Under this programme, students will be provided with online learning facilities, smart classrooms, and other technological resources.

17. Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana (Intermediate Pass)

Under the Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana, operated by the Education Department as part of the Chief Minister's Kanya Utthan Yojana, financial assistance of Rs. 25000 is provided to unmarried girl students who have passed the Intermediate Examination from Examination Boards recognized by the Government of Bihar through Direct Benefit Transfer (DBT) into their bank accounts.

18. Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana (Graduate Pass)

Under the Chief Minister's Kanya Utthan Yojana, the Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana (**Graduate Pass**) is implemented by the Education Department. This is a state-sponsored scheme.

It has been launched to encourage girl students of the state to pursue higher education. Under this scheme, girl students who have passed the Graduation examination are provided an incentive amount of Rs 50,000 . The process under this scheme requires beneficiaries to apply online, based on the examination results uploaded by the university on the designated portal.

19. Mukhyamantri Bihar Darshan Yojana

Under this scheme, government, government-aided, and non-government aided (including minority) secondary schools are provided Rs. 20,000 for organizing educational tours for students. The objective of the scheme is to promote a balanced development of students by strengthening their educational, practical, and mental understanding. Visits to ancient, historical, and geographical sites have helped enhance students' knowledge and boost their self-confidence.

20. Bihar Student Credit Card Scheme

Under the Saat Nischay Programme's component "*Aarthik Hal, Yuvaon ka Bal,*" students of the State are provided education loans of up to Rs. 4 lakh for pursuing higher education. Under this scheme, the Bihar State Education Finance Corporation was established to provide education loans at an annual interest rate of 4 percent, while girl students and students with disabilities were offered loans at a concessional interest rate of only 1 percent. Reflecting the State's strong focus on gender equality and social inclusion, a departmental resolution dated 4 October 2025 has now revised the interest rate to zero, making education loans completely interest-free for all girl students.

21. PM Shri Scheme

Under the PM SHRI Scheme, schools showcase all components of the National Education Policy (NEP) 2020 and provide guidance to nearby schools for effective implementation of the NEP. It is noteworthy that, according to the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, the PM SHRI Scheme aims to establish more than 14,500 schools across the country, including 531 schools in Bihar.

22. PM-USHA Scheme

Under the Centrally Sponsored Pradhan Mantri Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA), financial assistance is provided to universities to promote multidisciplinary education and research. Under this scheme, universities are also given grants for strengthening institutional capacity and infrastructure to improve the overall quality of higher education.

23. Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) Scheme

This is an ambitious scheme of the Government of India aimed at ensuring the socio-economic development of the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). The scheme focuses on providing basic facilities such as housing, healthcare, education, electricity, drinking water, and connectivity, with the objective of bringing these communities into the mainstream and improving their overall standard of living.

24. Dharti Aaba Janjati Gram Utkarsh Abhiyan (DAJGUA)

The *Dharti Aaba Janjati Gram Utkarsh Abhiyan (DAJGUA)* is a major initiative of the Government of India aimed at ensuring the outreach of government schemes and services to tribal communities and promoting their overall socio-economic development. The campaign is being implemented in several states across the country, including Bihar. Named in honour of Birsa Munda, popularly known as “*Dharti Aaba*,” the initiative emphasises community participation (*jan bhagidari*), awareness generation, improvement of basic infrastructure such as education and healthcare, and the creation of sustainable livelihood opportunities for tribal populations.

Health Department

1. Janani awam Bal Suraksha Yojana (JBSY)

The scheme was launched in Bihar on July 01, 2006, to provide incentive amounts to pregnant women delivering at government health institutions. Under this scheme, beneficiaries in rural areas receive Rs 1,400 and those in urban areas receive Rs 1,000 after delivery, while Accredited Social Health Activists (ASHAs) are entitled to Rs 600 in rural areas and Rs 400 in urban areas, with this order effective from 1st April 2013. During the financial year 2025–26 (up to 25th December), a total of 10,78,144 women delivered in government health institutions under the scheme, compared to 16,15,563 women in 2024–25.

2. Janani evam Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)

JSSK was launched in 2011 to provide completely free healthcare services to all pregnant women in the state during pregnancy, at the time of institutional delivery, and to newborns up to one year of age. Under this programme, services such as medical check-ups, hospital meals, ambulance facilities, medicines, diagnostics, blood transfusion, and treatment are provided entirely free of cost, with all related expenditure borne by the State Government.

3. Maternal Death Surveillance Response (MDSR)

Bihar’s Maternal Mortality Ratio (MMR) has declined significantly from 208 (2011–13) to 104 (2021–23), and continued efforts are underway to bring it in line with the national average by 2025–26. To ensure safe delivery for all pregnant women, the state aims to reduce the MMR to below 70 per 100,000 live births by 2030, in accordance with the Sustainable Development Goals. In the state, 216 First Referral Units (FRU) have been identified, and Caesarean delivery facilities are currently available at 120 FRUs.

4. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA)

Under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, special PMSMA Days are observed on the 9th, 15th, and 21st of every month, providing four antenatal check-ups by specialists to all pregnant women at 1,270 health facilities, from medical colleges to notified Primary Health Centres. Essential investigations including blood, urine, and ultrasound are ensured, with High-Risk Pregnancies identified and given three additional ANC visits for safe institutional delivery. To improve quality of care, labour rooms and operation theatres in 170 health facilities are being certified under LaQshya, while the remaining delivery points are covered under NQAS. Under the SUMAN programme, all these initiatives ensure the prevention of avoidable maternal deaths.

5. Midwifery

The programme was launched in the state in 2019 with the objective of establishing Midwifery-Led Care Units (MLCUs) at sub-divisional hospitals, district (Sadar) hospitals, and medical college hospitals to ensure respectful, high-quality, and woman-centred childbirth. These services are provided by professionally trained Nurse Practitioners in Midwifery (NPMs). At present, MLCUs are operational at Guru Gobind Singh Hospital, Patna City, and Sub-Divisional Hospital, Danapur. During the current financial year, MLCUs have also been established at Jai Prakash Narayan Hospital, Gaya, and District Hospital, Begusarai, where services are being delivered by NPMs. The second batch of NPMs has completed training at State Midwifery Training Institutes (SMTIs) at IGIMS, Patna, while two additional SMTIs are functional at Nalanda Medical College Hospital, Patna, and JLNMCH, Bhagalpur.

6. Comprehensive Abortion Care (CAC)

Safe abortion services are being provided across all hospitals in the state—from medical college hospitals to primary health centres—by trained and specialist doctors. In addition, under the Yukti Yojana, these services are also delivered through private clinics at designated facilities in 27 districts in PPP mode. The Yukti Yojana has been operational in Bihar since 2008, significantly expanding access to safe and regulated abortion services for women.

7. Family Planning Programme

Under Mission Parivar Vikas (since November 2016), Bihar implements a comprehensive Family Planning Programme offering free services across all public health facilities. Female sterilization provides incentives of Rs 2,000 to beneficiaries and Rs 300 to motivators; post-partum cases receive Rs 3,000 and Rs 400, and post-abortion cases Rs 2,000 and Rs 300 respectively. Copper-T (IUCD) services are free (Cu-T 380A for 10 years, Cu-T 375 for 5 years), with Rs 300 compensation to beneficiaries and Rs 150 per case to ASHAs and providers for post-partum and post-abortion insertions. The injectable contraceptive Antara (launched October 2017) offers Rs 100 per injection to both beneficiaries and ASHAs. Community outreach includes Saas-Bahu-Beti Conferences (Rs 500 for organization, Rs 1,000 for gifts, Rs 100 to ASHAs), Nayi Pehal Kits for newly married couples (Rs 100 per kit to ASHAs), and the Family Planning Convergence Programme (since 2022-23), which engages Jeevika SHGs with incentives of Rs 100 per motivation, Rs 300 per month for eligible-couple listing, and Rs 160 per home visit. Additionally, the Adarsh Dampati Yojana (since 16 May 2012) rewards ASHAs with Rs 500 for delaying the first birth by two years, Rs 500 for a three-year gap between two children, and Rs 1,000 for motivating couples with two children to adopt permanent methods.

8. Referral Transport:

Through the centralized 102 Call Centre, a 24×7 free 102 ambulance service is provided to all pregnant women for transport from home to health facilities for delivery, return travel after delivery, and referral transfers to higher health institutions in case of complications. During the financial year 2024–25 (April 2024 to March 2025), a total of 1,088,532 pregnant women availed this free 102 ambulance service. In the financial year 2025–26 (April to November 2025), 955,412 pregnant women have already benefited from this service, ensuring timely, safe, and cost-free access to maternal healthcare services.

9. ASHA Programme

ASHAs play a crucial role in rural health awareness, service delivery, and planning. A total of 90,623 of 93,687 ASHAs (96.73%) and 4,368 of 4,685 ASHA Facilitators (93.23%) are currently working. Under the National Health Mission, incentives are paid for 65 activities, and ASHA Facilitators receive a travel allowance of Rs 500 per day for up to 21 days (maximum Rs 10,500 per month). Since December 2020, all incentive payments have been made directly to bank accounts through the ASHWIN portal. In FY 2025–26, Rs 2,500 was transferred to each ASHA and Facilitator for the purchase of two sarees. Additionally, 84,437 rural ASHAs and 4,093 ASHA Facilitators were provided smartphones, and Rs 200 per month is credited for mobile recharge. The state enhanced the fixed monthly honorarium from Rs 1,000 to Rs 3,000 and provides an ex-gratia of Rs 4 lakh to the family in case of death during service. Up to September 2025, a total of Rs 455.54 crore has been disbursed as incentive payments to ASHAs and ASHA Facilitators.

10. Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK)

Under the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram, International Menstrual Hygiene Day is observed every year on 28 May to promote awareness among adolescent girls and women about safe and hygienic menstrual practices. In FY 2025–26, 4,594 adolescent girls benefited from this initiative, for which the Government of India allocated Rs 14 lakh across 26 districts. Additionally, 210 Adolescent-Friendly Health Clinics (Yuva Clinics) are operational in 23 districts, providing counselling and medical services to adolescents aged 10–19 years; up to November 2025, 37,338 adolescent girls benefited in FY 2025–26. Under the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK), health screenings of children from birth to 18 years are conducted through mobile medical teams at Anganwadi centres and government/government-aided schools, with health cards issued during check-ups. During FY 2024–25 (1 April 2024 to 31 March 2025), 30,43,084 girls were screened, while in FY 2025–26 (1 April 2025 to 30 November 2025), 40,99,683 girls underwent health examinations.

11. National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NP-NCD)

Under the scheme, the State Government recognizes women who constitute nearly half of the population as a key pillar of overall development, making their health protection and care a critical responsibility. Due to changing lifestyles and dietary habits, cancer incidence has been rising rapidly from urban to rural areas, particularly breast cancer and cervical cancer among women. Under the National Health Mission, screening for these two cancers is being conducted across all districts through health institutions and special camps, along with awareness generation on occasions such as World Cancer Day. To date, 30,87,656 women have been screened for breast cancer and 11,13,604 women for cervical cancer. Suspected and confirmed cases are referred to SKMCH, Muzaffarpur, and other higher health institutions, including all medical college hospitals in the State. Additionally, day-care chemotherapy centres are providing treatment under this programme, with 15 centres operational in 17 districts, 2 under process, and expansion underway in 21 newly identified districts.

12. Mamta Programme

Under this programme, women mainly from the Scheduled Caste community, particularly the Ravidas group, are engaged as *Mamta* workers to support pregnant women and newborns. From July 2025, an incentive of Rs. 600 per delivery is provided. Currently, about 5,203 Mamta workers are working across the State. In case of death during service, the State Government grants an ex gratia of Rs. 4 lakh to the dependent family.

13. Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana

Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana is an ambitious initiative of the State Government aimed at encouraging the birth of girls, improving the sex ratio, reducing infant mortality and total fertility rates, and empowering girls by bringing them into the social mainstream. Under the health component of the scheme, incentives are provided for institutional deliveries in government health facilities. For the first and second child, if a girl child is born (up to two girl children in order of priority), an incentive of Rs. 2,000 per beneficiary is given after birth and upon completion of full immunisation of the first and second girl child up to the age of two years. The incentive is transferred to the girl's parents or guardians through DBT by the State Health Society (Health Department), based on data maintained on the designated portal.

Rural Development Department

1. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) (Rural)

PMAY (Rural) has been implemented since 2016–17 by restructuring the Indira Awas Yojana to provide permanent houses with basic amenities to homeless rural families and those living in kutcha or dilapidated houses. Under the scheme, eligible beneficiaries receive Rs. 1.20 lakh per household in three instalments, transferred directly to their bank accounts through the DBT system from the state-level nodal account. Priority is given to sanctioning houses in the name of a female family member. As of 30.12.2025, a total of 4,908,583 houses have been sanctioned, including 1,790,597 in the names of women, 2,279,759 jointly in the names of women and men, and 838,141 in the names of men alone. From 2016–17 to date, total expenditure amounts to Rs. 5,395,243.00 lakh, while in 2025–26, expenditure so far is Rs. 489,864.75 lakh.

2. Mukhyamantri Grameen Awas Yojana

The State-Sponsored Housing Scheme, operational since 2018-19, provides financial assistance for house construction to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Extremely Backward Class families whose homes, built under earlier housing schemes before 1 January 1996, are now dilapidated and who are ineligible for the Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin). Additionally, all homeless eligible families not on the PMAY (Gramin) waiting list, including those in five severely affected blocks of Muzaffarpur district—Bachhauli, Kanti, Minapur, Motipur, and Mushahari—receive assistance for house construction based on fund availability. Beneficiaries receive Rs. 1.20 lakh per household in three instalments, directly transferred from the state-level nodal account to their bank accounts. As of 30.12.2025, out of a physical target of 94,101 houses for 2018-19, 2021-22, 2023-24, and 2024-25, 91,896 houses have been sanctioned, with 82,664

completed. Priority is given to sanctioning in the name of female members, with exceptions for joint approvals or absence of female members. Since 2018-19, total expenditure is Rs. 104,568.80 lakh, with Rs. 3,607.55 lakh spent so far in 2025-26.

3. Mukhyamantri Grameen Awas Sahayta Yojana

The State-Sponsored Chief Minister Rural Housing Assistance Scheme, operational since FY 2020-21, provides Rs. 50,000 per household to SC, ST, and Extremely Backward Class families who previously received benefits under the Indira Awas Yojana (pre-01.04.2010) but whose houses remain incomplete. As of 30.12.2025, out of the target of 46,949 houses for 2023-24, 2024-25, and 2025-26, 44,929 houses have been sanctioned, with 41,420 completed. Priority is given to female family members. Total expenditure to date is Rs. 21,711.50 lakh, including Rs. 473.20 lakh spent in 2025-26.

4. Lohiya Swachh Bihar Abhiyan (LSBA)

To achieve the “Toilet Construction – Respect for Home” goal under Developed Bihar’s Seven Resolves-1, the Lohiya Swachh Bihar Campaign integrated the Swachh Bharat Mission (Rural) and Lohiya Swachhta Yojana. Through awareness campaigns, 1.22 crore families were provided access to individual toilets. Eligible rural families—including SC/ST, small/marginal farmers, landless laborers, differently-abled, and women-headed households—receive Rs. 12,000 per household for toilet construction. Under Phase II, 22.74 lakh individual toilets were constructed, including 1.56 lakh in 2025-26. Additionally, 9,436 community sanitation complexes have been built since 2019-20 for landless, SC/ST, and temporary populations.

5. Jeevika - Bihar Rural Livelihood Promotion Society

Bihar Rural Livelihood Promotion Society, or JEEVIKA, is the state government’s flagship project aimed at rural development, women empowerment, and poverty alleviation. It establishes institutional structures for women in poor families, providing financial support, accounting, and livelihood guidance.

- (a) **Social Inclusion:** To date, 11.45 lakh self-help groups (SHGs) have been formed, linking over 1.4 crore families, along with 73,515 village organizations and 1,684 cluster federations.
- (b) **Financial Inclusion:** Banks have opened 10.49 lakh SHG savings accounts and provided loans worth Rs. 59,250 crore. Customer service centres have been established by training 6,443 bank correspondents.
- (c) **Insurance and Loan Support:** About 91.12 lakh SHG members have been insured. In FY 2025-26, around 1 lakh SHGs received loans totalling Rs. 4,504 crore. To promote women’s entrepreneurship, the state has formed the Bihar State JEEVIKA Nidhi Credit Cooperative Federation, Patna.
- (d) **Agricultural Activities:** So far, 42.54 lakh small and marginal farmers have been linked to agricultural activities. Through 61 women-run producer companies, farmers receive incentives, product aggregation, and market linkages. In coordination with the Agriculture Department, 520 Custom Hiring Centres have been established and are operational under cluster federations. To promote organic farming, 85 organic clusters have been developed across 35 blocks, connecting 6,832 farmers. In 2025-26, around 6.07 lakh women farmers have been linked to various agriculture-related schemes, ensuring financial and technical support.

(e) Livestock Activities: In collaboration with the Animal and Fisheries Resources Department, 1.50 lakh families have been linked to poultry and goat/sheep rearing under the Integrated Poultry Development and Integrated Goat & Sheep Development Schemes. 7,736 trained “Pashu Sakhis” are serving 8.06 lakh goat-rearing families, and 10.05 lakh goats have been vaccinated so far. In Araria, the Seemanchal Goat Producer Company has linked 19,956 families. With support from the National Dairy Development Board, the Kaushiki Milk Producer Company in the Kosi division has established 889 milk collection centres, through which 38,561 livestock farmers sell milk, collecting an average of 72,000 litres of milk per day.

(f) Health, Nutrition and Sanitation

JEEViKA plays a crucial role in improving health, nutrition and sanitation outcomes in Bihar by serving as a National Resource Organisation for community institution building and contributing to NRLM activities in other states. It has established 45 Health Support Centres to assist patients in hospitals, promoted women-led initiatives such as a sanitary napkin manufacturing unit in Buxar district, and encouraged Ayushman Card enrolment through incentives provided to cadres by the Bihar State Health Security Committee. In coordination with the Health and Social Welfare Departments, JEEViKA facilitates service delivery through Arogya Diwas, Annaprashan Diwas and Godbharai activities at Anganwadi Centres, while meetings of JEEViKA-supported Village Organisations enable Anganwadi workers and ASHAs to actively disseminate health and nutrition-related information at the community level.

(g) Mahila Samvad

Mahila Samvad was launched from 18 April 2025 following the Hon’ble Chief Minister’s directions during the Pragati Yatra to review scheme implementation and resolve local issues through direct interaction with senior officials. The programme created a platform for community dialogue and spread awareness about state government initiatives for women’s welfare through meetings, leaflets, and video films. Using 600 awareness vehicles, the campaign covered over 70,000 locations and successfully reached more than 1.55 crore women across Bihar.

(h) Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana

The Bihar Government has launched the *Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana* to empower women economically and promote self-reliance, implemented through JEEViKA. Under this scheme, one woman from each family receives Rs 10,000 as initial financial support to start her chosen livelihood activity. After commencing employment, additional assistance of up to Rs 2 lakh may be provided as needed to strengthen their enterprise. To ensure market access, dedicated haat-bazaars will be developed from villages to cities for selling women’s products. So far, more than 1.56 crore women have already benefited, receiving Rs 10,000 each to initiate income-generating activities, uplifting families and improving living standards.

(i) Lakhpati Didi

Under the Lakhpati Didi initiative, JEEViKA targets women whose annual income has crossed Rs 1,00,000 after joining self-help groups, granting them the title of “Lakhpati Didi.” The program provides training in sustainable livelihood activities, enabling women to build long-term income sources. Currently, 31.71 lakh women in Bihar have been recognized as Lakhpati Didi. JEEViKA also functions nationally as a resource organization for community building, health, nutrition, and sanitation, with Bihar’s women contributing to training and capacity building under the National Rural Livelihood Mission. This effort has enhanced women’s social acceptance, strengthened their self-confidence, and fuelled their enthusiasm for positive change.

6. MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), all willing adult members of rural households are entitled to 100 days of unskilled employment each year to provide livelihood security to poor and unemployed families and to curb migration from rural areas to other states. This is a Centrally Sponsored Scheme in which the Central Government bears 100 percent of unskilled wage costs, 75 percent of material costs within prescribed limits, and 6 percent of total expenditure towards administrative expenses, while the State Government contributes 25 percent of material costs. During 2024–25, against an approved labour budget of 21 crore person-days, 17.40 crore person-days were generated up to December 2025. Expenditure of Rs 4,418.45 crore on wages and Rs 1,501.82 crore on materials and administration led to the creation of 53.99 lakh assets, with women accounting for 55.10 percent of total person-days generated.

Revenue and Land Reforms Department

1. Abhiyan Basera Karyakarm

The department is implementing the Abhiyan Basera–II Programme to provide homestead land to landless families by surveying eligible households and issuing settlement certificates. Under the scheme, a total of 1,37,602 landless families have been surveyed so far, out of which 68,241 families have been provided with homestead land, mainly from government land such as Gair Mazrua Aam or Khas land. In cases where government land is not available, the Mukhyamantri Griha Sthal Kraya Sahayata Yojana, 2024 has been launched, under which eligible landless families are given an incentive of Rs 1 lakh for the purchase of private land. Under Abhiyan Basera–II, land is allotted in the name of women members from eligible categories, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Backward Classes–I and II, ensuring 100 percent women beneficiaries. For the financial year 2025–26, a budget provision of Rs 10.00 crore has been made for the scheme.

2. Bihar Special Survey and Settlement Programme

The Bihar Special Survey and Settlement Programme, implemented under the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011, aims to ensure speedy, transparent and high-quality resolution of land-related matters. The programme has initiated survey and settlement activities for preparing records of rights and land maps in all revenue villages through 10,733 contractual personnel,

including 2,469 women (23 %). In 2024–25, about Rs 89 crore was paid to contractual women personnel, while expenditure of around Rs 142.00 crore is expected in 2025–26. Additionally, doorstep revenue services have been launched across all circles, where 816 women (12 %) are working against 6,685 regular staff under the Revenue and Land Reforms Department.

Industry Department

1. Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana

Under Saat Nischay Part–2, the Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana has been implemented from 2021–22 to promote entrepreneurship and self-employment among women, building on the earlier Mukhyamantri SC/ST/EBC Udyami Yojana. Under the scheme, women setting up industrial units are provided project support up to Rs 10.00 lakh per unit, of which 50 percent is given as an interest-free loan and the remaining 50 percent as a grant, maintaining a 50:50 loan–grant ratio. Loan recovery begins one year after the payment of the final instalment and is made in 84 equal instalments by the Bihar Start-up Fund Trust, which also implements the scheme. In addition, Rs 25,000 per unit is provided for beneficiary training and project monitoring support. For the financial year 2026–27, a total budget provision of Rs 23,766.00 lakh has been proposed, with 100 percent of the allocation earmarked for training, loans and subsidies for women entrepreneurs.

Public Health and Engineering Department

1. Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana

Under the Saat Nischay Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana, piped water supply schemes and household tap connections under Har Ghar Nal Ka Jal are being implemented in 10,719 uncovered habitations under the Public Health Engineering Department and 16,124 uncovered habitations under schemes transferred from the Panchayati Raj Department, covering both quality-affected and non-quality-affected areas. These initiatives aim to ensure universal access to safe drinking water, and it is estimated that around 45 percent of the total expenditure contributes directly to women’s development by reducing their time burden and improving health and well-being.

Transport Department

1. Exemption in vehicle taxes for women

If a three-wheeler, taxi, motor cab, maxi cab is registered in the name of a woman herself who drives the vehicle or any other woman having a commercial driving license issued by the Transport Department, in that case, she gets 100 percent exemption in vehicle tax.

2. Pink Buses

The Pink Bus Initiative ensures safe, affordable travel for women across six districts—Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur, Darbhanga, Purnea, and Gaya, with 100 CNG-powered buses. Equipped

with CCTV, panic buttons, GPS, and electronic ticketing, the buses enhance security and transparency. The scheme promotes women's economic empowerment by creating jobs as conductors and training them as drivers, advancing gender-responsive urban transport.

Excise and Registration Department

1. Exemption on Stamp Duty and Gift Deeds

To uplift the status of women, stamp duty concessions were introduced: (i) for sale deeds, 5.7% when transferred from men to women, 6.3 percent from women to men, and 6 percent otherwise; (ii) for sale and gift deeds, 1.9 percent from men to women, 2.1 percent from women to men, and 2 percent otherwise. Additionally, 10-bedded women's barracks have been built in excise offices and prohibition police stations, supporting female staff under 35 percent reservation.

Panchayati Raj Department

1. Participation of Women in Elected Representatives of the Three-Tier Panchayati Raj Institutions

In line with the 73rd Constitutional Amendment, powers and responsibilities are being progressively devolved to three-tier Panchayati Raj Institutions to strengthen decentralised governance and public participation in development. To ensure women's equal participation in social and political life, 50 percent reservation for women has been provided in Panchayati Raj elections, which has significantly increased women's representation, leadership and active role in local governance and decision-making.

2. Mukhyamantri Kanya Vivah Mandap Yojana

Under the Mukhyamantri Kanya Vivah Mandap Yojana, the Bihar Government will construct marriage halls in all 8,053 Gram Panchayats, as mandated by provisions of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006. The construction will be completed in phases over five financial years, from 2025-26 to 2029-30. These halls will serve the social and cultural needs of rural communities, providing economic support while promoting women's welfare. The initiative will also strengthen local economic development, foster community unity, and encourage environmental protection, thereby contributing significantly to women's upliftment and overall socio-economic progress in rural Bihar.

3. Participation of Women in Gram Kachahari

Under the Panchayati Raj Act of Bihar, Gram Kachahari has been established at the level of each Gram Panchayat. Section 106 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, attempts to provide inexpensive and accessible justice at the rural level. A provision of 35% reservation for women has been made in the appointment of Gram Kachahari Secretary and Nyaymitra. Due to the 50% reservation for women in Panchayati Raj Institutions, women's participation in Gram Kachahari has continuously increased. In the 2021 Panchayat elections, women accounted for 59.55% of elected Panchs and Sarpanchs. These provisions have significantly strengthened the protection of women's rights and enhanced their role in grassroots governance and justice delivery across Bihar.

4. Public Library and Free Wi-Fi Facility

Based on the recommendations of the Sixth State Finance Commission and the Fifteenth Finance Commission, public libraries with free Wi-Fi facilities are being established in every Gram Panchayat across Bihar. This initiative is designed to support the educational and economic advancement of rural communities, particularly benefiting bright and underprivileged students as well as women, by providing access to knowledge, digital resources, and opportunities for growth.

5. Open Gyms and Public Toilets:

On the recommendations of the Sixth State Finance Commission and the Fifteenth Finance Commission, open gyms and public toilets are being constructed in every Gram Panchayat. This is an important step toward improving the health and hygiene of rural communities, especially women and children.

6. Women's Assemblies:

At the Panchayat/Village level, provisions have been made to organise special assemblies in Panchayat Government Buildings to honour and empower women.

Law Department

1. Implementation of the Bihar Victim Compensation Scheme for Women

The Bihar Victim Compensation Scheme was first introduced in 2011 following directives from the Ministry of Home Affairs and the High Court regarding acid sales and minor cases like Laxmi. It was later revised and notified as the Bihar Victim Compensation Scheme, 2014 in line with Supreme Court communications, and further aligned with the National Legal Services Authority's 2018 framework approved by the Supreme Court. Under this scheme, victims of acid attacks, rape, child sexual abuse, human trafficking, sexual assault (excluding rape), foeticide, and loss of reproductive capacity receive financial compensation for rehabilitation. The scheme is implemented by the Bihar State Legal Services Authority, Patna, with departmental budget allocations. For this purpose, Rs 25 crore was sanctioned in 2024-25, Rs 30 crore in 2025-26, and a proposal for Rs 30 crore has been submitted for 2026-27.

Urban Development and Housing Department

1. Jal-Jeevan-Hariyali Campaign

Under the Jal-Jeevan-Hariyali Campaign, urban water conservation and environmental works are underway. So far, 192 of 1,839 ponds have been renovated, 400 of 522 government buildings have been equipped with rainwater harvesting, 11,435 of 15,625 hand pumps have been restored, and 3,526 of 4,443 public wells have been equipped with soak pits constructed, and 4,467 of 5,309 wells have been restored. These initiatives benefit the entire urban population, and around

30 percent of the total budget expenditure is earmarked for the Gender Budget, supporting women and community well-being.

2. Mukhyamantri Shariyari Gali-Naali Pakki Karan Nischay Yojana

Under the Mukhyamantri Shariyari Gali-Naali Pakki Karan Nischay Yojana (Road and Bridge Construction), narrow lanes less than 10 feet wide are being paved with paver blocks, which is important from a safety and accessibility perspective. In 2025–26, administrative approval has been granted for 491 road and drain construction projects across various urban local bodies, with a total expenditure of Rs 368.85 crore. These works benefit the entire urban population, and approximately 30 percent of the total budget is earmarked under the Gender Budget.

3. Fixed Allowance for Elected Representatives:

Elected representatives of the state’s urban local bodies are provided a prescribed fixed allowance, of which 50% is earmarked for women.

Environment, Forest and Climate Change Department

1. Role in Forest Conservation and Eco-Tourism

In Bihar, women actively support forest and wildlife protection, eco-tourism, and livelihood programs. Through initiatives like “Rakshasutra” for tree safety, forest patrols, and plantation drives, they contribute to sustainability. The Forest Department promotes their participation in time-bound forestry schemes to improve income and strengthen socio-economic empowerment.

2. Forestry and Nursery Establishment Scheme

The department engages Jeevika Didis in forestry and nursery programs to boost women’s participation and provide steady income, linking conservation with livelihood.

3. Mukhyamantri Private (Other Species) Nursery Scheme

Annual allocations support Jeevika Didis in raising nurseries, earning about Rs 4.8 lakh per nursery each year while promoting afforestation and women’s empowerment.

4. Women’s Participation in Biodiversity Conservation

To protect Bihar’s biodiversity under the Biodiversity Act, resources are documented at the Gram Panchayat level via the Biodiversity Register, enabling fair sharing of income from biological resource trade. Traditional knowledge is shared to raise community awareness, with a focus on maximizing women’s participation in Panchayat-level biodiversity management, ensuring their active role in conservation and benefit-sharing.

General Administration Department

Gender Budget Cell

The General Administration Department’s Gender Budget Cell analyses the gender impact of schemes, compiles gender-disaggregated data of beneficiaries of the 35 percent reservation in state government jobs, and trains officials in gender sensitisation and budget analysis to improve women’s access to services, participation in decision-making, and economic empowerment.

Agriculture Department

The Agriculture Department gives priority to women's participation in all schemes. More than 2 crore farmers are registered on the DBT portal, of which 82.98 lakh are women. Gender sensitivity is integrated through capacity building, training, and targeted support for women farmers.

1. Mushroom Production Scheme

Women farmers receive a 50% subsidy up to Rs 10 lakh per unit for setting up mushroom production units. A 90% subsidy is provided for the distribution of spawn and mushroom compost kits. For hut-based mushroom cultivation, financial support of Rs 89,750 is available.

2. Beekeeping Scheme

To promote beekeeping in horticulture and mustard-growing areas, women farmers are encouraged through subsidies on inputs. A 75 percent subsidy up to Rs 1,500 per unit is provided for the general category and 90 percent up to Rs 1,800 for SC/ST women on bee colonies/boxes, beehives, and honey extractors with food-grade containers.

3. Women's Food Security Groups

Women farmers are organised into Food Security Groups to strengthen capacity and livelihoods. Each group is provided with Rs. 10,000 for seed purchase. Under the ATMA scheme, women are ensured 33 percent participation in training, exposure visits, demonstrations, and study tours at the district, state, and national levels.

4. Agricultural Mechanisation Scheme

The scheme is implemented across all districts, offering subsidies on 75 types of agricultural machinery related to land preparation, sowing, weeding, irrigation, harvesting, residue management, and horticulture. So far, 409 Custom Hiring Centres/Farm Machinery Banks have been established by women and JEEViKA groups. Grants of Rs 4 lakh, Rs 8 lakh, and Rs 12 lakh are provided for machinery banks, with subsidies capped at 80 percent of the machine cost.

5. Watershed Development Scheme

Under the Watershed Development component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, women are given priority in awareness campaigns, training programmes, and livelihood activities. Women farmers are also prioritised in the construction of water harvesting ponds and irrigation wells to enhance water security and farm productivity.

Gender Budget 2026-27
Table 5. Departmentwise Statement

(Rs. in Lakh)

D.No.	Departments	2024-25 (Gender Budget Actual)	2025-26 (Gender Budget BE)	2025-26 (Gender Budget RE)	2026-27 (BE)	2026-27 (Gender Budget BE)
1	Agriculture Department	54285.96	84068.10	98441.45	248417.31	74525.19
3	Building Construction Department	90139.40	67067.26	123970.93	153819.36	72385.91
8	Art and Culture Department	5748.91	10498.49	10180.38	17175.18	6870.07
11	BC & EBC Welfare Department	83113.65	84991.78	107752.39	169449.77	93209.98
16	Panchayati Raj Department	200315.84	224298.44	271316.15	505408.40	252704.20
18	Food and Consumer Protection Department	60878.88	42290.56	70280.74	82042.96	39380.62
19	Environment, Forest and Climate Change Department	7167.15	7675.48	8690.14	21168.99	7409.15
20	Health Department	241583.05	213041.63	779905.21	669503.57	382052.25
21	Education Department	1600730.50	1795991.18	3184577.97	5701922.30	2043122.81
22	Home Department	21.88	71.00	105.00	42.00	42.00
23	Industry Department	73435.68	58640.40	49885.01	103160.01	53264.00
26	Labour Resources & Migrant Worker Welfare Department	12199.24	21131.80	25747.10	0.00	0.00
27	Law Department	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
30	Minority Welfare Department	16807.62	22020.40	24940.40	40934.00	17030.30

33	General Administration Department	28853.99	43492.12	46102.42	124400.14	43540.05
36	Public Health Engineering Department	72687.84	101382.65	114982.65	200166.00	90074.70
40	Revenue and Land Reforms Department	41502.82	59152.23	40918.82	213476.99	64393.10
42	Rural Development Department	604836.51	1124208.93	3427428.17	2308485.00	1932022.06
43	Science, Technology and Technical Department	31033.21	37928.72	39435.54	96803.06	33960.53
44	SC & ST Welfare Department	67823.60	75186.40	92189.70	213244.55	87078.04
46	Tourism Department	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
47	Transport Department	3306.35	5307.59	5402.04	19004.22	5711.11
48	Urban Development & Housing Department	92486.84	185008.59	321438.56	949379.08	284813.72
51	Social Welfare Department	748482.31	553338.42	1447222.39	833764.18	534159.59
52	Sports Department	6994.02	6559.26	16769.95	22001.80	11000.90
53	Youth, Employment and Skill Development Department	0.00	0.00	0.00	42998.00	13078.75
54	Higher Education Department	0.00	0.00	0.00	715960.19	230100.97
Total		4153557.12	4865651.41	10352583.11	13499927.06	6396430.02

Amount shown in Total Budget is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

Gender Budget 2026-27

Table 6: Department-wise Gender Budget Allocation for FY 2026-27

(Rs. in Lakh)

Demand No.	Departments	Budget Provision (Identified Budget Head)	100% Amount Allotted for Women	Minimum 30% Amount Allotted for Women	Total Gender Budget
1	Agriculture Department	248417.31	0.00	74525.19	74525.19
3	Building Construction Department	153819.36	1200.00	71185.91	72385.91
8	Art and Culture Department	17175.18	0	6870.07	6870.07
11	BC & EBC Welfare Department	169449.77	13807.59	79402.39	93209.98
16	Panchayati Raj Department	505408.40	0.00	252704.20	252704.20
18	Food and Consumer Protection Department	82042.96	0.00	39380.62	39380.62
19	Environment, Forest and Climate Change Department	21168.99	0.00	7409.15	7409.15
20	Health Department	669503.57	190418.04	191634.21	382052.25
21	Education Department	5701922.30	73000.00	1970122.81	2043122.81
22	Home Department	42.00	42.00	0.00	42.00
23	Industry Department	103160.01	20000.00	33264.00	53264.00
27	Law Department	3000.00	0.00	2400.00	2400.00
30	Minority Welfare Department	40934.00	50.00	16980.30	17030.30
33	General Administration Department	124400.14	0.00	43540.05	43540.05
36	Public Health Engineering Department	200166.00	0.00	90074.70	90074.70

40	Revenue and Land Reforms Department	213476.99	500.00	63893.10	64393.10
42	Rural Development Department	2308485.00	1321738.00	610284.06	1932022.06
43	Science, Technology and Technical Department	96803.06	122.25	33838.28	33960.53
44	SC & ST Welfare Department	213244.55	0.00	87078.04	87078.04
46	Tourism Department	44200.00	0.00	22100.00	22100.00
47	Transport Department	19004.22	0.00	5711.11	5711.11
48	Urban Development & Housing Department	949379.08	0.00	284813.72	284813.72
51	Social Welfare Department	833764.18	114494.44	419665.15	534159.59
52	Sports Department	22001.80	0.00	11000.90	11000.90
53	Youth, Employment and Skill Development Department	42998.00	256.21	12822.54	13078.75
54	Higher Education Department	715960.19	21875.59	208225.38	230100.97
Total		13499927.06	1757504.12	4638925.90	6396430.02

Amount shown in Total Budget is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

Gender Budget 2026-27 Department-wise Statement

Table 7: Establishment and Committed Expenditure

(Rs. in Lakh)

Demand No.	Departments	2024-25 (Gender Budget Actual)	2025-26 (Gender Budget BE)	2025-26 (Gender Budget RE)	2026-27 (BE)	2026-27 (Gender Budget BE)
03	Building Construction Department	0.00	13665.01	14257.01	36834.55	14733.82
08	Art and Culture Department	0.00	8294.49	7976.38	11093.18	4437.27
11	BC and EBC Welfare Department	6340.78	10333.91	13729.90	17150.77	14815.54
16	Panchayati Raj Department	0.00	222848.44	239688.15	502525.40	251262.70
20	Health Department	11103.14	13822.17	30892.13	25316.61	18477.47
21	Education Department	437184.08	1049820.97	1758336.19	4012695.30	1404443.36
22	Home Department	19.89	42.00	42.00	42.00	42.00
27	Law Department	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
33	General Administration Department	22763.99	36769.74	39380.05	104169.20	36459.22
40	Revenue and Land Reforms Department	26727.99	45792.24	14293.05	168752.03	50625.61
42	Rural Development Department	0.00	0.00	34751.00	73500.00	73500.00
43	Science , Technology and Technical Education Department	19047.97	23648.72	24939.25	74303.06	26085.53
44	SC & ST Welfare Department	9232.02	12545.25	16696.59	59304.37	19924.49

47	Transport Department	3306.35	5307.59	5402.04	19004.22	5711.11
51	Social Welfare Department	1742.70	1975.30	1990.25	1923.16	1923.16
52	Sports Department	705.52	905.98	4693.83	9551.80	4775.90
54	Higher Education Department	0.00	0.00	0.00	695360.19	209920.97
Total		538174.42	1447571.80	2209467.82	5814525.84	2139538.16

Amount shown in Total Budget is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

Gender Budget 2026-27 Department-wise Statement
Table 8: Scheme (State Scheme/Central Scheme)

(Rs. in Lakh)

Demand No.	Departments	2024—25 (Gender Budget Actual)	2025—26 (Gender Budget BE)	2025—26 (Gender Budget RE)	2026—27 (BE)	2026—27 (Gender Budget BE)
01	Agriculture Department	54285.96	84068.10	98441.45	248417.31	74525.19
03	Building Construction Department	82066.79	53402.25	109713.92	116984.81	57652.09
08	Art and Culture Department	1092.03	2204.00	2204.00	6082.00	2432.80
11	BC and EBC Welfare Department	76772.87	74657.87	94022.49	152299.00	78394.44
16	Panchayati Raj Department	15922.58	1450.00	31628.00	2883.00	1441.50
18	Food and Consumer Protection Department	60878.88	42290.56	70280.74	82042.96	39380.62
19	Environment, Forest and Climate Change Department	7167.15	7675.48	8690.14	21168.99	7409.15
20	Health Department	230479.91	199219.46	749013.08	644186.96	363574.78
21	Education Department	1163546.42	746170.21	1426241.78	1689227.00	638679.45
22	Home Department	1.99	29.00	63.00	0.00	0.00
23	Industry Department	73435.68	58640.40	49885.01	103160.01	53264.00
26	Labour Resources & Migrant Worker Welfare Department	12199.24	21131.80	25747.10	0.00	0.00
30	Minority Welfare Department	16807.62	22020.40	24940.40	40934.00	17030.30
33	General Administration Department	6090.00	6722.38	6722.37	20230.94	7080.83
36	Public Health Engineering Department	72687.84	101382.65	114982.65	200166.00	90074.70
40	Revenue and Land Reforms Department	14774.83	13359.99	26625.76	44724.96	13767.49
42	Rural Development Department	604836.51	1124208.93	3392677.17	2234985.00	1858522.06

43	Science, Technology and Technical Department	11985.25	14280.00	14496.29	22500.00	7875.00
44	SC & ST Welfare Department	58591.58	62641.15	75493.11	153940.18	67153.55
46	Tourism Department	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
48	Urban Development & Housing Department	92486.84	185008.59	321438.56	949379.08	284813.72
51	Social Welfare Department	746739.62	551363.12	1445232.14	831841.02	532236.43
52	Sports Department	6288.50	5653.28	12076.12	12450.00	6225.00
53	Youth, Employment and Skill Development Department	0.00	0.00	0.00	42998.00	13078.75
54	Higher Education Department	0.00	0.00	0.00	20600.00	20180.00
Total		3418259.95	3418079.61	8143115.29	7685401.22	4256891.86

Amount shown in Total Budget is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

Gender Budget 2026-27 Department-wise Statement

Table 9: Class A- 100% for Women

(Rs. in Lakh)

Demand No.	Departments	2024—25 (Gender Budget Actual)	2025—26 (Gender Budget BE)	2025—26 (Gender Budget RE)	2026—27 (BE)	2026—27 (Gender Budget BE)
3	Building Construction Department	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00
11	BC & EBC Welfare Department	5750.75	9512.92	12872.98	13807.59	13807.59
20	Health Department	127441.32	19839.02	221774.47	190418.04	190418.04
21	Education Department	325408.36	89084.64	387263.64	73000.00	73000.00
22	Home Department	21.88	71.00	105.00	42.00	42.00
23	Industry Department	25000.00	25000.00	5000.00	20000.00	20000.00
26	Labour Resources & Migrant Worker Welfare Department	2775.18	3700.00	5204.00	0.00	0.00
30	Minority Welfare Department	110.00	100.00	100.00	50.00	50.00
40	Revenue and Land Reforms Department	0.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00
42	Rural Development Department	453657.15	548501.00	2802152.53	1321738.00	1321738.00
43	Science, Technology and Technical Department	69.53	117.41	117.41	122.25	122.25
51	Social Welfare Department	112249.03	119734.55	308340.12	114494.44	114494.44

53	Youth, Employment and Skill Development Department	0.00	0.00	0.00	256.21	256.21
54	Higher Education Department	0.00	0.00	0.00	21875.59	21875.59
Total		1052483.20	816660.54	3743930.15	1757504.12	1757504.12

Amount shown in Total Budget is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

A growth of 115 percent is recorded compared to the previous year

Gender Budget 2026-27 Department-wise Statement
Table 10. Class B-30% for Women

(Rs. in Lakh)

Demand No.	Departments	2024-25 (Gender Budget Actual)	2025-26 (Gender Budget BE)	2025-26 (Gender Budget RE)	2026-27 (BE)	2026-27 (Gender Budget BE)
1	Agriculture Department	54285.96	84068.10	98441.45	248417.31	74525.19
3	Building Construction Department	90139.40	67067.26	123970.93	152619.36	71185.91
8	Art and Culture Department	5748.91	10498.49	10180.38	17175.18	6870.07
11	BC & EBC Welfare Department	77362.90	75478.86	94879.41	155642.18	79402.39
16	Panchayati Raj Department	200315.84	224298.44	271316.15	505408.40	252704.20
18	Food and Consumer Protection Department	60878.88	42290.56	70280.74	82042.96	39380.62
19	Environment, Forest and Climate Change Department	7167.15	7675.48	8690.14	21168.99	7409.15
20	Health Department	114141.73	193202.61	558130.74	479085.53	191634.21
21	Education Department	1275322.14	1706906.54	2797314.33	5628922.30	1970122.81
23	Industry Department	48435.68	33640.40	44885.01	83160.01	33264.00
26	Labour Resources & Migrant Worker Welfare Department	9424.06	17431.80	20543.10	0.00	0.00
27	Law Department	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
30	Minority Welfare Department	16697.62	21920.40	24840.40	40884.00	16980.30
33	General Administration Department	28853.99	43492.12	46102.42	124400.14	43540.05
36	Public Health Engineering Department	72687.84	101382.65	114982.65	200166.00	90074.70
40	Revenue and Land Reforms Department	41502.82	58152.23	39918.82	212976.99	63893.10

42	Rural Development Department	151179.36	575707.93	625275.64	986747.00	610284.06
43	Science, Technology and Technical Department	30963.69	37811.31	39318.13	96680.81	33838.28
44	SC & ST Welfare Department	67823.60	75186.40	92189.70	213244.55	87078.04
46	Tourism Department	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
47	Transport Department	3306.35	5307.59	5402.04	19004.22	5711.11
48	Urban Development & Housing Department	92486.84	185008.59	321438.56	949379.08	284813.72
51	Social Welfare Department	636233.28	433603.87	1138882.27	719269.74	419665.15
52	Sports Department	6994.02	6559.26	16769.95	22001.80	11000.90
53	Youth, Employment and Skill Development Department	0.00	0.00	0.00	42741.79	12822.54
54	Higher Education Department	0.00	0.00	0.00	694084.60	208225.38
Total		3101073.92	4048990.87	6608652.96	11742422.94	4638925.90

An increase of 14.57% is recorded compared to the last year.



जेंडर बजट

2026—27

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्राक्कथन

जेंडर बजट निर्माण एक प्रभावी वित्तीय उपकरण है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना निर्माण एवं बजटीय प्रक्रियाओं में लैंगिक दृष्टिकोण को समाहित करता है। इसके अंतर्गत महिला-केंद्रित योजनाओं के साथ-साथ सरकार की व्यापक योजनाओं के लैंगिक प्रभाव का आकलन किया जाता है। नीतिगत प्रतिबद्धताओं को बजटीय आबंटनों से जोड़कर यह लैंगिक असमानताओं को कम करने और सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने में सहायक होता है। बिहार सरकार समावेशी एवं सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा जेंडर बजट निर्माण महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समान विकास परिणाम प्राप्त करने हेतु वित्तीय नीति के समग्र ढांचे में लैंगिक मुख्य धारा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बिहार में मानव विकास में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार 498.21 लाख महिलाएँ और बालिकाएँ हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं और प्रगति की सशक्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कल्याणकारी उपायों में सतत निवेश के महत्व को रेखांकित करती है। इस क्षमता को साकार करना समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित लक्ष्य-5 के अनुरूप है। इसी दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हुए बिहार सरकार ने वर्ष 2008-09 से जेंडर बजट निर्माण को संस्थागत रूप दिया है, जिससे वित्तीय योजना एवं संसाधन आबंटन में लैंगिक प्राथमिकताओं को समाहित किया गया है। यह सक्रिय पहल महिलाओं को समान भागीदार के रूप में विकास प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाकर बिहार को सतत एवं न्यायसंगत प्रगति की दिशा में तीव्र गति प्रदान करती है।

बिहार का जेंडर बजट महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्रित पहल है, जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर नीति निर्माण के प्रत्येक चरण में लैंगिक दृष्टिकोण को समाहित किया गया है। पिछले उन्नीस वर्षों में राज्य सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अनेक वित्तीय सुधार एवं लक्षित कार्यक्रम लागू किए हैं, जिससे बिहार जेंडर बजट निर्माण को अपनाने और उसे प्रभावी रूप से लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक व्यय से महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में ठोस एवं सकारात्मक परिवर्तन आए। यह दृष्टिकोण सात निश्चय-3 के तहत और अधिक सुदृढ़ हुआ है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता तथा उनके उद्यमों के विस्तार हेतु 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उद्यमिता, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

इसी क्रम में जेंडर बजट सभी विभागों को अपनी योजनाओं एवं बजट प्रावधानों की लैंगिक दृष्टिकोण से समीक्षा और समन्वय करने में सक्षम बनाता है। ऐतिहासिक सुधार के रूप में वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं तथा 2007 में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया, जिससे स्थानीय शासन में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हुई। जीविका और 'सशक्त महिला, सक्षम महिला' जैसी प्रमुख पहलों के अंतर्गत शिक्षक पद सहित सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों में बालिकाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आशा है कि यह दस्तावेज महिलाओं से संबंधित सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों की समीक्षा और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी पुस्तिका के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा।

अवलोकन : जेंडर बजट निर्माण

जेंडर बजट सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में लैंगिक प्राथमिकताओं को समेकित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। यह बजट प्रावधानों में समानता में बदल जाता है जो सुनिश्चित करता है कि संसाधन महिलाओं की जरूरतें पूरी करें। पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद फासले को दूर करके यह महिलाओं और लड़कियों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करता है। राजकोषीय साधन के रूप में यह समावेशी शासन को मजबूती देता है, विषमताएं घटाता है, और विकास के न्यायोचित परिणामों को बढ़ावा देता है जिससे लैंगिक समानता बिहार के विकास और प्रगति के केंद्र में आ जाती है।

जेंडर बजट कोई अलग बजट नहीं होता है। इसमें जेंडर उन्मुख कार्यक्रमों को समग्र बजट से अलग करना और जेंडर संबंधी प्रतिबद्धताओं को बजट पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करना शामिल होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य महिलाओं की विशेष जरूरतें पूरी करने के लिए जेंडर के नजरिए से विभिन्न कार्यक्रमों की जांच करना है। इस प्रकार जेंडर बजट का तात्पर्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए क्रियान्वित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन से है। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। महिलाओं को उनके अधिकारों के मामले में उचित हिस्सा दिलाने के लिए उन्हें सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम संसाधन आदि पारंपरिक विभागों तक सीमित रखने के बजाय अन्य विभागों और क्षेत्रों में भी महिला संवेदी बजट बनाने का प्रयास किया गया है।

जेंडर बजट निर्माण के उद्देश्य

1. जेंडर आधारित परिणामों का पता लगाने के लिए मुख्य बजट से अलग करना,
2. लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजट संबंधी प्रतिबद्धताओं में बदलना,
3. मूल्यांकन करना कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण आदि क्षेत्रों में अपने बजट का कितना हिस्सा महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए आबंटित किया है,
4. सुगम और सकारात्मक बजट प्रबंधन के जरिए महिलाओं को मुख्य धारा में लाना।

जेंडर बजट निर्माण की पृष्ठभूमि

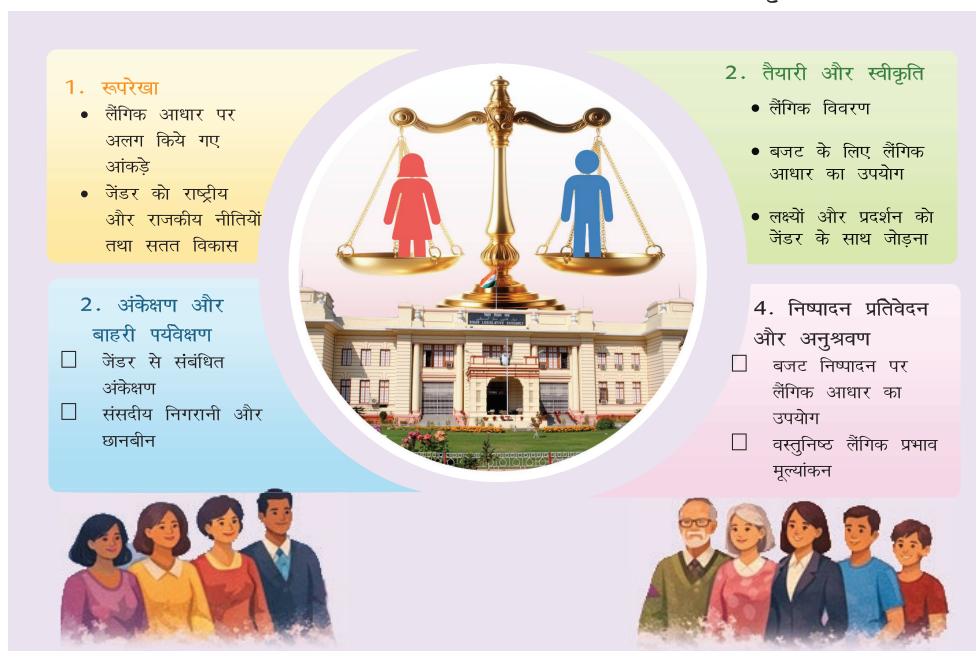
महिला विरोधी सर्वस्वरूप भेदभाव उन्मूलन समझौता (CEDAW) लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 1979 में स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 'अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार विधेयक' के रूप में भी जाना जाता है जो 1981 में लागू हुआ। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर चार वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए थे - 1975 में मेक्सिको सिटी में, 1980 में कोपेनहेगन में, 1985 में नैरोबी में, और 1995 में बीजिंग में। वर्ष 1995 में बीजिंग में हुआ वैश्विक सम्मेलन लैंगिक समानता के वैश्विक एजेंडा के रूप में महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। बीजिंग सम्मेलन के दस्तावेज और कार्रवाई मंच को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए मुख्य दस्तावेज माना जाता है। इस अवधारणा को लैंगिक समानता के लिए नवाचारी राजकोषीय साधन माना जाता है। अभी तक 80 से भी अधिक देशों ने जेंडर बजट निर्माण को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया 1984 में जेंडर के अनुकूल बजट निर्माण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। बाद में इसे 1993 में कनाडा ने और 1995 में दक्षिण अफ्रीका तथा फिलिपिंस ने शुरू किया। उसके बाद अनेक देशों ने सरकार के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर यह पहल शुरू की है।

भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पहली बार महिला सशक्तिकरण को आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य के बतौर शामिल किया गया था। इसे महिला घटक योजना के साथ नवीं योजना में भी आगे बढ़ाया गया और महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए धनराशि प्रवाह की जानकारी देना मंत्रालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। बाद में, बारहवीं योजना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के जरिए योजना निर्माण की प्रक्रिया में लैंगिक समानता के जिन मुख्य सूचकों पर काम किया जाना था उनकी पहचान की गई। भारत में पहली बार 2005-06 में जेंडर बजट को केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाया गया। बाद में 16 राज्यों और दो केंद्रशासित क्षेत्रों ने जेंडर बजट को अपनी राजकोषीय प्रणालियों में अपनाया। बिहार में इसकी शुरुआत 2008-09 में हुई। इसके तहत महिलाओं की जरूरतों के संबंध में सरकारी योजनाओं के निहतार्थों के आधार पर उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है।

जेंडर बजट के योजना निर्माण में निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं :

- (क) पर्याप्त साधनों का आबंटन और महिला संवेदी कार्यक्रमों का सूत्रीकरण तथा क्रियान्वयन। इससे महिलाओं के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धताओं और किए गए आबंटनों के बीच फासला कम करने में मदद मिलती है।
- (ख) लोक व्यय और नीति में महिलाओं के सरोकारों को मुख्य धारा में लाना।
- (ग) सार्वजनिक व्यय और कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन का लैंगिक अंकेक्षण करना।

चित्र 1 : जेंडर बजट निर्माण की समग्र दृष्टि



बिहार में जेंडर बजट निर्माण

जेंडर बजट महिलाओं को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ राज्य में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की हर महिला तक पहुंचें। यह नीतियों और कार्यक्रमों के सूत्रीकरण और समीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्यों को शामिल करने की सतत प्रक्रिया है। महिलाओं का कुल आबादी में आधा हिस्सा है इसलिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आजीविका और संपदा स्वामित्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया गया है। वित्तीय सहायता के जरिए इन जरूरतों की पूर्ति के लिए बिहार सरकार ने जेंडर बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। वर्ष 2026-27 के जेंडर बजट दस्तावेज में महिलाओं पर किए जाने वाले व्ययित होने वाली राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 2 : जेंडर बजट निर्माण के जरिए लैंगिक समानता



जेंडर बजट में लैंगिक नजरिए से राज्य के वित्तीय आबंटनों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए लैंगिक नजरिए से विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। लैंगिक मुख्य-धाराकरण को प्रोत्साहित करने के लिए गत वर्ष हुए वास्तविक व्यय, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान और आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित अनुमान को लैंगिक नजरिए से देखा जाता है। इस दस्तावेज के कुछ मुख्य तथ्य ये हैं :

1. महिलाओं के विकास पर काम करने वाले विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना।
2. विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले व्यय के प्रतिशत का विश्लेषण करना ताकि लक्षित वित्तीय और क्रियान्वयन रणनीतियों के जरिए महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाय।
3. राज्य के कुल बजट और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में महिलाओं पर होने वाले राज्य के आबंटन की जांच करना।
4. जेंडर बजट निर्माण को परिणाम (आउटकम) बजट निर्माण से जोड़ना।
5. महिलाओं के लिए बजट संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न रणनीतियां सूत्रबद्ध करना।

चित्र 3 : बिहार में जेंडर बजट निर्माण की प्रगति



तालिका 1 : जेंडर बजट का वर्गीकरण

श्रेणी क	महिलाओं और लड़कियों पर 100 प्रतिशत व्यय	वैसी योजनाएं और कार्यक्रम जिनका पूरा आबंटन महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए है।
श्रेणी ख	महिलाओं और लड़कियों पर 30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम व्यय	वे योजनाएं और कार्यक्रम जिनके कुछ घटक महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए हैं और 30 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच हैं।

जेंडर बजट का विश्लेषण तीन भागों में किया गया है :

- ❖ वास्तविक व्यय (एई) : विभागों द्वारा 2024-25 में महिलाओं पर किया गया वास्तविक व्यय।
- ❖ संशोधित व्यय (आरई) : वर्ष 2025-26 के लिए मध्यावधि समीक्षा के बाद शेष सेवाओं पर व्यय का अनुमान।
- ❖ बजट अनुमान (बीई) : संभावित व्यय के रुझान और पूर्ववर्ती बजट प्रस्तुति की प्राप्तियों के आधार पर 2026-27 के लिए पूर्वानुमान।

महिलाओं के लिए लक्षित विशेष योजनाएं : ऐसी योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लिए हैं।

जेंडर से संबंधित योजनाएं : इस योजना के तहत न्यूनतम 30 प्रतिशत आबंटन महिलाओं के लिए होता है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिनसे महिलाओं या लड़कियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ होता है। जेंडर बजट निर्माण योजना निर्माण के उद्देश्यों और निर्गत-सह-परिणामों के आधार पर महिलाओं या लड़कियों के लिए लाभों की माप और मूल्यांकन है जिससे मार्गदर्शक के रूप में बतौर लैंगिक समानता को आगे भी सुगम बनाने की प्रक्रिया में मदद मिलती है।

चित्र 4 : जेंडर बजट में योजनाओं के प्रकार



चित्र 5 : भारत और बिहार के लिए तुलनात्मक सूचक

महिलाओं की कुल जनसंख्या  5.0 करोड़ बिहार  58.7 करोड़ भारत	महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात  31.5 % बिहार  43.7 % भारत
लिंग अनुपात (महिला प्रति 1000 पुरुष)  918 बिहार  943 भारत	महिलाओं की साक्षरता दर  51.5 % बिहार  64.6 % भारत
जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (वर्ष)  69.7 बिहार  72.5 भारत	कुल प्रजनन दर  2.8 बिहार  1.9 भारत

स्रोत : जनगणना, सावधिक श्रमबल सर्वेक्षण, प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली

तालिका 2 : पुरुषों और महिलाओं के लिए तुलनात्मक सूचक

क्र. सं.	सूचक	बिहार		भारत		स्रोत
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	कुल जनसंख्या (करोड़) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	जनगणना 2011
2	लिंग अनुपात (सभी उम्र) (2011)	1000	918	1000	943	
3	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919	
4	कार्य सहभागिता दर (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	साक्षरता दर (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	साक्षरता दर (7-18 वर्ष) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

उक्त तालिका में बिहार और संपूर्ण भारत में महिलाओं की स्थिति दर्शाई गई है। बाल लिंग अनुपात के मामले में बिहार का अनुपात 935 लड़कियां प्रति 1000 लड़के है जो संपूर्ण भारत के 919 से बेहतर है। लेकिन महिलाएं सभी उम्र समूहों के लिए लिंग अनुपात (918 महिला प्रति 1000 पुरुष) और कार्य सहभागिता दर (19.1) आदि कुछ अन्य सूचकों के मामले में अभी भी पीछे हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक लक्षित पहलों की हैं।

तालिका 3 : बिहार में महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक सूचक

क्र. सं.	सूचक	2019-20	2015-16	वृद्धि/कमी	स्रोत
शिक्षा संबंधी सूचक					
1	साक्षरता (%)	55.0	49.6	5.4	NFHS
2	10 या अधिक वर्षों तक औपचारिक शिक्षा वाली महिलाएं (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
स्वास्थ्य संबंधी सूचक					
3	संस्थागत प्रसव (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	सामान्य से कम देह भार सूचकांक (15-49 वर्ष) (%)	25.6	30.4	-4.8	NFHS
5	15 से 49 वर्ष की रक्ताल्पता-ग्रस्त महिलाएं (%)	63.5	60.3	3.2	NFHS
सशक्तिकरण संबंधी सूचक					
6	घरेलू फैसलों में आम तौर पर हिस्सा लेने वाली वर्तमान में विवाहित महिलाएं (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	अपने बैंक या बचत खाता का खुद उपयोग करने वाली महिलाएं (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
8	अपने मोबाइल का खुद उपयोग करने वाली महिलाएं (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

टिप्पणी : NFHS = राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

बिहार में महिलाओं की जीवनस्तर में सुधार के मामले में 2015-16 से 2019-20 में उल्लेखनीय प्रगति दिखी है। सशक्तिकरण का सबसे उत्साहवर्धक संकेत यह है कि अपना बचत खाता खुद से चलाने वाली महिलाओं में 50.3 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई है। ये उपलब्धियां राज्य में महिलाओं के समग्र विकास और उनके लिए नए अवसरों की शुरुआत के लिहाज से जेंडर बजट निर्माण की सफलता को स्पष्ट दर्शाती हैं।

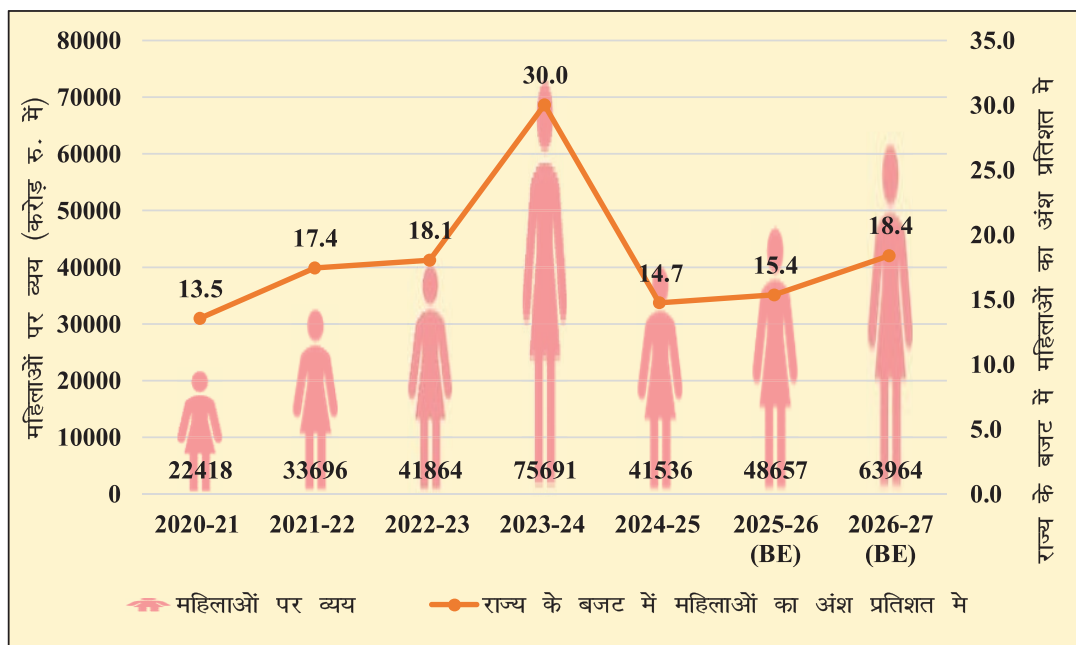
तालिका 4 : जेंडर बजट : महिलाओं के लिए व्यय

(करोड़ रु.)

विवरण	2020-21 (AE)	2021-22 (AE)	2022-23 (AE)	2023-24 (BE)	2024-25 (AE)	2025-26 (BE)	2026-27 (BE)
राज्य बजट उद्ब्यय	165696	193123	231904	261885	281939	316895	347590
महिलाओं के लिए व्यय (जेंडर बजट)	22418	33696	41864	37949	41536	48657	63964
बिहार के राज्य बजट में महिलाओं का हिस्सा (%)	13.53	17.45	18.05	14.49	14.73	15.35	18.40
चिन्हित विभागों का कुल बजट	90269	112571	130030	139358	81050	113692	134999
सूचना देने वाले विभागों में महिलाओं का हिस्सा (%)	24.83	29.93	32.2	27.23	51.25	42.80	47.38
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)	618628	675448	751396	858928	991997	1097264	1309155
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिलाओं का हिस्सा (%)	3.62	4.99	5.57	4.42	4.19	4.43	4.89

टिप्पणी : AE = वास्तविक व्यय, BE = बजट अनुमान

चित्र 6 : बिहार के कुल बजट में महिलाओं का हिस्सा



महिलाओं के विकास के लिए प्रयास

महिलाएं समाज की बुनियाद हैं और किसी राष्ट्र की प्रगति में उनकी अहम भूमिका है। जो समाज महिलाओं के सतत विकास और सशक्तिकरण को बल देते हैं वे अनिवार्यतः अधिक समृद्धि हासिल करते हैं। सच्चा विकास तभी संभव है जब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर मिले जिससे कि वे सार्थक सामाजिक परिवर्तन की वाहक बन सकें। वर्ष 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 'लक्ष्य-5' में वैश्विक सफलता सुनिश्चित करने वाले समाधानों को बढ़ावा देते हुए गरीबी, असमानता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति पर बल दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने जेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और जिला तथा राज्य, दोनों स्तरों पर जेंडर के अनुकूल बजट निर्माण को सक्रियता से बढ़ावा दिया है। गत कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने और अधिक न्यायपूर्ण समाज का आकार देने में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत की गई है।

महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने की मुख्य पहलों और उल्लेखनीय उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

- राज्य सरकार ने 'आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार' के तहत अपनी सभी सेवाओं और श्रेणियों में होने वाली सभी प्रत्यक्ष नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की शुरुआत की है।
- महिलाओं का प्रतिनिधित्व और राजनीतिक जगत में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
- अभी लगभग 27,000 महिला अधिकारी और सिपाही बिहार पुलिस की अंग हैं।

2. लड़कियों/ महिलाओं के लिए आरक्षण और प्रोत्साहन देने के जरिए शिक्षा को प्रोत्साहन

- बिहार सरकार ने राज्य के सभी अभियंत्रण विश्वविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित कर दी है। इससे तकनीकी और पेशेवर शिक्षा में लड़कियों के लिए अधिक पहुंच सुनिश्चित हुई है, और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण, तथा गणित (स्टेम) और स्वास्थ्य देखरेख में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (इन्टरमिडिएट) के प्रोत्साहन के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के जनवरी माह तक 4.82 लाख अविवाहित छात्राओं को 25,000/- रु. की दर से 1204.02 करोड़ रु. (डी0बी0टी0 के माध्यम से) खाते में दी गई है।
- उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (स्नातक) के तहत 2025-26 में 1650 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया

है, जिसके अन्तर्गत जनवरी 2025 तक 1.80 लाख छात्राओं को उनके खाते में (डी0बी0टी0 के माध्यम से) 900.00 करोड़ की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है। इसके अतिरिक्त 25,000/- की दर से 10000 छात्राओं को एवं 50,000/- की दर से 1.45 लाख छात्राओं को अर्थात् 1.55 लाख छात्राओं को कुल 750.00 करोड़ की राशि उनके खाते में भेजने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।

3. महिला उद्यमिता

- महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने 'जीविका' के जरिए क्रियान्वित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को आमदनी वाली गतिविधि शुरू करने के लिए 10,000 रु. मिलते हैं जिसके विस्तार के लिए 2 लाख रु. तक की अतिरिक्त सहायता मिलती है। बाजार में पहुंच को मजबूती देने के लिए गांव से लेकर शहरों तक हाट-बाजार विकसित किए गए हैं। 1.56 करोड़ से भी अधिक महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 रु. मिल चुके हैं जिससे उनकी पारिवारिक आय और आजीविका बढ़ी है।
- लखपति दीदी योजना के तहत 'जीविका' में जिन महिलाओं की सालाना आय सतत आजीविका गतिविधियों के तहत 1 लाख रु. या अधिक हो जाती है उनकी दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको विविध अर्थोपार्जन कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार में अभी तक 31.71 लाख महिलाओं को लखपति दीदी घोषित किया जा चुका है।
- अभी तक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ जुड़े 2.92 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय सृजन, और रोजगार के नए अवसरों के साथ जोड़ा गया है। इस पहल के तहत 6 महिला उत्पादक कंपनियों और 701 महिला उत्पादक समूहों की स्थापना की गई है।
- राज्य बागवानी मिशन और बिहार के कृषि विभाग के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की 11,855 महिलाएं मधुमक्खी पालन में लगी हैं जिन्होंने अभी तक 3,551 मी.टन शहद का उत्पादन किया है।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रमंडल, कोलकाता के साथ मिलकर 150 दीदियों के लिए उद्यमिता विकास में सहायता की गई है।
- लघु ग्रामीण उद्यमियों, खास कर किराना दूकान चलाने वाली महिलाओं की सहायता के लिए उन्हें उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिहाज से 143 ग्रामीण खुदरा बाजार चल रहे हैं।
- 'दीदी की रसोई' की 288 इकाइयों के जरिए जीविका दीदियां अस्पतालों, अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति छात्रावासों, तथा अन्य संस्थानों में किफायती, सेहतमंद, और मानक गुणवत्ता वाले आहार उपलब्ध करा रही हैं।
- ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत 109 परिवारों को व्यावसायिक वाहन दिए गए हैं।
- साथ ही, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता योजना (स्वेष) के तहत 32,572 व्यक्तिगत उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मिली है।
- कोइलवर मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल के साथ मिलकर जीविका दीदियां अस्पताल की रसोई, स्वच्छता, कपड़ा धुलाई और रोगियों को वस्त्र आपूर्ति का प्रबंधन कर रही हैं।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 42 सदस्यों को केंद्रित और 40 सदस्यों को विकेंद्रित सूक्ष्म-इकाई उद्यमियों के बतौर चुना गया है। वहीं, मुजफ्फरपुर में एक बैग संकुल विकसित किया गया है जहां अभी तक 29 लाख बैग का उत्पादन हुआ है।

4. आजीविका प्रोत्साहन

- अति गरीब परिवारों को सहायता देने के लिए लक्षित सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कुल 2,01,218 परिवारों की पहचान की गई है, 1,93,000 परिवारों को संक्रमण अवधि में आजीविका संबंधी सहायता दी गई है, और 1,97,000 परिवारों को टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए समेकित परिसंपत्तियां हस्तांतरित की गई हैं।
- 'जीविका' और विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के सहयोग से युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य देखरेख, निर्माण, मोटरवाहन, और विद्युत सेवाओं जैसे क्षेत्रों में मांग आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इन कौशल विकास एवं नियुक्ति संबंधी पहलों के जरिए अब तक लगभग 4.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर वैतनिक रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- 'जीविका' ने दिल्ली और बंगलुरु में दो बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र स्थापित किए हैं। वित्तवर्ष 2025-26 के दौरान 8,000 से भी अधिक युवाओं को इन केंद्रों के जरिए प्रशिक्षित किया और लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के संयोजन से 987 जीविका दीदियों ने पौधशालाएं (दीदी की नर्सरी) विकसित की हैं। इन प्रयासों के जरिए राज्य में 4.84 करोड़ पौधे लगाए गए हैं जिसने पर्यावरण की सुस्थिरता और आजीविका सृजन में काफी योगदान किया है।
- 67 उत्पादक समूहों से जुड़े कुल 4,500 किसान मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं जिससे विविधतापूर्ण आजीविका और आमदनी के कृषि आधारित अवसरों को बढ़ावा मिला है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मनरेगा के साथ तकनीकी कनवर्जेंस से समूह सदस्यों द्वारा 987 पौधशालाएं स्थापित की गई हैं जिससे आजीविका और जलवायु अनुकूलन में मदद के लिए 4.84 करोड़ फलदार और छायादार पेड़ों के पौधे लगाने में मदद मिली है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर जीविका दीदियों ने सौर लैंप निर्माण के लिए प्रशिक्षण पाया है और वे सौर ऊर्जा संबंधी दूकानें चला रही हैं। इस उद्यम के साथ अभी 372 जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। गया जिले में इस पहल के संचालन और समर्थन के लिए एक कंपनी स्थापित की गई है जिससे उद्यम के लिए संस्थागत सहयोग सुनिश्चित होता है।
- 174 प्रखंडों में प्रशिक्षित और सक्षम जीविका दीदियों द्वारा प्रबंधित दीदी आधार केंद्र चल रहे हैं। ये केंद्र प्रखंड कार्यालयों में हेल्प डेस्क के बतौर काम करते हुए नागरिकों को सहायता एवं सुगम सेवाएं दे रही हैं।

5. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन

बिहार सरकार द्वारा 2021 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत शुरू की गई महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के जरिए सामान्य और पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं को 1,00,000 रु. की और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं को 50,000 रु. की सहायता आगे की तैयारी के लिए दी जाती है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली 102 महिला प्रत्याशियों में से प्रत्येक को 1,00,000 रु. सहायता दी गई जिस पर कुल 1.02 करोड़ रु. खर्च हुआ।

6. प्रशिक्षण और सहायता

- सामुदायिक स्वामित्व और प्रबंधन वाले 26 प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्रों तथा 53 सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा पूरे वर्ष महिलाओं का क्षमता निर्माण हेतु प्रयास किए गए। इन केंद्रों ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, समुदाय आधारित संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, को आवश्यक प्रशिक्षण दिए जिससे बाहरी अभिकरणों पर निर्भरता काफी घट गई।
- बच्चों की शिक्षा और कैरियर संबंधी मार्गदर्शन में सहायता के लिए जीविका ने राज्य के 33 जिलों के 110 प्रखंडों में संकुल-स्तरीय संघ के स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय-सह- कैरियर विकास केंद्रों (CLCDCs) की स्थापना की है जो शैक्षिक सहायता और ढांचाबद्ध कैरियर परामर्श देते हैं।
- बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ साझादारी में जीविका स्वास्थ्य हेल्प डेस्क ग्रामीण समुदायों और लोक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। 35 सदर अस्पतालों और 10 चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रही इस पहल में ओपीडी और आइपीडी सेवाओं, अस्पताल में आने-जाने, तथा आयुष्मान भारत जैसे हकों की उपलब्धता में व्यक्तिगत और तकनीकी सहायता देने के लिए दो शिफ्ट में 134 स्वास्थ्य मित्र के रूप में दीर्घा कार्यरत हैं। मोबाइल ऐप द्वारा समर्थित हेल्प डेस्क ने 2024-25 में 18,17,538 रोगियों को सहायता दी है और 48,763 कॉल प्राप्त किए हैं जिससे रोगियों, खास कर सीमांत समूहों के रोगियों की पहुंच और संतुष्टि में काफी सुधार हुआ है।
- जीविका राष्ट्रीय संसाधन संगठन का काम करता है जिसमें बिहार की महिलाएं अन्य राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग देती हैं।
- गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखरेख को मजबूती देने के लिए एएनएम और स्टाफ नर्सों को सभी जिलों और सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों में कुशल प्रसव सहायिका (SBA) का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 21 दिनों की है और इसका फोकस मातृ स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर है। वर्ष 2024-25 में कुल 1,544 महिलाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया और 2025-26 में अभी तक 152 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे राज्य में जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में योगदान हुआ है।
- असुरक्षित गर्भपात के कारण माताओं की मृत्यु में कमी लाने के लिए चुनिंदा जिलों में सदर अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों सहित निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों में डॉक्टरों को व्यापक गर्भपात देखरेख (CAC) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 12-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। अभी तक कुल 2,017 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2024-25 में 50 महिला डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया था और 2025-26 में अभी तक 5 महिला डॉक्टरों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।
- मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में कमी के उद्देश्य से चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को बुनियादी आपात प्रसव देखरेख (BEmOC) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 10-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। वर्ष 2024-25 में 38 महिला डॉक्टरों को प्रशिक्षित

किया गया था जबकि 2025-26 में अभी तक 15 महिला डॉक्टरों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

- प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और ग्राम स्तर पर सामुदायिक मुद्दों के समाधान के लिए 18 अप्रैल 2025 को महिला संवाद पहल का आरंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत पर्वो, मुख्यमंत्री के संदेश और श्रव्य-दृश्य फिल्मों का उपयोग करके महिला केंद्रित सरकारी योजनाओं की जानकारी दिये जाने हेतु प्रचार-प्रसार किया गया। 600 जगहों पर वाहनों के जरिए यह अभियान 70,000 से भी अधिक स्थानों पर 1.55 करोड़ से भी अधिक महिलाओं तक पहुंचा जिससे जागरूकता, भागीदारी, और जमीनी शासन को काफी मजबूती मिली।
- 15 जिलों में 1,365 सिलाई मशीनों के साथ नोडल सिलाई-सह-प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं। हर प्रखंड स्तर पर सिलाई केंद्र स्थापित करने की योजना चल रही है जिसके लिए 40,142 जीविका दीदियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हर जिले में दो सिलाई उत्पादन केंद्र होंगे जिनसे 50,000 से भी अधिक दीदियों को रोजगार मिलेगा। वित्तवर्ष 2025-26 में 50,000 परिवारों को कृषीतर योजनाओं के साथ जोड़ा गया है।

7. महिला सुरक्षा और आवागमन संबंधी पहलें

- उत्पीड़ित महिलाएं अक्सर पुरुष पुलिस के सामने अपने अनुभव बताने से हिचकिचाती हैं जिससे मामलों के समाधान में देर होती है। इसके समाधान के लिए महिला थानों की शुरुआत की गई है। अभी राज्य में 40 महिला थाने काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 2022 से जुलाई 2025 के बीच महिलाओं के साथ हुए लगभग 43 प्रतिशत निबंधित मामलों का निपटारा किया गया। महिला थानों का लक्ष्य महिलाओं को निडर होकर अपराधों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सहयोगपूर्ण, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
- बिहार में पैंक बस पहल महिलाओं की सुरक्षा, आवागमन, और जन परिवहन में समावेश को बढ़ावा देती है। इसके तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया - छः जिलों में 100 सीएनजी बसों द्वारा छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध करा रहा है। दो महीनों में इनके यात्रियों की संख्या छः-गुनी बढ़कर पटना प्रमंडल की 21,000 यात्रियों सहित 33,000 हो गई। बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस, और ईटीएम लगे हैं। यह कार्यक्रम कंडक्टरों को रोजगार और ड्राइवर्स को प्रशिक्षण देने के जरिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी बल देता है जिससे शहरों में महिलाओं के लिए अनुकूल आवागमन को मजबूती मिली है।
- महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस ने सितंबर 2024 में सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत की थी। यह सेवा महिलाओं को ईआरएसएस के जरिए तत्क्षण निगरानी के लिए यात्राओं का निबंधन करने की गुंजाइश देती है जिससे समय पर आपात सहायता सुनिश्चित होती है। तेलंगाना और हरियाणा के बाद बिहार इसे अपनाने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया। अपने आरंभ से अब तक इसके तहत 206 अनुरोध प्राप्त हुए और सहायता दी गई। महिलाएं 112 नंबर डायल करके भी सेवा पा सकती हैं जिससे यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध हो जाती है।

- राज्य सरकार महिला विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में बिहार देश का पहला राज्य है। फलतः, आज लगभग 27,000 महिला अधिकारी और सिपाही बिहार पुलिस की अंग हैं।
- पटना ट्रैफिक पुलिस ने हाल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पटना के शहरी क्षेत्र में यातायात प्रणाली के प्रबंधन के लिए 315 से भी अधिक महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं। साथ ही, 'डॉल्फीन' कही जाने वाली 8 संपूर्ण-महिला त्वरित अनुक्रिया दलों का गठन किया गया है जिसमें अधिकारी, सिपाही, और यहां तक कि ड्राइवर भी महिला हैं।
- पटना यातायात पुलिस की महिला टुकड़ी ने दूसरी बार 26 जनवरी, 2026 को आयोजित राज्य-स्तरीय परेड में भाग लिया और प्रेरणास्पद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सर्वोत्तम उपस्थिति के लिए पुरस्कार जीता।
- महिला पुलिसकर्मियों की दक्षता सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। पहले यातायात वाले अधिकांश नाकों (चेकपोस्ट) पर महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी रहती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए पटना में 54 यातायात नाकों को मिशन मोड में पूर्णतः कार्यशील बनाने का लक्ष्य लिया गया है। ये नाके आरामदेह विश्राम क्षेत्र, शौचालय, पेयजल, और महिलाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट से लैस होंगे। भविष्य में ये नाके महिलाओं के लिए नजदीकी शिकायत/ सहायता केंद्र का भी काम करेंगे।
- गत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उद्घाटित आदर्श ट्रैफिक चेकपोस्ट को चार क्षेत्रों में कार्यशील बनाया गया है : चिड़ियाखाना गेट नंबर 2, सगुना मोड़, नया सचिवालय मोड़, और हड़ताली मोड़।

बिहार में महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं

जेंडर बजट दस्तावेज 2026-27 में महिलाओं और लड़कियों के लिए समर्पित योजनाओं के तहत किए गए ढेर सारे प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है। इन पहलों को महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं, राज्य में उनके सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए भी तैयार किया गया है। इसे हासिल करने के लिए अनेक सरकारी विभाग ऐसे महिला केंद्रित कार्यक्रमों का सक्रियता से क्रियान्वयन कर रहे हैं जिनसे ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के विविध समूहों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होता है। बिहार सरकार के अन्य मुख्य विभागों के साथ मिलकर महिला एवं बाल विकास निगम आंगनवाड़ी सेविकाओं, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं, और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी अनेक कल्याण योजनाएं चलाता है। इन विभागीय योजनाओं में से कुछ को नीचे रेखांकित किया गया है।

समाज कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना का आरंभ 2012 में बीपीएल या 60,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की पात्र लड़कियों को प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए 5,000 रु. देने के जरिए गरीब परिवारों को विवाह के समय सहायता देने, विवाह के निबंधन के लिए प्रोत्साहित करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, और बाल विवाह रोकने के लिए किया गया था। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 4,500.25 लाख रु. का बजट था जिसमें से 3,436.92 लाख रु. व्यय हुआ जिससे 62,961 लड़कियां लाभान्वित हुईं। वहीं, 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 5,450.00 लाख रु. के बजट में से 1,538.70 लाख रु. व्यय हुए हैं जिनसे 30,572 लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। यह बिहार में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर योजना के सतत प्रभाव को व्यक्त करता है।

2. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY)

बालिका भ्रूणहत्या रोकने, जन्म का निबंधन करने और लड़कियों का टीकाकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने, लिंग अनुपात सुधारने, शिशु मृत्यु दर घटाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने तथा कुल प्रजनन में कमी लाने के जरिए लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए लक्षित बिहार सरकार की इस अग्रणी योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का आरंभ 2018 में हुआ था। इस योजना के तहत प्रति परिवार दो लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक तक को शामिल करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनका आर्थिक योगदान बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2024-25 में 12,102 लाख रु. का लक्ष्य था लेकिन 12,000 लाख रु. का व्यय हुआ जिससे 4,59,073 लड़कियां लाभान्वित हुईं। वहीं, 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 14,408.00 लाख रु. के बजट में से 4,755 लाख रु. व्यय हुए हैं जो महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



3. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

वर्ष 2007 से क्रियान्वित मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में उनके एकीकरण के लिए लक्षित बिहार सरकार की अग्रणी पहल है। योजना के तहत महिलाओं के विकास से संबंधित मुद्दों पर काम किया जाता है जो बिहार राज्य महिला विकास निगम द्वारा क्रियान्वित होता है। वर्ष 2024-25 में इसके 5,000 लाख रु. के कुल बजट का उपयोग कर लिया गया जिससे 7,688 महिलाएं लाभान्वित हुईं। वहीं, 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 6,300 लाख रु. के बजट में से 4,095 लाख रु. व्यय हुए हैं जिनसे 5,968 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

3.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

राज्य में सामान्य और पिछड़े वर्गों की युवतियों के लिए यह योजना वर्ष 2021 से शुरू हुई सिविल सेवा प्रोत्साहन अनुदान योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं को 1,00,000 रु. की और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं को 50,000 रु. की प्रोत्साहन राशि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए उन्नत तैयारी में सहयोग के लिए दी जाती है।

3.2 अल्पावास गृह

घरेलू हिंसा और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित महिलाओं और किशोरियों को अल्पकालिक आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सभी जिलों में अल्पावास गृहों की स्थापना और संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी 11 जिलों में ऐसे गृहों का संचालन सरकारी संस्थाओं के जरिए किया जा रहा है जबकि राज्य के शेष जिलों में भी इस सुविधा के विस्तार के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

3.3 सर्वसुविधा केंद्र-सह-महिला हेल्पलाइन

सर्वसुविधा केंद्र के तहत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सीय देखरेख, मनोवैज्ञानिक समर्थन, कानूनी परामर्श, पुलिस सहायता और अल्पावास की समेकित सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देश और राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, सभी जिलों में स्थापित केंद्रों के जरिए इस योजना का क्रियान्वयन जिला कार्यबलों के जरिए किया जाता है। वर्ष 2024-25 में दर्ज 8,888 मामलों में से 7,185 का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया जबकि 2025-26 में दर्ज 3,290 मामलों में से 2,582 का निपटारा किया गया है।

3.4 बिहार राज्य महिला आयोग

आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं के शोषण-उत्पीड़न के मामलों पर काम करना, महिलाओं की शिकायतों का समाधान करना, सामाजिक बुराइयों से संबंधित मामलों में महिलाओं के लिए न्याय पाने में सहयोग देना है। आयोग का एक महत्वपूर्ण काम महिलाओं को प्रभावित करने वाले मौजूदा प्रावधानों और

कानूनों की सावधिक समीक्षा करना तथा उनमें मौजूद कमियों, अपर्याप्तताओं, या कमजोरियों के लिए सुधारों की अनुशंसा करके सुधारक विधायी उपायों पर सलाह देना है। आयोग महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के सारे मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के ध्यान में भी लाता है।

4. राष्ट्रीय शिशुशाला योजना

राष्ट्रीय शिशुशाला (पलना घर) योजना के तहत कामकाजी माता-पिता के छः महीने से पांच वर्ष तक के बच्चों को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुरूप सुरक्षित और गुणावत्तापूर्ण देखरेख उपलब्ध कराया जाता है। बिहार राज्य में इन स्थानों पर पलना घर चल रहे हैं - 1. समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, 2. गृह (कारा) विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना, 3. पंचायती राज विभाग, नया सचिवालय, पटना, और 4. सरदार पटेल भवन, पुलिस मुख्यालय, पटना। साथ ही, जिला स्तर पर भी पलना घर चल रहे हैं जिससे चालू पलना घरों की कुल संख्या 67 हो गई है। योजना के तहत व्यय में केंद्र और राज्य की 60:40 के अनुपात में भागीदारी होती है।

5. मिशन शक्ति (संबल और सामर्थ्य)

वर्ष 2022 से चल रही मिशन शक्ति को सर्वसुविधा केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत, शक्ति सदन, सखी निवास, और राज्य तथा जिला केंद्र की ऐसी विभिन्न योजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना द्वारा संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के मानकों के अनुसार इसमें विभिन्न घटकों के अनुरूप व्यय में केंद्र और राज्य की साझादारी का पैटर्न 100:0 से लेकर 60:40 के बीच है। वर्ष 2024-25 में इस पर 1,533.15 लाख रु. का व्यय हुआ था जिसके लिए केंद्रीय आबंटन 1,873.04 लाख रु. था। वहीं, 2025-26 में 12,540.20 लाख रु. के प्रावधान में से दिसंबर 2025 तक 1,013.19 लाख रु. व्यय हो चुका है।

6. मनोरोगी/ निःशक्त महिला एवं बालिका कल्याण - आसरा होम

निःशक्त जन सशक्तिकरण निदेशालय मनोरोगी या निःशक्त महिलाओं और लड़कियों के लिए पटना में तीन आवासीय आसरा होम का संचालन कर रहा है जिनमें से एक सीधे राज्य सरकार द्वारा और दो गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हैं। योजना का लक्ष्य मानसिक रुग्णता या निःशक्तता से ग्रस्त गृहविहीन या परित्यक्ता महिलाओं अथवा लड़कियों को आश्रय, चिकित्सीय देखरेख, पुनर्वास, शिक्षा, और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा परिवार या समाज के साथ पुनः एकीकरण करना है। वर्ष 2024-25 में 193.00 लाख रु. के बजट प्रावधान में से 193.70 लाख रु. खर्च किए गए जबकि 2025-26 में उक्त प्रावधान के में से 96.86 लाख रु. खर्च किए गए हैं जिनसे 148 निवासियों को लाभ हुआ है।

7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना और गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है। इस योजना के तहत पात्र गर्भवती/ शिशुवती महिलाओं को PFMS प्रणाली माध्यम से प्रत्यक्ष लाभांतरण (DBT) के जरिए पहले जीवित प्रसव पर 5,000 रु. का सशर्त नकद लाभ दिया जाता है जिसे दो किश्तों में दिया जाता है - 3,000 रु. की पहली किश्त और 2,000 रु. की दूसरी किश्त। साथ ही, दूसरी लड़की के जन्म पर 6,000 रु. की एकमुश्त सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना

योजना के वित्तपोषण में केंद्र और राज्य का 60:40 अनुपात में हिस्सा होता है। वर्ष 2024-25 में केंद्र से 7,559.80 लाख रु. और राज्य से 5,039.57 लाख रु. के पूरे आबंटन का उपयोग हो गया था जिससे 6.81 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुई थी। वहीं, 2025-26 में प्रावधानों के अनुसार केंद्र के 16,429.49 लाख रु. और राज्य के 10,952.99 लाख रु. का व्यय हुआ जिससे दिसंबर 2025 तक 2.86 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

8. किशोरी योजना (SAG)

यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य किशोरियों का समग्र विकास, पीढ़ियों से व्याप्त कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ना, और स्वस्थ जीवनचक्र के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, 2022-23 से 14 से 18 साल की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए योजना का क्रियान्वयन राज्य के 13 आकांक्षी जिलों की 177 परियोजनाओं में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों को अपने स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के स्तरों में सुधार लाने में सहयोग देना है ताकि वे आत्मनिर्भर, जागरूक, और सशक्त व्यक्ति बनें। भारत सरकार के मानकों के अनुसार, इसके व्यय में केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में भागीदारी होती है। वर्ष 2024-25 में केंद्र और राज्य में से प्रत्येक के लिए 2,845.07 लाख रु. का बजट प्रावधान था जिसमें से प्रत्येक के लिए 2,117.98 लाख रु. का व्यय हुआ। वहीं, 2025-26 में केंद्र और राज्य में से प्रत्येक के लिए 3,200.59 लाख रु. व्यय का प्रावधान है लेकिन अभी तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इस योजना का आरंभ 2009-10 में बीपीएल परिवार की 40 से 79 साल उम्र वाली विधवा महिलाओं को 400 रु. का मासिक पेंशन देने के जरिए सामाजिक सुरक्षा देने के लिए किया गया था जिसमें केंद्र सरकार का 300 रु. और राज्य सरकार का 100 रु. योगदान होता है, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत अगस्त, 2025 से 1100 रु. प्रति माह प्रति लाभुक का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का 300 रु. और राज्य सरकार का 800 रु. योगदान होता है। इसके लिए 2024-25 में केंद्रांश के तहत 25,516.00 लाख रु. का, राज्यांश के तहत 7,541.00 लाख रु. का तथा राज्य योजना शीर्ष के तहत 100.00 लाख रु. बजट प्रावधान था जबकि केंद्रांश के तहत 22,913.74 लाख रु. और राज्यांश के तहत 7,541.00 लाख रु. का व्यय हुआ जिससे 6,28,323 लाभार्थी लाभान्वित हुई। वहीं, 2025-26 में केंद्रांश के तहत 23,850.04 लाख रु. का, राज्यांश के तहत 62,997.51 लाख रु. का और राज्य योजना शीर्ष के तहत 248.43 लाख रु. बजट प्रावधान था जिनके अनुसार क्रमशः 9,102.90 लाख रु., 39,002.26 लाख रु. और 35.00 लाख रु. का व्यय हुआ जिससे 6,48,365 लाभार्थियों को लाभ हुआ है।

10. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

इस योजना का आरंभ 2007-08 में बीपीएल या 60,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की 18 साल और अधिक उम्र वाली विधवा महिलाओं को 400 रु. का मासिक पेंशन एवं अगस्त, 2025 से 1100 रु. प्रति माह प्रति लाभुक का प्रावधान किया गया है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हैं। इसके लिए 2024-25 में 40,516.84 लाख रु. बजट प्रावधान था जबकि 38,738.56 लाख रु. का व्यय हुआ जिससे 8,51,008 लाभार्थी लाभान्वित

हुई। वहीं, 2025-26 में 1,21,451.67 लाख रु. बजट प्रावधान था जिसके अनुसार दिसंबर 2025 तक 75,998.65 लाख रु. का व्यय हुआ जिससे 9,07,514 लाभार्थियों को लाभ हुआ है।

11. आंगनवाड़ी केंद्र पोशाक योजना (100 प्रतिशत राज्य योजना)

यह योजना 30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम आबंटन वाली श्रेणी में आती है। इसके तहत पूरे राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित होकर विद्यालय-पूर्व शिक्षा पा रहे 3 से 6 साल उम्र वाले सभी बच्चों को जीविका के जरिए साल में दो सेट पोशाक उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन राज्य में सभी स्वीकृत 544 बाल विकास परियोजनाओं के तहत कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाता है। वित्तवर्ष 2024-25 में 20,854.49 लाख रु. के पूरे बजट प्रावधान का उपयोग पोशाकों की आपूर्ति के लिए कर लिया गया था जिससे 53,52,650 लड़कियां लाभान्वित हुई थीं। वहीं, वित्तवर्ष 2025-26 में पोशाक वितरण के लिए 17,924.64 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

12. प्रधानमंत्री जनमन योजना

इस योजना का आरंभ 2023 में हुआ था और यह 30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम आबंटन वाली श्रेणी में आती है। इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में भारत सरकार के मानकों के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया जाता है जिसका पूरा निर्माण व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वित्तवर्ष 2024-25 में इसके लिए केंद्रांश 588.02 लाख रु. था जबकि व्यय 588.00 लाख रु. था।

13. बिहार निःशक्त जन पेंशन योजना

30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम आबंटन वाली श्रेणी में आने वाली इस योजना का आरंभ 2007-08 में हुआ था। इस योजना के तहत आय और उम्र से निरपेक्ष 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों को 400 रु. का मासिक पेंशन दिया जाता है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अगस्त माह से प्रत्येक निःशक्त जनों से 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लिए 46,122.41 लाख रु. का बजट प्रावधान था जबकि 44,107.113 लाख रु. का व्यय हुआ था जिससे 9,55,687 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे। वहीं, 2025-26 में 1,39,431.55 लाख रु. के बजट प्रावधान में से दिसंबर 2025 तक 84,043.33 लाख रु. व्यय हुआ जिससे 3,60,471 महिला लाभार्थियों सहित 10,07,167 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

14. वृद्धावास (सहारा)

बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2012 के तहत राज्य के छः जिलों - पटना, पूर्णिया, गया, रोहतास, भागलपुर, और पश्चिम चंपारण - में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के जरिए 'सहारा' के नाम से वृद्धावासों का संचालन किया जा रहा है। इन छः वृद्धावासों की कुल आवासीय क्षमता 450 की है जिनमें अभी 422 वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं। साथ ही, भवन निर्माण विभाग के जरिए पटना के गुलजारबाग, गया और पूर्णिया में 100-बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है। यह योजना 30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम आबंटन वाली श्रेणी में आती है। वित्तवर्ष 2024-25 में इसके लिए 330.00 लाख रु. का बजट प्रावधान था जबकि 300.00 लाख रु. का व्यय हुआ था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 390.00 लाख रु. के बजट प्रावधान में से दिसंबर 2025 तक 300.00 लाख रु. का व्यय हो चुका है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के जरिए विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक अनेक सुविधाएं मिलती हैं। छात्रवृत्तियों की दर इस प्रकार है :

कक्षा 1 से 4 के लिए मासिक : 50 रु.

कक्षा 5 और 6 के लिए मासिक : 100 रु.

कक्षा 7 से 10 के लिए मासिक : 150 रु.

कक्षा 1 से 10 के लिए छात्रावास में निवास : 250 रु.

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार पूरे शुल्कों के साथ मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तवर्ष 2025-26 में कुल 10,54,900 छात्राओं ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया है।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित कक्षा 10 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रु. की और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 8000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का आरंभ 2008-09 में हुआ था। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों को कक्षा 12 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रु. की और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रु. की प्रोत्साहन राशि शिक्षा विभाग के जरिए दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1,01,117 और 2025-26 में कुल 98,960 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिला।

3. आवासीय विद्यालय

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 25 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 25,600 और 7,720 विद्यार्थियों की है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री, भोजन, वस्त्र, दवा और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं समेत दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। सभी आवासीय विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है और अभी 46 आवासीय विद्यालय 10+2 स्तर पर चल रहे हैं। जहां कुल 37 आवासीय विद्यालय सिर्फ अजा और अजजा छात्राओं के लिए चल रहे हैं, वहीं 4 सहशिक्षा आवासीय विद्यालय हैं। वित्तवर्ष 2025-26 में इन आवासीय विद्यालयों में कुल 12,121 छात्राएं नामांकित हैं।

4. छात्रावास

विभाग द्वारा अभी कुल 138 छात्रावास चल रहे हैं जबकि 60 नए छात्रावासों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इन छात्रावासों में विद्यार्थियों को चारपाई, गद्दे और आरओ के पानी के साथ तौलिया/ गमछा, बेडशीट, कंबल, तकिया, मच्छरदानी, अध्ययन मेज, भोजन और खाना पकाने के बर्तन आदि भी उपलब्ध कराया जाता है। अभी अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए

7 और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 2 छात्रावास चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका विद्यालय योजना के तहत राज्य के हर जिले में 100 सीट वाले सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब तक 16 जिलों में इन छात्रावासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र

अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण (छपरा), भोजपुर (आरा), सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर जैसे विभिन्न जिलों में 10 प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं जिनमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए लगभग 2,400 प्रत्याशियों को कोचिंग देने का प्रावधान है। साथ ही, पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में राज्य सरकार पटना के चित्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्र को सहयोग देती है जहां हर साल कैट और प्रबंधन की वैसी ही प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 60 विद्यार्थियों को कोचिंग दिया जाता है जिससे वे देश के अग्रणी प्रबंधन संस्थानों में नामांकन पाने में सक्षम होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन केंद्रों में छात्रों और छात्राओं, दोनों को कोचिंग दी जाती है जिससे समान अवसर सुनिश्चित होता है।

6. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक जांच-परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आगे तैयारी करने के लिए 50,000 रु. की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक जांच-परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 1,00,000 रु. की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पुरुष और महिला, दोनों प्रत्याशी शामिल हैं। साथ ही, विभागीय संकल्प संख्या 1012, दिनांक 21.02.2024 के जरिए समूह-1 की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों के लिए ऐसी ही प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत पुरुष और महिला, दोनों तरह के प्रत्याशी शामिल हैं। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत कुल 894.00 लाख रु. के व्यय से 1,781 महिला लाभार्थियों को सहायता दी गई है।

7. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना

इस योजना की शुरुआत 2018-19 में हुई थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1000 रु. छात्रावास अनुदान दिया जाता है। अभी अनुसूचित जाति के 170 और अनुसूचित जनजाति के 48 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हैं।

8. खाद्यान्न आपूर्ति योजना

इस योजना की शुरुआत 2018-19 में हुई थी। इस योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को विभाग द्वारा हर महीने 15 किलोग्राम अनाज की आपूर्ति की जाती है जिसमें 9 किग्रा चावल और 6 किग्रा गेहूं होता है। इस योजना से अभी अनुसूचित जाति

के 170 और अनुसूचित जनजाति के 48 विद्यार्थी लाभान्वित हैं।

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सहायता

इस योजना को उत्पीड़न के शिकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता देने के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को राहत राशि भी दी जाती है।

10. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और महिलाओं को आर्थिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत लाभ कार्यक्रम के तहत अधिकतम 50,000 रु. तक का अनुदान दिया जाता है। अभी तक अनुसूचित जाति की 6,710 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं।

11. महादलित विकास

महादलित समुदाय के कल्याण के लिए उनकी आर्थिक उन्नति और अवसंरचना विकास के लिए स्वीकृत योजना के साथ बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना संस्था निबंधन अधिनियम 1860 के तहत 2007-08 में की गई थी। राज्य में विकास मित्र के 9,820 स्वीकृत पद हैं जिनमें महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वहीं, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित युवक-युवतियों को चुनिंदा संस्थानों द्वारा कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है। गैर-सरकारी संगठन नारी गुंजन द्वारा पटना और गया में लड़कियों के लिए विशेष विद्यालय-सह- छात्रावास का संचालन किया जा रहा है जिससे पटना में 150 और गया में 100 लड़कियां पारंपरिक और अपारंपरिक, दोनों प्रकार की शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही, महिला विकास निगम, पटना के साथ मिलकर सभी जिलों में हर विकास मित्र ने तीन किशोरी और एक किशोर समूह गठित करने में मदद की है और उन्हें अपने पंचायत/ वार्ड में इन समूहों के प्रभावी गठन के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएम-यशस्वी)

इस योजना के तहत 2025-26 में कुल 53,52,858 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसी वित्तवर्ष में राज्य योजना के तहत कुल 920.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 13.75 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जिससे कुल स्वीकृत रकम 933.75 करोड़ रु. हो गई है।

2. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023

इस योजना के तहत 2023-24 में कुल 2,78,136 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वहीं, वित्तवर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तहत कुल 369.69 करोड़ रु. और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 157.083 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जिससे कुल स्वीकृत रकम 526.773 करोड़ रु. हो गई है।

3. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 10) की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अति पिछड़ा वर्ग के बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 10,000 रु. का एकमुश्त वजीफा दिया जाता है। वित्तवर्ष 2025-26 में अभी तक कुल 1,16,065 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

4. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 10) की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अति पिछड़ा वर्ग के बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रु. या कम हो, प्रति विद्यार्थी 10,000 रु. का एकमुश्त वजीफा दिया जाता है। विभाग द्वारा यह रकम पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को दी जाती है। वित्तवर्ष 2025-26 में अभी तक कुल 73,785 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं।

5. निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के सुगम क्रियान्वयन में सहयोग के लिए मुख्यालय स्तर पर निदेशालय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालयों की स्थापना की गई है। वर्ष 2024 में अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कुल 139 पदों में से 130 पदों पर नियुक्ति की गई थी। अभी कुल 112 अधिकारी सेवा में हैं।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय

39 चालू अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में कुल 7,678 छात्राएं पढ़ रही हैं। वहीं, अभी तक शिक्षा संबंधी 1,365 स्वीकृत पदों में से 561 पर नियुक्ति की गई है। सभी 38 जिलों में 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के लिए भवन निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। अभी तक 23 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 16 भवन निर्माणाधीन हैं।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत अब राज्य के सभी 38 जिले शामिल हैं। अभी 26 जिलों में 29 छात्रावास काम कर रहे हैं जिनमें 2,196 विद्यार्थी नामांकित हैं। नालंदा, लखीसराय, और मधुबनी - तीन जिलों में छात्रावासों का निर्माण कार्य 2025-26 में पूरा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत कुल 36 छात्रावास बने हैं जबकि 8 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत हर जिले में एक छात्रावास के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है और अभी सभी 38 जिलों में छात्रावास काम भी कर रहे हैं। इन 38 छात्रावासों की कुल क्षमता 3,800 विद्यार्थियों की है जिसमें से 3,597 विद्यार्थी नामांकित हैं।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को रहने की मुफ्त सुविधा के साथ-साथ मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत हर विद्यार्थी को 1000 रु. और छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत 15 किलोग्राम खाद्यान्न भी दिया जाता है।

9. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली; केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग; राज्य लोक सेवा आयोगों; विभिन्न बैंकिंग सेवा नियुक्ति पर्वदों/ बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान और विभिन्न रेलवे नियुक्ति पर्वदों द्वारा संचालित प्रारंभिक परीक्षाओं को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया गया है। विस्तारित योजना के तहत इन प्रारंभिक जांच-परीक्षाओं (पीटी) में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को निर्दिष्ट मानकों के तहत 30,000 रु. से 1.00 लाख रु. तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 लाभार्थियों के बीच कुल 138.00 लाख रु. वितरित किए गए।

10. प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण योजना

इस योजना के तहत पात्रता की शर्तों में संशोधन करके वार्षिक आय की सीमा 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 3.00 लाख रु. कर दी गई है। अभी राज्य के सभी 38 जिलों में प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों की कुल नामांकन क्षमता 4,560 है लेकिन अभी 4,525 विद्यार्थी नामांकित हैं। अभी तक इन केंद्रों में पढ़ रहे 1,132 विद्यार्थी विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं।

11. मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना

इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रबंधन, कानून और अन्य संबंधित पेशेवर पाठ्यक्रमों की तैयारी तथा उच्च शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय में 'व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र' की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत अभी सभी 10 स्वीकृत केंद्र चल रहे हैं। इनकी कुल नामांकन क्षमता 1,200 है लेकिन अभी 1,039 विद्यार्थी वहां नामांकित हैं। अभी तक इन केंद्रों में पढ़ने वाले 163 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला सहायता योजना

राज्य सरकार द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से चल रही है जिसका लक्ष्य परित्यक्ता/ तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. राज्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

केंद्रीय पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बिहार के लिए नियत कोटा है जबकि कुल पात्र आवेदनों की संख्या निर्दिष्ट सीमा से अधिक होती है। फलतः, बड़ी संख्या में पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थी छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। इस कमी को दूर करने और ऐसे विद्यार्थियों को लाभान्वित होना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की।

3. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार मदरसा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या फौकानिया परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार मदरसा बोर्ड की इंटरमीडिएट या मौलवी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली अल्पसंख्यक (मुसलमान) छात्राओं को इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है। साथ ही, बंगला विषय चुनकर मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी भी इस प्रोत्साहन अनुदान को पाने के पात्र हैं।

4. मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना

वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृत मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के पुरुषों और महिलाओं को विशेषीकृत प्रशिक्षण देकर रोजगार पाने में सक्षम और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

5. राज्य कोचिंग योजना

रोजगार में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006-07 में कोचिंग योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग और अन्यत तकनीकी तथा पेशेवर परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाती है।

6. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान/ खाद्यान्न योजना

इस योजना का आरंभ 2018-19 में हुआ था। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा की दर बढ़ाने के लिए लक्षित लाभ दिए जाते हैं। हर विद्यार्थी को प्रति माह 1000 रु. के अनुदान के साथ 15 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

7. केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना (प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, और मेधा-सह-साधन आधारित)

केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना (प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, और मेधा-सह-साधन आधारित) पूरी तरह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पाने में वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के तहत भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छात्रवृत्ति की रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करता है।

8. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से ज्ञात)

पूर्व में बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से ज्ञात केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी अवसंरचना विकसित की जाती है।

शिक्षा विभाग

1. नगर/ पंचायत/ जिला परिषद के शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी

नगर परिषद, प्रखंड, और जिला परिषद जैसे स्थानीय निकायों द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों, विद्यालय संचालकों, विद्यालय सहायकों, शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों, और स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फलतः, समाज में महिलाओं की हैसियत और सम्मान में वृद्धि हुई है और उनमें विकास की भावना को बढ़ावा मिला है। साथ ही, नियोजित महिलाओं की संख्या बढ़ी है, और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण में भी योगदान करने के साथ-साथ यह योजना महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के मामले में उपलब्धि साबित हुई है।

2. मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना

माध्यमिक शिक्षा के तहत जून 2007 में शुरू हुई मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्राओं को साइकल खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभांतरण (DBT) के जरिए 3,000 रु. दिए जाते हैं जिससे दूर-दराज में रहने वाली लड़कियां भी सुविधापूर्वक विद्यालय पहुंचने में सक्षम होती हैं। इस योजना ने समय की बर्बादी घटाते हुए लड़कियों को अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने में खास तौर पर मदद की है। हर वित्तवर्ष में सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त, उत्क्रमित सहित परियोजना, अल्पसंख्यक, स्वीकृत सहायता-प्राप्त मद्रसों, संस्कृत विद्यालयों, सहायता-रहित माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में नामांकित छात्राओं के लिए साइकल खरीदने के लिए जिलों में धनराशि आबंटित की जाती है।

3. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली पात्र छात्राओं को स्कूली पोशाक के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत कक्षा 1 और 2 की पात्र छात्राओं को 600 रु., कक्षा 3 से 5 तक की पात्र छात्राओं को 700 रु., कक्षा 6 से 8 तक की पात्र छात्राओं को 1000 रु. और कक्षा 9 से 12 तक की पात्र छात्राओं को 1,500 रु. दिए जाते हैं। यह सहायता देने का आशय सभी पात्र विद्यार्थियों में समानता की भावना को बढ़ावा देना और पढ़ाई जारी रखने में उनकी सहायता करना है।

4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा अभियान)

बिहार सरकार ने सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि हर पंचायत में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मध्य विद्यालयों को उत्कृष्ट करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी में लाया गया है। इस योजना के तहत 14 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना का लक्ष्य शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण तथा पाठ्यचर्या में सुधार के जरिए सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक विषमताओं की समाप्ति और विद्यार्थियों के समग्र गुणवत्तापूर्ण विकास में सुधार करना है। इस योजना के क्रियान्वयन से विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। शिक्षा के साथ-साथ छात्रावासों में लड़कियों की सुरक्षा भी इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

5. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम

मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आम तौर पर कक्षा 7 से 12 में पढ़ रही 12 से 18 वर्ष उम्र वाली छात्राओं को किशोरावस्था के दौरान सहयोग-समर्थन दिया जाता है। इस दौरान महत्वपूर्ण मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं जिनमें से अधिकांश मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं और अक्सर उनका समय पर समाधान नहीं हो पाता है जिससे विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे निपटने के लिए सरकारी, अल्पसंख्यक सहित सरकारी सहायता-प्राप्त, परियोजना, उत्कृष्ट, स्वीकृत और सहायता-प्राप्त मदरसा, संस्कृत विद्यालयों, तथा सहायता-रहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 7 से 12 तक में नामांकित पात्र छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए प्रति वर्ष 300 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे शिक्षा में सम्मान, स्वास्थ्य और निरंतरता सुनिश्चित होती है।

6. बिहार बाल भवन 'किलकारी' योजना

बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए 2008 से बाल भवन "किलकारी" योजना चल रही है। इस योजना में 8 से 16 वर्ष तक उम्र के बच्चों को 25 प्रकार की गतिविधियों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम के तहत बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाता है ताकि लड़कों और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो। किलकारी योजना लड़कियों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी पहल साबित हुई है।

7. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली सभी तबके की छात्राओं को 10,000 रु. की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियां शामिल हैं। साथ ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 8,000 रु. दिए जाते हैं।

8. मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण)

इस योजना के तहत कक्षा 1 से 6 तक पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इस योजना ने सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इससे विद्यालयों में छात्राओं का नामांकन काफी बढ़ा है। फलतः, सरकार योजना को मजबूती और विस्तार देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण सुधार करती रही है जिसमें मेनू में सुधार जैसी नई चीजों की शुरुआत करना शामिल है।

9. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार योजना

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए सरकार का लक्ष्य मान्यता-प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में कमजोर और वंचित समुदाय के बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना है। इस मकसद से सरकार ऐसे विद्यालयों को अनुदान देती है। इस योजना से समाज के कमजोर और वंचित तबकों के लड़के-लड़कियों को लाभ हो रहा है।

10. अक्षर आंचल योजना

साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत 15 से 45 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लक्ष्य समूहों को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। योजना के तहत साक्षरता के स्तरों के मूल्यांकन के लिए वार्षिक महा परीक्षा आयोजित की जाती है। इस पहल के परिणामस्वरूप, लक्ष्य समूह की लड़कियों, महिलाओं और बच्चों के बीच साक्षरता दरों में काफी सुधार हुआ है।

11. समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियान सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सरकारी योजनाएं चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षाधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। इस योजना के जरिए सरकार विद्यालयों को आदर्श विद्यालय में बदलने, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और हर विद्यालय में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

12. राजकीय महिला प्रशिक्षण विद्यालय

राज्य सरकार महिला शिक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। राज्य में महिलाओं के लिए अलग विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार के इस कदम से महिलाओं के आत्मनिर्भर होने और सशक्तीकरण में मदद मिल रही है।

13. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे वंचित समुदायों की लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देना है। इस योजना के तहत लड़कियां अब घर से दूर रहकर भी अपनी पढ़ाई कर सकती हैं।

14. समेकित कंप्यूटर प्रशिक्षण (ICT) परियोजना

राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में समेकित कंप्यूटर प्रशिक्षण परियोजना के जरिए कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस परियोजना के तहत राज्य के लड़के-लड़कियों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। इस योजना से लड़कियों के बीच समानता की भावना को ही सिर्फ मजबूती नहीं मिलती है, बल्कि भविष्य के लिए मूल्यवान कौशलों से विद्यार्थियों का सशक्तिकरण भी होता है।

15. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

राज्य में लड़कों और लड़कियों, दोनों को शिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए अनेक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी।

16. उन्नयन योजना

इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई की ऑनलाइन सुविधाएं, स्मार्ट कक्षाएं और अन्य तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

17. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण)

शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंग के बतौर चल रही मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त परीक्षा समितियों द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित छात्राओं को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए 25,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है।

18. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (स्नातक उत्तीर्ण)

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (स्नातक उत्तीर्ण) का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। यह राज्य प्रायोजित योजना है। इसका आरंभ राज्य की छात्राओं को उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को 50,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए गए परीक्षा परिणामों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

19. मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना

इस योजना के तहत सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त और अल्पसंख्यक सहित गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा आयोजित करने के लिए 20,000 रु. दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य अकादमिक, व्यवहारिक और मानसिक समझ मजबूत करके विद्यार्थियों के संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और मिथकीय स्थलों का भ्रमण करने से विद्यार्थियों को ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है।

20. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

सात निश्चय कार्यक्रम के 'आर्थिक हल युवाओं का बल' घटक के तहत राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रु. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना छात्रों को 4 प्रतिशत और छात्राओं तथा निःशक्त विद्यार्थियों को महज 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश पर राज्य के दृढ़ फोकस को देखते हुए अब ब्याज दर को संशोधित करके शून्य कर दिया गया है जिससे सभी छात्राओं के लिए शिक्षा ऋण पूर्णतः ब्याज-मुक्त हो गया है।

21. पीएम श्री योजना

पीएम श्री योजना के तहत विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सभी घटकों को दर्शाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नजदीकी विद्यालयों को मार्गदर्शन देते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार, पीएम श्री योजना का लक्ष्य बिहार में 531 विद्यालयों सहित देश में 14,500 से भी अधिक विद्यालयों की स्थापना करना है।

22. पीएम-उषा योजना

केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत बहुविषयी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिहाज से संस्थागत क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए अनुदान भी दिया जाता है।

23. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना

भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना खास तौर पर आरक्षित जनजातीय समूहों (PVTG) का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लक्षित है। योजना का फोकस इन समुदायों को मुख्य धारा में लाने और उनके समग्र जीवन-स्तर में सुधार करने के मकसद से आवास, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, बिजली, पेयजल, और पथ संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।

24. धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)

धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) जनजातीय समुदायों के लिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित भारत सरकार की बड़ी पहल है। योजना का क्रियान्वयन बिहार सहित देश के अनेक राज्यों में किया जा रहा है। धरती आबा के नाम से लोकप्रिय बिरसा मुंडा के सम्मान में उनके नाम वाली इस पहल का जोर जनजातीय आबादी के लिए जन भागीदारी, जागरूकता निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी अवसंरचना में सुधार, तथा आजीविका के टिकाऊ अवसर तैयार करने पर है।

स्वास्थ्य विभाग

1. जननी एवं बाल सुरक्षा योजना (JBSY)

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए बिहार में यह योजना 01 जुलाई 2006 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत प्रसव के बाद लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 1,400 तथा शहरी क्षेत्रों में 1,000 रु. मिलते हैं जबकि

आशा (मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) ग्रामीण क्षेत्रों में 600 तथा शहरी क्षेत्रों में 400 रु. पाने की हकदार होती हैं जिसके लिए आदेश 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी है। योजना के तहत वित्तवर्ष 2025-26 में (25 दिसंबर तक) सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 10,78,144 प्रसव हुए जबकि 2024-25 में वहां 16,15,563 प्रसव हुए थे।

2. जननी एवं शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

जननी एवं शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरंभ 2011 में राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था और संस्थागत प्रसव के दौरान तथा नवजातों को एक वर्ष की उम्र तक पूर्णतः मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत चिकित्सीय जांच, अस्पताल में भोजन, एंबुलेंस सुविधा, दवाएं, निदान, खून चढ़ाना, और इलाज जैसी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं और इनसे संबंधित पूरा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

3. मातृ मृत्यु निगरानी अनुक्रिया (MDSR)

बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 2011-13 के 208 से काफी घटकर 2021-23 में 104 रह गया और इसे 2025-26 तक राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सुनिश्चित करने के लिए राज्य का लक्ष्य इस अनुपात को घटाकर 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 70 प्रति 1,00,000 जीवित प्रसव के नीचे लाना है। राज्य में 216 प्रथम रेफरल इकाइयों (FRU) की पहचान की गई है, और अभी 120 प्रथम रेफरल इकाइयों में ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया जाता है।

4. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की नवीं, 15वीं और 21वीं तिथि को विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस मनाया जाता है जिसके तहत राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों से लेकर अधिसूचित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक 1,270 स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञों द्वारा चार बार प्रसवपूर्व जांच की जाती है। अनिवार्य जांच में खून, पेशाब, और अल्ट्रासाउंड सुनिश्चित होते हैं जबकि उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान होने पर सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए तीन अतिरिक्त प्रसवपूर्व जांच की जाती है। देखरेख की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'लक्ष्य' के तहत 170 स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कक्षों और ऑपरेशन कक्षों को प्रमाणित किया जा रहा है जबकि शेष प्रसव केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चय मानक (NQAS) के तहत शामिल किया जा रहा है। वहीं, 'सुमन' कार्यक्रम के तहत इन सारी पहलों से मातृ मृत्यु के बचाव लायक मामलों को बचाना सुनिश्चित होता है।

5. प्रसूति विद्या (मिडवाइफरी)

राज्य में इस कार्यक्रम का आरंभ 2019 में सम्मानजनक, उच्च-गुणवत्तापूर्ण, और महिला केंद्रित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल अस्पतालों, जिला या सदर अस्पतालों, और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में प्रसूति-विद्या आधारित देखरेख इकाइयों (MLCU) की स्थापना के उद्देश्य से किया गया था। ये सेवाएं प्रसूति-विद्या में पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों (NPM) द्वारा दी जाती हैं। अभी पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, और दानापुर के अनुमंड अस्पताल में

प्रसूति-विद्या आधारित देखरेख इकाइयां कार्यशील हैं। वर्तमान वित्तवर्ष में गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल और बेगूसराय के जिला अस्पताल में इसकी इकाइयां स्थापित की गई हैं जहां प्रसूति-विद्या में पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) के राज्य प्रसूति-विद्या प्रशिक्षण संस्थान (SMTI) में ऐसे नर्सों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। वहीं, दो अतिरिक्त राज्य प्रसूति-विद्या प्रशिक्षण संस्थान पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यशील हैं।

6. व्यापक गर्भपात देखरेख (CAC)

प्रशिक्षित और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सभी अस्पतालों में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही, युक्ति योजना के तहत ये सेवाएं 27 जिलों में नियत केंद्रों में प्राइवेट क्लिनिक के जरिए सार्वजनिक-निजी साझीदारी के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं। युक्ति योजना बिहार में 2008 से चल रही है जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित और विनियमित गर्भपात सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है।

7. परिवार नियोजन कार्यक्रम

नवंबर 2016 से चल रहे मिशन परिवार विकास के तहत बिहार में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है जिसके जरिए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं। महिला वंध्यकरण के बाद लाभार्थियों को 2,000 रु. और प्रेरकों को 300 रु. दिए जाते हैं जबकि प्रसवोत्तर मामलों में उन्हें क्रमशः 3,000 रु. और 400 रु. तथा गर्भपातोत्तर मामलों में 2,000 रु. और 300 रु. दिए जाते हैं। कॉपर-टी (IUCD) सेवाएं (10 वर्षों के लिए Cu-T 380A और 5 वर्षों के लिए Cu-T 375) मुफ्त दी जाती हैं जिसके साथ प्रत्येक लाभार्थी को 300 रु. मुआबजा और प्रसव तथा गर्भपात के बाद इसे लगाने पर आशा और सेवा प्रदाता को 150 रु. प्रति मामला दिया जाता है। वहीं, अक्टूबर 2017 से शुरू अंतरा गर्भनिरोधक की सुई लगवाने पर लाभार्थी और आशा, दोनों को 100 रु. प्रति इंजेक्शन दिए जाते हैं। सामुदायिक सहायता में सास-बहू-बेटी सम्मेलन (प्रति संस्था 500 रु., उपहार के लिए 1,000 रु. और आशा के लिए 100 रु.), नवविवाहित दंपतियों के लिए नई पहल किट (आशा के लिए प्रति किट 100 रु.), तथा 2022-23 से शुरू परिवार नियोजन कनवर्जेंस कार्यक्रम शामिल हैं। इस अंतिम कार्यक्रम में जीविका के स्वयं सहायता समूह संलग्न होते हैं जिन्हें प्रति प्रेरण 100 रु., पात्र दंपतियों के सूचीकरण के लिए 300 रु. प्रति माह, और प्रति गृह भ्रमण 100 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही, 16 मई 2012 से शुरू आदर्श दंपति योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म में दो साल विलंब करने पर 500 रु., दो बच्चों के जन्म के बीच तीन साल का अंतर होने पर 500 रु. और दो बच्चों के बाद दंपति को स्थायी गर्भनिरोध विधि अपनाने के लिए प्रेरित करने पर 1,000 रु. आशा को दिए जाते हैं।

8. रेफरल परिवहन

केन्द्रीयकृत 102 कॉल सेंटरों के जरिए सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए घर से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने और प्रसव के बाद घर पहुंचाने तथा जटिलता की स्थिति में उच्चतर

स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल अंतरण के लिए चौबीसो घंटे 102 एंबुलेंस सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं। वित्तवर्ष 2024-25 में (अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक) कुल 10,88,532 महिलाओं ने 102 एंबुलेंस सेवा मुफ्त प्राप्त की। वहीं, वित्तवर्ष 2025-26 में (अप्रैल से नवंबर 2025 तक) 9,55,412 गर्भवती महिलाएं इस सेवा से लाभान्वित हो चुकी हैं जिससे मातृ स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की समय पर, सुरक्षित और मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

9. आशा कार्यक्रम

आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य जागरूकता, सेवा प्रदान और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अभी राज्य में 93,687 में से 90,623 (96.73%) आशा और 4,685 में से 4,368 (93.23%) आशा फैसिलिटेटर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को 65 गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है जबकि आशा फैसिलिटेटर को अधिकतम 21 दिनों के लिए 500 रु. प्रतिदिन (अधिकतम 10,500 रु. प्रति माह) यात्रा भत्ता मिलता है। दिसंबर 2020 से सारे प्रोत्साहन भुगतान अश्विन पोर्टल के जरिए सीधे बैंक खातों में किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो-दो साड़ियां खरीदने के लिए आशा और आशा फैसिलिटेटर के खाते में 2,500 रु. अंतरित किए गए। साथ ही, 84,437 ग्रामीण आशा और 4,093 आशा फैसिलिटेटर में से प्रत्येक को स्मार्टफोन और मोबाइल रिचार्ज के लिए 200 रु. प्रति माह दिए गए। राज्य ने उनका नियत मासिक मानदेय भी 1,000 रु. से बढ़ाकर 3,000 रु. कर दिया और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 4 लाख रु. का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। सितंबर 2025 तक आशा और आशा फैसिलिटेटर लोगों के बीच प्रोत्साहन राशि भुगतान के बतौर कुल 455.54 करोड़ रु. वितरित किए गए।

10. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मासिक धर्म संबंधी सुरक्षित और स्वच्छ आदतों के बारे में किशोरियों और महिलाओं में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। वित्तवर्ष 2025-26 में इस पहल से 4,594 किशोरियां लाभान्वित हुईं जिनके लिए भारत सरकार ने 26 जिलों में 14 लाख रु. आवंटित किए। साथ ही, 23 जिलों में चल रहे 210 किशोरी-अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक 10 से 19 वर्ष की किशोरियों को परामर्श और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वित्तवर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक इससे 37,338 किशोरियां लाभान्वित हुई हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBKS) के तहत चलंत चिकित्सा टीमों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी/ सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है और जांच के दौरान स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं। वित्तवर्ष 2024-25 में (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) 30,43,084 लड़कियों की जांच की गई जबकि वित्तवर्ष 2025-26 में (1 अप्रैल से 30 नवंबर 2025 तक) 40,99,683 लड़कियों की स्वास्थ्य जांच की गई।

11. राष्ट्रीय असंचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD)

इस योजना के तहत राज्य सरकार आबादी का लगभग आधा हिस्सा रही महिलाओं को समय विकास का मुख्य स्तंभ मानती है और उनके स्वास्थ्य संरक्षण तथा देखरेख को अपनी महत्वपूर्ण

जिम्मेवारी मानती है। बदलती जीवनशैली और भोजन संबंधी आदतों के कारण शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में कैंसर, खास कर महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इन दोनों कैंसरों की जांच सभी जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों और विशेष शिविरों के जरिए की जाती है और विश्व कैंसर दिवस जैसे अवसरों पर जागरूकता पैदा की जाती है। अभी तक स्तन कैंसर के लिए 30,87,656 और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए 11,13,604 महिलाओं की जांच की गई है। संदिग्ध और पुष्टिकृत मामलों को मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण सिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल समेत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। साथ ही, इस कार्यक्रम के तहत डे-केयर कीमोथैरापी केंद्र इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। 17 जिलों में इनके 15 केंद्र चालू और 2 निर्माणाधीन हैं जबकि 21 नवचिन्हित जिलों में इनका विस्तार प्रक्रियाधीन है।

12. ममता कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, खास कर रविदास समुदाय की महिलाओं को गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को सहयोग देने के लिए ममता कर्मी के बतौर नियुक्त किया जाता है। जुलाई 2025 से इस कार्यक्रम के तहत ममता कर्मियों को हर प्रसव पर 600 रु. दिए जाते हैं। अभी तक राज्य में 5,203 ममता कर्मी कार्यरत हैं। सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में राज्य सरकार उनके आश्रित परिजनों को 4 लाख रु. का अनुकृपा अनुदान देती है।

13. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने, लिंग अनुपात में सुधार करने, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर घटाने, तथा समाज की मुख्य धारा में लाकर लड़कियों का सशक्तीकरण करने के लिए लक्षित राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। योजना के स्वास्थ्य घटक के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर लड़कियों का जन्म होता है तो लाभार्थी को पहले और दूसरे बच्चे के लिए (प्राथमिकता क्रम में दो लड़कियों तक के लिए) 2,000 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रसव के बाद और 2,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दो वर्षों तक पूर्ण प्रतिरक्षण के बाद दी जाती है। राज्य सरकार की राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा नियत पोर्टल पर अनुरक्षित डेटा के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए सीधे लड़की के अभिभावक के खाते में भेज दी जाती है।

ग्रामीण विकास विभाग

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (ग्रामीण)

गृहविहीन या कच्चे अथवा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का 2016-17 में आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके खातों में प्रति परिवार 1.20 लाख रु. राज्य-स्तरीय नोडल खाता से प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए तीन किश्तों में भेजे जाते हैं। आवास स्वीकृत करने में

परिवार के महिला सदस्य के नाम को प्राथमिकता दी जाती है। 30.12.2025 तक कुल 49,08,583 आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 17,90,597 महिलाओं के नाम से, 22,79,759 महिला और पुरुष के संयुक्त नाम से, तथा 8,38,141 अकेले पुरुषों के नाम से स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 2016-17 से लेकर अभी तक कुल 53,95,243.00 लाख रु. का व्यय हुआ है जबकि 2025-26 में अभी तक 4,89,864.75 लाख रु. का व्यय हो चुका है।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

वर्ष 2018-19 से चल रही इस राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को इस योजना के तहत के तहत सहायता दी जाती है जिनके आवास विभिन्न योजनाओं के तहत 1 जनवरी 1996 के पहले बने थे लेकिन अभी जीर्णोद्धार स्थिति में हैं और वे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, मुजफ्फरपुर के पांच प्रखंडों - बोचहां, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर और मुसहरी - में तीव्र एनसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से पीड़ित लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची से बाहर रह गए लोगों समेत राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर रह गए पात्र गृहविहीन परिवारों को भी धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। लाभार्थियों को तीन किशतों में 1.20 लाख रु. प्रति परिवार सहायता मिलती है और रकम राज्य-स्तरीय नोडल लेखे से सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाती है। वर्ष 2018-19, 2021-22, 2023-24 और 2024-25 के लिए कुल 94,101 मकानों का भौतिक लक्ष्य था जबकि 30.12.2025 तक कुल 91,896 मकान स्वीकृत और 82,664 पूरे हुए हैं। स्वीकृति में महिला सदस्यों के नाम को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन अपवाद स्वरूप संयुक्त नामों और महिला सदस्यों की अनुपस्थिति में पुरुषों को भी स्वीकृति दी जाती है। वर्ष 2018-19 से लेकर अभी तक कुल 1,04,568.80 लाख रु. का व्यय हुआ है जबकि 2025-26 में अभी तक 3,607.55 लाख रु. का व्यय हो चुका है।

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

वित्तवर्ष 2020-21 से चल रही राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को 50,000 रु. उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें 1 अप्रिल 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ मिला था लेकिन मकान अधूरे रह गए थे। वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 46,949 मकानों का लक्ष्य था जबकि 30.12.2025 तक कुल 44,929 मकान स्वीकृत और 41,420 पूरे हुए हैं। परिवार के महिला सदस्यों के नाम को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2025-26 में खर्च 473.20 लाख रु. सहित अभी तक योजना पर 21,711.50 लाख रु. खर्च हुए हैं।

4. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA)

विकसित बिहार के सात निश्चय-1 के तहत 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित कर दिया गया था। जागरूकता अभियानों के जरिए 1.22 करोड़ परिवारों

को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। अजा/ अजजा, लघु/ सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग, और महिला-प्रधान परिवारों सहित पात्र ग्रामीण परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रु. प्रति परिवार मिलते हैं। इसके दूसरे चरण में 22.74 लाख व्यक्तिगत शौचालय बने जिसमें से 1.56 लाख 2025-26 में बने। वहीं, 2019-20 से भूमिहीन, अजा/ अजजा, और अस्थायी आबादी के लिए 9,436 सामुदायिक शौचालय संकुल बनवाए गए हैं।

5. जीविका - बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति

बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति अर्थात 'जीविका' ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, और गरीबी निवारण के लिए लक्षित राज्य सरकार की अग्रणी परियोजना है। इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए संस्थागत ढांचे बनाए जाते हैं, और वित्तीय सहायता, लेखाकरण, तथा जीविका संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है।

- (क) **सामाजिक समावेश** : 1.4 करोड़ से भी अधिक परिवारों को जोड़कर अभी तक कुल 11.45 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ-साथ 73,515 ग्राम संगठनों और 1,684 संकुल संघों का निर्माण किया गया है।
- (ख) **वित्तीय समावेश** : 10.49 लाख स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोले गए हैं और उन्हें कुल 59,250 करोड़ रु. के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं, 6,443 बैंक संवाददाताओं को प्रशिक्षित करके ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- (ग) **बीमा और ऋण सहायता** : लगभग 91.12 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों का बीमा किया गया है। वित्तवर्ष 2025-26 में लगभग एक लाख स्वयं सहायता समूहों को कुल 4,504 करोड़ रु. का ऋण मिला। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने पटना में बिहार राज्य जीविका निधि ऋण सहयोग संघ स्थापित किया है।
- (घ) **कृषि गतिविधियां** : अभी तक 42.54 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि गतिविधियों से जोड़ा गया है। वहीं, 61 महिला संचालित उत्पादक कंपनियों के जरिए किसानों को प्रोत्साहन राशि, उत्पाद समेकन, और बाजार के साथ जुड़ाव उपलब्ध होता है। कृषि विभाग के साथ समन्वय के जरिए 520 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए हैं जो संकुल संघों के तहत चल रहे हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 35 प्रखंडों में 85 जैविक संकुल विकसित किए गए हैं जिनसे 6,832 किसान जुड़े हैं। वर्ष 2025-26 में 6.07 लाख महिला किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं से जोड़ा गया है जिससे वित्तीय और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित हुआ है।
- (च) **पशुधन गतिविधियां** : पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के साथ मिलकर 1.50 लाख परिवारों को समेकित कुक्कुट विकास योजना और समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी/ भेड़ पालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। 7,736 प्रशिक्षित पशु सखियां 8.06 लाख बकरी पालक परिवारों को सेवा दे रही हैं और अभी तक 10.05 लाख बकरियों को टीके लगाए गए हैं। अररिया में सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी से 19,956 परिवार जुड़े हैं। वहीं, राष्ट्रीय गव्य विकास पर्वद के सहयोग से कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी ने कोशी प्रमंडल में 889 दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं जिनके जरिए 38,561 पशुपालक किसान प्रतिदिन औसतन 72,000 लीटर दूध संग्रहित करके बेचते हैं।

(छ) स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता

सामुदायिक संस्था निर्माण के लिए राष्ट्रीय संसाधन संगठन के बतौर सेवा और अन्य राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की गतिविधियों में योगदान देकर जीविका बिहार में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने अस्पतालों में रोगियों की सहायता के लिए 45 स्वास्थ्य सहायता केंद्रों की स्थापना की है, बक्सर जिले में सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाई जैसी महिला-प्रधान गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, और बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध प्रोत्साहन राशि के जरिए आयुष्मान कार्ड के लिए नामांकन को प्रोत्साहित किया है। जहां स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभागों के साथ मिलकर जीविका आंगनवाड़ी केंद्रों में आरोग्य दिवस, अन्नप्राशन दिवस और गोदभराई गतिविधियों के जरिए सेवाएं देने में मदद करती है, वहीं जीविका समर्थित ग्राम संगठनों की बैठकें आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी सक्रियता से फैलाने में सक्षम बनाती हैं।

(ज) महिला संवाद

महिला संवाद का आरंभ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद के जरिए स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद 18 अप्रैल 2025 को किया गया। इस कार्यक्रम ने सामुदायिक संवाद और बैठकों, पर्चों, तथा वीडियो फिल्मों के जरिए महिला कल्याण संबंधी राज्य सरकार की पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंच तैयार किया है। 600 जागरूकता वाहनों का उपयोग करके अभियान 70,000 से भी अधिक स्थानों पर और राज्य में 1.55 करोड़ से भी अधिक महिलाओं तक पहुंचा।

(ज) मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

बिहार सरकार ने जीविका के जरिए क्रियान्वित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आरंभ महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को अपने द्वारा चुनी गई आजीविका गतिविधि शुरू करने के लिए 10,000 रु. की आरंभिक वित्तीय सहायता मिलती है। रोजगार शुरू करने के बाद उन्हें अपना उद्यम मजबूत करने के लिए आवश्यक 2 लाख रु. तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के उत्पाद बेचने के लिए गांवों से शहरों तक समर्पित हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे। अभी तक 1.56 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं जिनमें से प्रत्येक को आय-सृजन गतिविधियों के लिए 10,000 रु. मिले हैं जिससे परिवारों की उन्नति हुई है और उनके जीवन-स्तर में सुधार हुआ है।

(झ) लखपति दीदी

लखपति दीदी योजना के तहत जीविका का लक्ष्य वैसी महिलाओं से है जिनकी वार्षिक आय स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद 1,00,000 रु. से अधिक हो गई है जिन्हें 'लखपति दीदी' नाम दिया गया है। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को टिकाऊ

आजीविका गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे आय के दीर्घकालिक स्रोत तैयार करने में सक्षम होती हैं। अभी बिहार में 31.71 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का नाम दिया गया है। जीविका सामुदायिक निर्माण, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के लिए संसाधन संगठन के बतौर राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है जिसमें बिहार की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में योगदान देती हैं। इस प्रयास से महिलाओं की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ी है, उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ है, और सकारात्मक परिवर्तन के लिए उनमें उत्साह का संचार हुआ है।

6. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्रामीण परिवारों के सभी इच्छुक वयस्क सदस्य 100 दिनों का अकुशल रोजगार पाने के हकदार हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार परिवारों को अधिकाधिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा मिले तथा ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य राज्यों में होने वाले प्रवास को रोका जा सके। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें अकुशल मजदूरी पर व्यय का 100 प्रतिशत, निर्दिष्ट सीमा में सामग्रियों के व्यय का 75 प्रतिशत और 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय केंद्र सरकार वहन करती है जबकि राज्य सरकार सामग्रियों के व्यय का 25 प्रतिशत वहन करती है। इस योजना के तहत 2024-25 में मजदूरी के लिए 21 करोड़ व्यक्ति-दिवस का बजट था लेकिन दिसंबर 2025 तक 17.40 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुए। वहीं, मजदूरी पर 4,418.45 करोड़ रु. रु. और प्रशासनिक व्यय सहित सामग्रियों पर 1,501.82 रु. के व्यय से 53.99 लाख परिसंपत्तियां सृजित की गईं और कुल सृजित व्यक्ति-दिवस में महिलाओं का 55.10 प्रतिशत हिस्सा था।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. अभियान बसेरा कार्यक्रम

विभाग अभियान बसेरा-2 कार्यक्रम का क्रियान्वयन पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करके और बंदोबस्ती प्रमाणपत्र जारी करके भूमिहीन परिवारों को बासगीत जमीन देने के लिए कर रहा है। इस योजना के तहत अभी तक 1,37,602 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें से 68,241 को बासगीत जमीन उपलब्ध करा दी गई है जो मुख्यतः गैर-मजरुआ आम या खास जैसी सरकारी जमीन है। वहीं, जिन मामलों में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है वहां के लिए मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 की शुरुआत की गई है जिसके तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को निजी जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अभियान बसेरा-2 के तहत जमीन का आबंटन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग-1 और 2 सहित पात्र श्रेणियों के महिला सदस्यों के नाम से किया जाता है जिससे 100 प्रतिशत महिला लाभार्थी सुनिश्चित होती हैं। वित्तवर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 10.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम, 2011 के तहत क्रियान्वित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम का लक्ष्य जमीन संबंधी मामलों का तेज, पारदर्शी और उच्च गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत 2,469 (23 प्रतिशत) महिलाओं सहित 10,733

संविदाधीन कर्मियों के जरिए सभी राजस्व ग्रामों में अधिकारों के रिकॉर्ड और भू-मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती गतिविधियों की शुरुआत की गई है। वर्ष 2024-25 में संविदाधीन महिला कर्मियों को लगभग 89 करोड़ रु. भुगतान किया गया जबकि 2025-26 में इस पर 142.00 करोड़ रु. व्यय होने की आशा है। साथ ही, सभी अंचलों में घर पर ही राजस्व सेवा देने की शुरुआत की गई है जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत 6,685 नियमित कर्मियों में से 816 अर्थात् लगभग 12 प्रतिशत महिलाएं हैं।

उद्योग विभाग

1. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

राज्य की महिलाओं में उद्यमिता/ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 से पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अजा/ अजजा/ अति पिछड़ा वर्ग उद्यमिता योजनाओं पर आधारित मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-2 के तहत किया जा रहा है। इस योजना के तहत उद्योग लगाने वाली महिलाओं को प्रति इकाई 10.00 लाख रु. तक परियोजना सहायता दी जाती है जिसमें से 50 प्रतिशत रकम ब्याज-मुक्त ऋण के बतौर दी जाती है और शेष 50 प्रतिशत अनुदान के बतौर जिससे ऋण-अनुदान अनुपात 50:50 बरकरार रहता है। अंतिम किश्त मिलने के एक साल बाद से ऋण की वसूली शुरू होती है जिसे योजना का क्रियान्वयन करने वाले बिहार स्टार्ट-अप कोष न्यास द्वारा 84 समान किश्तों में वसूला जाता है। इसके अलावा, सभी लाभार्थियों के प्रशिक्षण और परियोजना अनुश्रवण समिति के लिए प्रति इकाई 25,000 रु. उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2026-27 में कुल 23,766.00 लाख रु. का बजट प्रस्तावित है, और 100 प्रतिशत आबंटन महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण, ऋण तथा सब्सिडी के लिए कर्णांकित है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

1. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना

मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत 'हर-घर-नल का जल' के तहत पाइप आधारित जलापूर्ति योजना और नल के घरेलू कनेक्शन का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 10,719 वासस्थलों और पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित अनाच्छादित 16,124 वासस्थलों में किया जा रहा है जिनमें गुणवत्ता प्रभावित और गुणवत्ता अप्रभावित, दोनों तरह के क्षेत्र शामिल हैं। इन पहलों का लक्ष्य सबके लिए सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, और अनुमान है कि कुल व्यय का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के समय का बोझ घटाकर और स्वास्थ्य तथा खुशहाली में सुधार लाकर उनके विकास में प्रत्यक्ष योगदान करता है।

परिवहन विभाग

1. महिलाओं के लिए वाहन करों में छूट

अगर किसी महिला के नाम पर किसी तिपहिया, टैक्सी, मोटर कैब या मैक्सी कैब का निबंधन किया जाता है, जिसे वह या कोई अन्य महिला चलाती है जिसे परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया हो, तो उस स्थिति में उसे वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है।

2. पिंक बसें

पिंक बस पहल 100 सीएनजी-चालित बसों के जरिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, और गया - छः जिलों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती यात्रा सुनिश्चित करती है। सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस, और इलक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली से लैश ये बसें सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाती हैं। योजना के तहत कंडक्टर के बतौर नौकरी का अवसर पैदा करके और ड्राइवर के बतौर प्रशिक्षण देकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाता है जिससे महिलाओं के अनुकूल नगर परिवहन को बढ़ावा मिलता है।

उत्पाद एवं निबंधन विभाग

1. स्टांप शुल्क और उपहार विलेखों पर छूट

महिलाओं की हैसियत बढ़ाने के लिए इन मामलों में स्टांप शुल्क में छूट शुरू की गई है : 1. विक्रय विलेख के लिए हस्तांतरण पुरुष द्वारा महिला को होने पर 5.7 प्रतिशत, महिला से पुरुष को होने पर 6.3 प्रतिशत, अन्य मामलों में 6 प्रतिशत; तथा 2. विक्रय और उपहार विलेखों के लिए हस्तांतरण पुरुष द्वारा महिला को होने पर 1.9 प्रतिशत, महिला से पुरुष को होने पर 2.1 प्रतिशत, अन्य मामलों में 2 प्रतिशत। इसके अलावा, उत्पाद कार्यालयों और मद्य निषेध पुलिस थानों में महिलाओं के लिए 10 बेड वाले बैरक जो 35 प्रतिशत आरक्षण के तहत महिलाओं की सहायता करती हैं।

पंचायती राज विभाग

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चयनित प्रत्याशियों में महिलाओं की भागीदारी

संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप, विकेंद्रित शासन और विकास में जन भागीदारी को मजबूती देने के लिए अधिकार और दायित्व उत्तरोत्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिससे स्थानीय शासन और निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और सक्रिय भूमिका में काफी वृद्धि हुई है।

2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार सरकार बिहार पंचायत राज अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह कक्षों का निर्माण कराएगी। निर्माण 2025-26 से 2029-30 तक पांच वित्तवर्षों में चरणबद्ध ढंग से पूरा होगा। ये कक्ष ग्रामीण समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतें पूरी करेंगे और महिला कल्याण को बढ़ावा देते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। इस पहल से स्थानीय आर्थिक विकास को मजबूती, सामुदायिक एकता को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे ग्रामीण बिहार में महिलाओं की उन्नति और समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति में काफी योगदान होगा।

3. ग्राम कचहरी में महिलाओं की भागीदारी

बिहार के पंचायती राज अधिनियम के तहत हर ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 106 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। ग्राम कचहरी के सचिव और न्यायमित्र की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण ग्राम कचहरी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में निर्वाचित पंचों और सरपंचों में महिलाओं का 59.55 प्रतिशत हिस्सा था। इन प्रावधानों से महिला अधिकार संरक्षण को काफी मजबूती मिली है और राज्य में जमीन शासन तथा न्याय प्रदान में उनकी भूमिका बढ़ी है।

4. जन पुस्तकालय और मुफ्त वाइ-फाई की सुविधा

छटे राज्य वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य के हर ग्राम पंचायत में जन पुस्तकालय और मुफ्त वाइ-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल से ग्रामीण समुदायों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति को सहयोग मिलेगा, जिससे मेधावी और वंचित विद्यार्थियों तथा महिलाओं को जानकारी, डिजिटल संसाधनों, और विकास के अवसरों तक पहुंच उपलब्ध होने से खास तौर पर लाभ होगा।

5. मुक्त व्यायामशाला और सार्वजनिक शौचालय

छटे राज्य वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य के हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम और जन शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। यह ग्रामीण समुदायों, खास कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

6. महिला सभाएं

पंचायत/ ग्राम स्तर पर महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण के लिए पंचायत सरकार भवनों में विशेष सभाएं आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

विधि विभाग

1. बिहार पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन

एसिड बिक्री और लक्ष्मी जैसे अवयस्क के मुकदमे के संबंध में गृह कार्य मंत्रालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालनस्वरूप, बिहार पीड़ित महिला मुआबजा योजना को सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के संवादों के अनुरूप इसे संशोधित करके बिहार पीड़ित मुआबजा योजना, 2014 को अधिसूचित किया गया, जिसके बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की रूपरेखा के अनुरूप बनाया गया। इस योजना के तहत एसिड हमला, बलात्कार, बाल यौन दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, बलात्कार से भिन्न यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, और प्रजनन क्षमता के ह्रास के शिकार महिलाओं को पुनर्वास के लिए मुआबजा मिलता है। इस योजना का क्रियान्वयन विभागीय बजट

आवंटन के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना द्वारा किया जा रहा है। इस मकसद से 2024-25 में 25 करोड़ रु., और 2025-26 में 30 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे जबकि 2026-27 के लिए 30 करोड़ रु. का उपबंध है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. जल-जीवन-हरियाली अभियान

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत शहरी जल संरक्षण और पर्यावरण संबंधी काम चल रहे हैं। अभी तक 1,839 में से 192 तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है, 522 में से 400 सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लगाई गई है, 15,625 में से 11,435 चापाकलों को पुनःस्थापित किया गया है, 4,443 में से 3,526 सार्वजनिक कुओं के समीप सोखता गड्ढे बनाए गए हैं, तथा 5,309 में से 4,467 कुओं को पुनर्जीवित किया गया है। इन पहलों से पूरी शहरी आबादी को लाभ हुआ है और कुल बजट व्यय का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट के लिए कर्णांकित है जिससे महिलाओं और समुदाय की खुशहाली में मदद मिली है।

2. मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना (पथ एवं पुल निर्माण) के तहत 10 फीट से कम चौड़ी गलियों का पेवर ब्लॉक के जरिए पक्कीकरण किया जा रहा है जो सुरक्षा और गम्यता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025-26 में विभिन्न नगर स्थानीय निकायों में गली और नाली निर्माण की 491 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनका कुल व्यय 368.85 करोड़ रु. है। इन कार्यों से पूरी शहरी आबादी को लाभ होगा और कुल बजट का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट के लिए कर्णांकित है।

3. निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियत भत्ता

राज्य के नगर स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्दिष्ट नियत भत्ता दिया जाता है जिसका 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए कर्णांकित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

1. वन संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन में भूमिका

बिहार में महिलाएं वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिक पर्यटन, और आजीविका कार्यक्रमों में सक्रियता से सहयोग करती हैं। वृक्ष सुरक्षा, वन गश्ती, और पौधरोपण अभियानों के लिए 'रक्षासूत्र' जैसी पहलों के जरिए वे सुस्थिरता में योगदान करती हैं। वन विभाग आमदनी में सुधार और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूती देने के लिए समयबद्ध वानिकी योजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है।

2. वानिकी एवं पौधशाला स्थापना योजना

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और स्थिर आय उपलब्ध कराने के लिए संरक्षण को आजीविका के साथ जोड़ते हुए विभाग जीविका दीदियों को पौधशाला कार्यक्रमों में शामिल करता है।

3. मुख्यमंत्री निजी (अन्य प्रजाति) पौधशाला योजना

वार्षिक आबंटनों से जीविका दीदियों को पौधशालाएं चलाने में मदद मिलती है जिससे वे वनीकरण और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ हर साल प्रति पौधशाला लगभग 4.8 लाख रु. कमाती हैं।

4. जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी

जैव विविधता अनिनियम के तहत राज्य की जैव विविधता की रक्षा के लिए जैव विविधता पंजी के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों का दस्तावेजीकरण किया जाता है जिससे जैविक संसाधनों का व्यापार होने से आमदनी का उचित बंटवारा सुनिश्चित होता है। समुदायों की जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर फोकस के साथ पारंपरिक ज्ञान साझा किया जाता है जिससे संरक्षण और लाभ में हिस्सेदारी में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होती है।

सामान्य प्रशासन विभाग

जेंडर बजट प्रकोष्ठ

सामान्य प्रशासन विभाग का जेंडर बजट प्रकोष्ठ योजनाओं के जेंडर संबंधी प्रभावों का विश्लेषण करता है, राज्य सरकार की नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण के लाभान्वितों के लैंगिक आधार पर बांटे गए आंकड़े संकलित करता है, और महिलाओं को सेवाओं की उपलब्धता में सुधार, निर्णय लेने में भागीदारी तथा आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता और बजट विश्लेषण पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है।

कृषि विभाग

कृषि विभाग सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देता है। 2 करोड़ से भी अधिक किसान डीबीटी पोर्टल पर निबंधित हैं जिनमें से 82.98 लाख महिलाएं हैं। महिला किसानों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, और लक्षित सहायता के जरिए समेकित किया जाता है।

1. मशरूम उत्पादन केंद्र

महिला किसानों को मशरूम उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रति इकाई 10 लाख रु. की अधिकतम सीमा तक 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। वहीं, मशरूम के बीज और कंपोस्ट किट के वितरण के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। झोंपड़ी आधारित मशरूम उत्पादन के लिए 89,750 रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

2. मधुमक्खी पालन

बागवानी और सरसों उत्पादक क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों को लागत सामग्रियों पर सब्सिडी के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मधुमक्खियों की कॉलोनी/ बक्सों, छत्तों, और फुड-ग्रेड डिब्बों के साथ हनी एक्सट्रैक्टर के लिए सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1,500 रु. प्रति इकाई की सीमा तक 75 प्रतिशत और अजा/ अजजा महिलाओं को 1,800 रु. प्रति इकाई की सीमा तक 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

3. महिला खाद्य सुरक्षा समूह

क्षमता और आजीविका को मजबूती देने के लिए महिला किसानों को खाद्य सुरक्षा समूहों में संगठित किया जाता है। बीज खरीदने के लिए हर समूह को 10,000 रु. दिए जाते हैं। आत्मा योजना के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, प्रत्यक्षण, और अध्ययन यात्राओं में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

4. कृषि यंत्रीकरण योजना

इस योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में किया जाता है जिसमें खेत की तैयारी, बुआई, खर-पतवार हटाने, सिंचाई, कटाई-तुड़ाई, अपशिष्ट प्रबंधन, और बागवानी से संबंधित 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। अभी तक महिला और जीविका समूहों द्वारा 409 कस्टम हायरिंग केंद्र/ कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए गए हैं। यंत्र बैंकों को 4 लाख रु., 8 लाख रु. और 12 लाख रु. का अनुदान दिया जाता है जिसमें सब्सिडी की सीमा मशीन की कीमत का 80 प्रतिशत होती है।

5. जलछाजन विकास योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलछाजन विकास योजना घटक के तहत महिलाओं को जागरूकता अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, और आजीविका गतिविधियों में प्राथमिकता दी जाती है। जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए महिला किसानों को जलछाजन तालाबों और सिंचाई कूपों के निर्माण में प्राथमिकता भी मिलती है।

जेन्डर बजट 2026-27
विभागवार विवरणी

(राशि लाख रू० में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2024-25 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2026-27 (कुल बजट अनुमान)	2026-27 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	54285.96	84068.10	98441.45	248417.31	74525.19
3	भवन निर्माण विभाग	90139.40	67067.26	123970.93	153819.36	72385.91
8	कला एवं संस्कृति विभाग	5748.91	10498.49	10180.38	17175.18	6870.07
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	83113.65	84991.78	107752.39	169449.77	93209.98
16	पंचायती राज विभाग	200315.84	224298.44	271316.15	505408.40	252704.20
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	60878.88	42290.56	70280.74	82042.96	39380.62
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	7167.15	7675.48	8690.14	21168.99	7409.15
20	स्वास्थ्य विभाग	241583.05	213041.63	779905.21	669503.57	382052.25
21	शिक्षा विभाग	1600730.50	1795991.18	3184577.97	5701922.30	2043122.81
22	गृह विभाग	21.88	71.00	105.00	42.00	42.00
23	उद्योग विभाग	73435.68	58640.40	49885.01	103160.01	53264.00
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	12199.24	21131.80	25747.10	0.00	0.00
27	विधि विभाग	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	16807.62	22020.40	24940.40	40934.00	17030.30
33	सामान्य प्रशासन विभाग	28853.99	43492.12	46102.42	124400.14	43540.05
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	72687.84	101382.65	114982.65	200166.00	90074.70
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	41502.82	59152.23	40918.82	213476.99	64393.10

42	ग्रामीण विकास विभाग	604836.51	1124208.93	3427428.17	2308485.00	1932022.06
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	31033.21	37928.72	39435.54	96803.06	33960.53
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	67823.60	75186.40	92189.70	213244.55	87078.04
46	पर्यटन विभाग	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
47	परिवहन विभाग	3306.35	5307.59	5402.04	19004.22	5711.11
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	92486.84	185008.59	321438.56	949379.08	284813.72
51	समाज कल्याण विभाग	748482.31	553338.42	1447222.39	833764.18	534159.59
52	खेल विभाग	6994.02	6559.26	16769.95	22001.80	11000.90
53	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	0.00	0.00	0.00	42998.00	13078.75
54	उच्च शिक्षा विभाग	0.00	0.00	0.00	715960.19	230100.97
योग		4153557.12	4865651.41	10352583.11	13499927.06	6396430.02

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

**वर्ष 2026-27 के जेंडर बजट के अंतर्गत महिलाओं पर व्यय किये जाने हेतु
बजट में प्रावधानित राशि**

(राशि लाख रू० में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	बजट उपबंध	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि	महिलाओं के लिए कम-से-कम 30 प्रतिशत कर्णांकित राशि	कुल योग
1	कृषि विभाग	248417.31	0.00	74525.19	74525.19
3	भवन निर्माण विभाग	153819.36	1200.00	71185.91	72385.91
8	कला एवं संस्कृति विभाग	17175.18	0	6870.07	6870.07
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	169449.77	13807.59	79402.39	93209.98
16	पंचायती राज विभाग	505408.40	0.00	252704.20	252704.20
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	82042.96	0.00	39380.62	39380.62
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	21168.99	0.00	7409.15	7409.15
20	स्वास्थ्य विभाग	669503.57	190418.04	191634.21	382052.25
21	शिक्षा विभाग	5701922.30	73000.00	1970122.81	2043122.81
22	गृह विभाग	42.00	42.00	0.00	42.00
23	उद्योग विभाग	103160.01	20000.00	33264.00	53264.00
27	विधि विभाग	3000.00	0.00	2400.00	2400.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	40934.00	50.00	16980.30	17030.30
33	सामान्य प्रशासन विभाग	124400.14	0.00	43540.05	43540.05
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	200166.00	0.00	90074.70	90074.70
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	213476.99	500.00	63893.10	64393.10

42	ग्रामीण विकास विभाग	2308485.00	1321738.00	610284.06	1932022.06
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	96803.06	122.25	33838.28	33960.53
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	213244.55	0.00	87078.04	87078.04
46	पर्यटन विभाग	44200.00	0.00	22100.00	22100.00
47	परिवहन विभाग	19004.22	0.00	5711.11	5711.11
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	949379.08	0.00	284813.72	284813.72
51	समाज कल्याण विभाग	833764.18	114494.44	419665.15	534159.59
52	खेल विभाग	22001.80	0.00	11000.90	11000.90
53	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	42998.00	256.21	12822.54	13078.75
54	उच्च शिक्षा विभाग	715960.19	21875.59	208225.38	230100.97
योग		13499927.06	1757504.12	4638925.90	6396430.02

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2026-27 विभागवार विवरणी

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख रू० में)

मांग सं०	विभाग का नाम	2024-25 (वास्तविकी जेन्डर)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2026-27 (कुल बजट अनुमान)	2026-27 (जेन्डर बजट अनुमान)
03	भवन निर्माण विभाग	0.00	13665.01	14257.01	36834.55	14733.82
08	कला एवं संस्कृति विभाग	0.00	8294.49	7976.38	11093.18	4437.27
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	6340.78	10333.91	13729.90	17150.77	14815.54
16	पंचायती राज विभाग	0.00	222848.44	239688.15	502525.40	251262.70
20	स्वास्थ्य विभाग	11103.14	13822.17	30892.13	25316.61	18477.47
21	शिक्षा विभाग	437184.08	1049820.97	1758336.19	4012695.30	1404443.36
22	गृह विभाग	19.89	42.00	42.00	42.00	42.00
27	विधि विभाग	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	22763.99	36769.74	39380.05	104169.20	36459.22
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	26727.99	45792.24	14293.05	168752.03	50625.61
42	ग्रामीण विकास विभाग	0.00	0.00	34751.00	73500.00	73500.00
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	19047.97	23648.72	24939.25	74303.06	26085.53
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	9232.02	12545.25	16696.59	59304.37	19924.49
47	परिवहन विभाग	3306.35	5307.59	5402.04	19004.22	5711.11

51	समाज कल्याण विभाग	1742.70	1975.30	1990.25	1923.16	1923.16
52	खेल विभाग	705.52	905.98	4693.83	9551.80	4775.90
54	उच्च शिक्षा विभाग	0.00	0.00	0.00	695360.19	209920.97
कुल योग		538174.42	1447571.81	2209467.82	5814525.84	2139538.16

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2026-27 विभागवार विवरणी
स्कीम (राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम)

(राशि लाख रू० में)

मांग सं०	विभाग का नाम	2024-25 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2026-27 (कुल बजट अनुमान)	2026-27 (जेन्डर बजट अनुमान)
01	कृषि विभाग	54285.96	84068.10	98441.45	248417.31	74525.19
03	भवन निर्माण विभाग	82066.79	53402.25	109713.92	116984.81	57652.09
08	कला एवं संस्कृति विभाग	1092.03	2204.00	2204.00	6082.00	2432.80
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	76772.87	74657.87	94022.49	152299.00	78394.44
16	पंचायती राज विभाग	15922.58	1450.00	31628.00	2883.00	1441.50
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	60878.88	42290.56	70280.74	82042.96	39380.62
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	7167.15	7675.48	8690.14	21168.99	7409.15
20	स्वास्थ्य विभाग	230479.91	199219.46	749013.08	644186.96	363574.78
21	शिक्षा विभाग	1163546.42	746170.21	1426241.78	1689227.00	638679.45
22	गृह विभाग	1.99	29.00	63.00	0.00	0.00
23	उद्योग विभाग	73435.68	58640.40	49885.01	103160.01	53264.00
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	12199.24	21131.80	25747.10	0.00	0.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	16807.62	22020.40	24940.40	40934.00	17030.30
33	सामान्य प्रशासन विभाग	6090.00	6722.37	6722.37	20230.94	7080.83
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	72687.84	101382.65	114982.65	200166.00	90074.70
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	14774.83	13359.99	26625.76	44724.96	13767.49
42	ग्रामीण विकास विभाग	604836.51	1124208.93	3392677.17	2234985.00	1858522.06
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	11985.25	14280.00	14496.29	22500.00	7875.00

44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	58591.58	62641.15	75493.11	153940.18	67153.55
46	पर्यटन विभाग	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	92486.84	185008.59	321438.56	949379.08	284813.72
51	समाज कल्याण विभाग	746739.62	551363.12	1445232.14	831841.02	532236.43
52	खेल विभाग	6288.50	5653.28	12076.12	12450.00	6225.00
53	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	0.00	0.00	0.00	42998.00	13078.75
54	उच्च शिक्षा विभाग	0.00	0.00	0.00	20600.00	20180.00
कुल योग		3418259.95	3418079.61	8143115.29	7685401.22	4256891.86

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2026-27 विभागवार विवरणी
श्रेणी-ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रुपये में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2024-25 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2026-27 (कुल बजट अनुमान)	2026-27 (जेन्डर बजट अनुमान)
3	भवन निर्माण विभाग	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	5750.75	9512.92	12872.98	13807.59	13807.59
20	स्वास्थ्य विभाग	127441.32	19839.02	221774.47	190418.04	190418.04
21	शिक्षा विभाग	325408.36	89084.64	387263.64	73000.00	73000.00
22	गृह विभाग	21.88	71.00	105.00	42.00	42.00
23	उद्योग विभाग	25000.00	25000.00	5000.00	20000.00	20000.00
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	2775.18	3700.00	5204.00	0.00	0.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	110.00	100.00	100.00	50.00	50.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	453657.15	548501.00	2802152.53	1321738.00	1321738.00
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	69.53	117.41	117.41	122.25	122.25
51	समाज कल्याण विभाग	112249.03	119734.55	308340.12	114494.44	114494.44
53	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	0.00	0.00	0.00	256.21	256.21
54	उच्च शिक्षा विभाग	0.00	0.00	0.00	21875.59	21875.59
योग		1052483.20	816660.54	3743930.15	1757504.12	1757504.12

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष से 115 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जेन्डर बजट 2026-27 विभागवार विवरणी
श्रेणी-बी – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख रू० में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2024-25 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2026-27 (कुल बजट अनुमान)	2026-27 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	54285.96	84068.10	98441.45	248417.31	74525.19
3	भवन निर्माण विभाग	90139.40	67067.26	123970.93	152619.36	71185.91
8	क्ला एवं संस्कृति विभाग	5748.91	10498.49	10180.38	17175.18	6870.07
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	77362.90	75478.86	94879.41	155642.18	79402.39
16	पंचायती राज विभाग	200315.84	224298.44	271316.15	505408.40	252704.20
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	60878.88	42290.56	70280.74	82042.96	39380.62
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	7167.15	7675.48	8690.14	21168.99	7409.15
20	स्वास्थ्य विभाग	114141.73	193202.61	558130.74	479085.53	191634.21
21	शिक्षा विभाग	1275322.14	1706906.54	2797314.33	5628922.30	1970122.81
23	उद्योग विभाग	48435.68	33640.40	44885.01	83160.01	33264.00
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	9424.06	17431.80	20543.10	0.00	0.00
27	विधि विभाग	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	16697.62	21920.40	24840.40	40884.00	16980.30
33	सामान्य प्रशासन विभाग	28853.99	43492.12	46102.42	124400.14	43540.05
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	72687.84	101382.65	114982.65	200166.00	90074.70

40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	41502.82	58152.23	39918.82	212976.99	63893.10
42	ग्रामीण विकास विभाग	151179.36	575707.93	625275.64	986747.00	610284.06
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	30963.69	37811.31	39318.13	96680.81	33838.28
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	67823.60	75186.40	92189.70	213244.55	87078.04
46	पर्यटन विभाग	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
47	परिवहन विभाग	3306.35	5307.59	5402.04	19004.22	5711.11
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	92486.84	185008.59	321438.56	949379.08	284813.72
51	समाज कल्याण विभाग	636233.28	433603.87	1138882.27	719269.74	419665.15
52	खेल विभाग	6994.02	6559.26	16769.95	22001.80	11000.90
53	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	0.00	0.00	0.00	42741.79	12822.54
54	उच्च शिक्षा विभाग	0.00	0.00	0.00	694084.60	208225.38
योग		3101073.92	4048990.87	6608652.96	11742422.94	4638925.90

पिछले वित्तीय वर्ष से 14.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जेंडर बजट 2026-27
श्रेणी 'ए' – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2024-25 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2026-27 (बजट अनुमान)	2026-27 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-03 भवन निर्माण विभाग					
03-4225032770206 अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास का निर्माण	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00
मांग सं0-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770010 पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	5750.75	9512.92	12872.98	13807.59	13807.59
कुल योग	5750.75	9512.92	12872.98	13807.59	13807.59
मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210051050011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	211.89	313.00	408.45	346.29	346.29
20-2210051050012 प्रशिक्षण नर्स	9270.38	10526.02	19766.02	13571.75	13571.75
20-2210061010114 आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन	20100.00	3000.00	43000.00	3000.00	3000.00
20-2211001030102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
20-4210031050112 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	11000.00	5500.00	9500.00	1000.00	1000.00
20-2211001010205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	64655.94	130000.00	107700.00	140000.00	140000.00
20-2211001010305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	21703.11	47500.00	40900.00	30000.00	30000.00
20-2210011100127 ममता कार्यकर्ता	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
कुल योग	127441.32	197339.02	221774.47	190418.04	190418.04

मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031030003 राजकीय महिला महाविद्यालय	1314.61	1584.64	1584.64	0.00	0.00
21-2202011090102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना- प्रारंभिक शिक्षा	10950.13	10000.00	13000.00	500.00	500.00
21-2202021070107 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना- माध्यमिक शिक्षा	18061.81	11600.00	24180.00	250.00	250.00
21-2202027890104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (एस0सी0)- माध्यमिक शिक्षा	5300.55	3400.00	6200.00	150.00	150.00
21-2202031070104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	7036.40	2000.00	5500.00	100.00	100.00
21-2202021070106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना-माध्यमिक शिक्षा	12878.92	2000.00	17360.00	400.00	400.00
21-2202027890102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (एस0सी0)-माध्यमिक शिक्षा	5067.72	500.00	4000.00	100.00	100.00
21-2202021090109 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम-माध्यमिक शिक्षा	9645.10	8000.00	11574.00	1500.00	1500.00
21-2202031070108 मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना	4039.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202031070109 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202021070110 मुख्यमंत्री (इंटरमिडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना - सात निश्चय - 2	144027.00	30000.00	138865.00	70000.00	70000.00
21-2202031070110 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	106920.00	20000.00	165000.00	0.00	0.00
कुल योग	325408.36	89084.64	387263.64	73000.00	73000.00
मांग सं0-22 गृह विभाग					
22-2235602000016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान	19.89	42.00	42.00	42.00	42.00
22-2055000030401 महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राईम की रोगथाम (सीसीपीडब्लूसी)	1.99	29.00	63.00	0.00	0.00
कुल योग	21.88	71.00	105.00	42.00	42.00

मांग सं0-23 उद्योग विभाग					
23-2851001020109 महिला उद्यमी योजना	12810.00	12810.00	2810.00	10244.00	10244.00
23-6851001020103 महिला उद्यमी योजना	12190.00	12190.00	2190.00	9756.00	9756.00
कुल योग	25000.00	25000.00	5000.00	20000.00	20000.00
मांग सं0-26 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग					
26-2230031010101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2762.97	3400.00	4880.00	0.00	0.00
26-2230031010102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	12.21	300.00	324.00	0.00	0.00
कुल योग	2775.18	3700.00	5204.00	0.00	0.00
मांग सं0-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2250001010101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप राशि उपलब्ध कराने हेतु	110.00	100.00	100.00	50.00	50.00
कुल योग	110.00	100.00	100.00	50.00	50.00
मांग सं0-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-4047000500107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का कय	0.00	150.00	150.00	75.00	75.00
40-4047007890106 अनु० जाति के गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का कय	0.00	750.00	750.00	375.00	375.00
40-4047007960101 अनु० जनजाति के गृह विहिनों के लिए वास भूमि का कय	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00
कुल योग	0.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2235021030004 महिला सशक्तिकरण	0.00	0.00	34751.00	73500.00	73500.00
42-2216031020101 मुख्यमंत्री वास स्थल कय सहायता योजना	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
42-2216037890104 मुख्यमंत्री वास स्थल कय सहायता योजना- अनु० जाति	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
42-2216037960103 मुख्यमंत्री वास स्थल कय सहायता योजना- अनु० जनजाति	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
42-2216031050107 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	10500.00	3000.00	3000.00	300.00	300.00

42-2216037890105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना— अनु० जाति	19000.00	6000.00	6000.00	600.00	600.00
42-2216037960104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना— अनु० जनजाति	5500.00	1000.00	1000.00	100.00	100.00
42-2216031050202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०) (प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी०एम०ए०वाई०)	230736.35	330000.00	408914.86	318600.00	318600.00
42-2216037890202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी०एम०ए०वाई०)	0.00	100000.00	118000.00	200.00	200.00
42-2216037960202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी०एम०ए०वाई०)	355.00	2000.00	2000.00	200.00	200.00
42-2216031050302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी०एम०ए०वाई०)	160965.80	80000.00	101085.67	0.00	0.00
42-2216037960203 प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
42-2216037890302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी०एम०ए०वाई०)	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00
42-2216037960302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी०एम०ए०वाई०)	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
42-2216031050108 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	1000.00	300.00	300.00	1.00	1.00
42-2216037890106 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	1500.00	600.00	600.00	1.00	1.00
42-2216037960105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	500.00	100.00	100.00	1.00	1.00
42-2235021030132 महिला सशक्तिकरण	23600.00	5000.00	2105000.00	655232.00	655232.00
42-2235027960127 महिला सशक्तिकरण	0.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00
42-2235027890116 महिला सशक्तिकरण	0.00	0.00	0.00	261000.00	261000.00
42-2501061010207 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी—एनआरएलएम)	0.00	244.00	814.00	1629.20	1629.20
42-2501061010307 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी—एनआरएलएम)	0.00	163.00	326.00	0.00	0.00

42-2501067890206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	51.00	170.00	338.80	338.80
42-2501067890306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	34.00	68.00	0.00	0.00
42-2501067960206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	5.00	16.00	32.00	32.00
42-2501067960306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00
कुल योग	453657.15	548501.00	2802152.53	1321738.00	1321738.00
मांग सं0-43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग					
43-2203001030001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	69.53	117.41	117.41	122.25	122.25
कुल योग	69.53	117.41	117.41	122.25	122.25
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021030003 बिहार राज्य महिला आयोग	751.71	798.19	798.19	800.47	800.47
51-2235021040001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय-गृह	138.24	177.11	192.06	122.69	122.69
51-2235028000002 अन्तर्जातीय विवाह	852.75	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
51-2235021020116 परवरिश	1600.00	1600.00	1972.00	0.00	0.00
51-2235021010111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	3.77	20.00	20.00	0.00	0.00
51-2235021020224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	2222.72	2440.28	3200.59	2434.62	2434.62
51-2235021020226 राष्ट्रीय केच स्कीम	53.10	478.51	1943.43	2016.85	2016.85
51-2235021020324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	1598.68	0.02	2400.45	0.00	0.00
51-2235021020326 राष्ट्रीय केच स्कीम	35.68	159.50	18.48	0.00	0.00
51-2235021030105 महिला विकास निगम सहायक अनुदान	500.00	500.00	500.00	1300.00	1300.00
51-2235021030109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	2910.79	3400.00	3400.00	200.00	200.00
51-2235021030110 नारी शक्ति योजना	4000.00	4500.00	4500.00	3640.00	3640.00

51-2235021030111 कन्या सुरक्षा योजना	10000.00	19708.00	19708.00	7140.00	7140.00
51-2235021030225 मातृत्व लाभ योजना	7562.97	16375.18	23565.11	23798.23	23798.23
51-2235021030325 मातृत्व लाभ योजना	5040.43	1000.02	15710.12	0.00	0.00
51-2235027890107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	527.27	1800.00	1800.00	50.00	50.00
51-2235027890108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	1000.00	1800.00	1800.00	5394.00	5394.00
51-2235027890109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	2000.00	3100.00	3100.00	3200.00	3200.00
51-2235027890312 किशोरियों के लिए योजना (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0)	540.78	610.07	800.14	0.00	0.00
51-2235027960123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	97.45	250.00	250.00	25.00	25.00
51-2235031010103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	48.73	5.00	188.83	5.00	5.00
51-2235031010203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	18853.00	12950.04	12950.04	13550.04	13550.04
51-2235031010303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6341.00	2600.00	48509.27	5000.00	5000.00
51-2235037890102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7.86	30.00	59.60	30.00	30.00
51-2235037890202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	4060.74	10900.00	10900.00	10900.00	10900.00
51-2235037890302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1200.00	1600.00	14488.24	1600.00	1600.00
51-2235601020105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	31768.16	13962.00	98296.31	16050.00	16050.00
51-2235607890102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	7000.06	7950.00	23155.36	5000.00	5000.00
51-2235021030230 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेन्टर	0.00	1952.05	1952.05	2437.12	2437.12
51-2235021030231 मिशन शक्ति (संबल) बेटा बचाव बेटा पढ़ाओ	322.50	1290.01	1290.01	1290.01	1290.01
51-2235021030232 मिशन शक्ति (संबल) महिला हेल्पलाईन	37.80	76.63	76.63	76.63	76.63
51-2235021030233 मिशन शक्ति (संबल) नारी अदालत	0.00	632.14	632.14	8.65	8.65

51-2235021030234 मिशन शक्ति (सामार्थ) शक्ति सदन	302.90	1212.50	1516.67	588.47	588.47
51-2235021030235 मिशन शक्ति (सामार्थ) सखी निवास	88.28	353.09	511.88	2020.82	2020.82
51-2235021030236 मिशन शक्ति (सामार्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	47.22	2598.27	1483.94	1483.94
51-2235021030237 मिशन शक्ति (सामार्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	312.54	843.15	1124.20	0.02	0.02
51-4235021030201 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेन्टर	0.00	2838.35	2838.35	2149.54	2149.54
51-2235021030330 मिशन शक्ति (सामार्थ) शक्ति सदन	201.93	304.17	0.00	0.00	0.00
51-2235021030331 मिशन शक्ति (सामार्थ) सखी निवास	58.84	158.79	0.00	0.00	0.00
51-2235021030332 मिशन शक्ति (सामार्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
51-2235021030333 मिशन शक्ति (सामार्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	208.36	281.05	0.00	0	0.00
51-2235027890201 किशोरियों के लिए योजना (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0)	0.00	0	0.00	608.64	608.64
51-2235021020235 मिशन वात्सल्य के अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम 212 की धारा 4 एवं 6 के तहत पीड़ितों को सहायता	0.00	0	380.00	380	380.00
51-2235021010122 मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं का कल्याण	0.00	0	193.70	193.7	193.70
कुल योग	112249.03	119734.55	308340.12	114494.44	114494.44
मांग सं0-53 युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग					
53-2230031010107 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21
53-2230031010105 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	256.21	256.21

मांग सं0-54 उच्च शिक्षा विभाग					
54-2202031070111 मुख्यमंत्री (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना- सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	16300.00	16300.00
54-2202037890103 मुख्यमंत्री (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना- सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	3200.00	3200.00
54-2202037960101 मुख्यमंत्री (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना- सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
54-2202031030006 राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1875.59	1875.59
कुल योग	0.00	0.00	0.00	21875.59	21875.59
महा योग	1052483.20	994160.54	3743930.15	1757504.12	1757504.12

जेंडर बजट 2026-27
श्रेणी 'बी' – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख रुपये में)

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2024-25 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2026-27 (बजट अनुमान)	2026-27 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-01 कृषि विभाग					
01-2401000010214 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	188.49	2093.20	2833.51	7856.50	2356.95
01-2401000010314 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	125.66	355.97	355.97	0.00	0.00
01-2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण योजना) (कृषोन्नती योजना)	1741.65	2084.29	3341.43	4713.90	1414.17
01-2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण योजना) (कृषोन्नती योजना)	1143.91	354.47	354.47	0.00	0.00
01-2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	4070.67	4782.90	5066.12	15547.60	4664.28
01-2401001030218 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल (कृषोन्नती योजना)	130.47	251.77	318.56	819.56	245.87
01-2401001030318 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल (कृषोन्नती योजना)	86.98	42.82	42.82	0.00	0.00
01-2401001040106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	698.09	2874.45	852.71	3308.00	992.40
01-2401001040205 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)	138.00	860.54	833.03	1844.20	553.26
01-2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)	92.00	146.34	0.00	0.00	0.00

01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	517.23	471.22	374.44	2481.00	744.30
01-2401001050207 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	0.00	418.78	838.93	1885.56	565.67
01-2401001050307 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	4.29	71.21	0.00	0.00	0.00
01-2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल-तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	78.15	348.78	753.11	2074.12	622.24
01-2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल-तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	52.10	59.35	59.35	0.00	0.00
01-2401001090103 बाढ़, सुखाड़ की अपातकालीन योजना	1481.32	2356.11	186.37	827.00	248.10
01-2401001090106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	5787.82	7068.33	7640.13	24396.50	7318.95
01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	2691.52	4595.87	7085.13	23045.07	6913.52
01-2401001090217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	1085.64	1887.81	3715.88	11725.22	3517.57
01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	636.82	2607.75	3444.08	4741.40	1422.42
01-2401001090220 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	86.78	82.84	314.26	94.28
01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	1794.34	781.57	46.22	0.00	0.00
01-2401001090317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	702.60	321.04	321.04	0.00	0.00
01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	424.42	443.48	0.00	0.00	0.00

01-2401001090327 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
01-2401001130105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	1704.56	47.13	77.37	248.10	74.43
01-2401001130217 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	1103.66	3121.51	5175.47	14581.68	4374.50
01-2401001130317 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	726.43	530.83	0.00	0.00	0.00
01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	4164.94	5890.28	5890.28	14059.00	4217.70
01-2401001190224 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	763.34	1308.94	2122.66	6285.20	1885.56
01-2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	505.97	222.60	222.60	0.00	0.00
01-2401007890106 इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	1232.93	1800.00	1630.04	4720.00	1416.00
01-2401007890117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	967.26	1218.00	1265.61	3008.00	902.40
01-2401007890120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन	293.30	12.00	15.65	48.00	14.40
01-2401007890125 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	378.01	600.00	48.00	160.00	48.00
01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	106.17	120.00	95.48	480.00	144.00
01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	798.38	1500.00	1500.00	2720.00	816.00
01-2401007890147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	177.63	732.00	217.56	640.00	192.00
01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	560.05	821.65	1455.62	4458.68	1337.60
01-2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल-तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	16.91	62.28	143.37	401.28	120.38

01-2401007890235 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	179.10	234.00	441.22	1216.00	364.80
01-2401007890236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	189.28	337.50	803.00	2268.48	680.54
01-2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा)(कृषोन्नती योजना)	408.14	372.60	692.74	912.00	273.60
01-2401007890238 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	0.00	74.88	181.84	364.80	109.44
01-2401007890239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	129.30	466.20	679.01	1691.20	507.36
01-2401007890240 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	38.21	374.22	562.86	1520.00	456.00
01-2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	26.70	153.85	146.84	356.80	107.04
01-2401007890245 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	197.38	558.09	1081.15	2821.12	846.34
01-2401007890262 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	4.50	10.28	24.32	7.30
01-2401007890249 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	25.16	45.00	62.03	158.56	47.57
01-2401007890263 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	15.55	14.56	60.80	18.24
01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	341.72	547.76	12.75	0.00	0.00
01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा) (कृषोन्नती योजना)	295.22	248.40	248.40	0.00	0.00
01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल-तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	11.40	41.52	41.52	0.00	0.00

01-2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	154.52	156.00	156.00	0.00	0.00
01-2401007890336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	134.41	225.00	225.00	0.00	0.00
01-2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	0.13	49.92	0.00	0.00	0.00
01-2401007890339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	86.20	310.80	0.00	0.00	0.00
01-2401007890340 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	25.47	249.48	0.00	0.00	0.00
01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	17.80	102.56	0.00	0.00	0.00
01-2401007890345 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	129.54	372.06	0.00	0.00	0.00
01-2401007890349 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	16.77	30.00	30.00	0.00	0.00
01-2401007890353 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
01-2401007890354 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
01-2401007960134 इनटेनसिफाइड फ़िल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	55.30	131.67	117.73	383.50	115.05
01-2401007960140 बीज उत्पादन कार्यक्रम	3.07	89.10	93.57	244.40	73.32
01-2401007960143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकनाईजेशन	10.66	0.87	0.55	3.90	1.17
01-2401007960147 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	25.98	43.89	5.63	13.00	3.90
01-2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	7.42	8.78	7.47	39.00	11.70

01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	66.12	109.73	109.73	221.00	66.30
01-2401007960169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	12.44	53.55	17.54	52.00	15.60
01-2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	41.70	60.11	106.74	362.25	108.68
01-240100796256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल-तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	1.21	4.56	12.08	32.60	9.78
01-2401007960257 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	12.87	17.12	32.28	98.80	29.64
01-2401007960258 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	0.22	5.48	13.18	29.64	8.89
01-2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा) (कृषोन्नती योजना)	28.89	27.26	50.67	74.10	22.23
01-2401007960260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	23.54	24.69	58.61	184.30	55.29
01-2401007960261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	10.20	34.11	49.02	137.40	41.22
01-2401007960262 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	2.98	27.38	41.63	123.50	37.05
01-2401007960263 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	1.75	11.25	10.74	29.00	8.70
01-2401007960267 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (आर0के0वी0वाई0)	14.58	40.82	79.08	229.20	68.76
01-2401007960271 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	1.87	3.29	4.61	12.88	3.86
01-2401007960275 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.33	0.75	2.00	0.60
01-2401007960276 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	1.17	1.15	4.94	1.48

01-2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	69.54	40.07	40.07	0.00	0.00
01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल-तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	0.81	3.04	3.04	0.00	0.00
01-2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	9.10	11.41	11.41	0.00	0.00
01-2401007960358 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
01-2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा) (कृषोन्नती योजना)	19.84	18.17	18.17	0.00	0.00
01-2401007960360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	10.15	16.46	16.46	0.00	0.00
01-2401007960361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	6.80	22.74	0.00	0.00	0.00
01-2401007960362 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	1.99	18.25	0.00	0.00	0.00
01-2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	1.17	7.50	0.00	0.00	0.00
01-2401007960367 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	10.07	27.22	0.00	0.00	0.00
01-2401007960371 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	1.25	2.20	2.20	0.00	0.00
01-2401007960375 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
01-2401007960376 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
01-2401001090122 सिंचाई-सात निश्चय-2	598.84	353.42	353.42	8270.00	2481.00
01-2401007890152 सिंचाई-सात निश्चय-2	106.56	90.00	90.00	1600.00	480.00

01-2401007960174 सिंचाई-सात निश्चय-2	9.19	6.59	6.59	130.00	39.00
01-2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	823.18	1178.06	1178.06	82.70	24.81
01-2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)(प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरसेड डेवलेपमेंट)	1046.40	1566.00	2543.31	6285.20	1885.56
01-2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरसेड डेवलेपमेंट)	731.80	266.33	266.33	0.00	0.00
01-2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	214.55	300.00	300.00	16.00	4.80
01-2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरसेड डेवलेपमेंट)	198.00	280.08	528.96	1216.00	364.80
01-2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरसेड डेवलेपमेंट)	132.00	186.72	186.72	0.00	0.00
01-2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	14.91	21.95	21.95	1.30	0.39
01-2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरसेड डेवलेपमेंट)	0.00	20.52	38.73	98.80	29.64
01-2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरसेड डेवलेपमेंट)	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
01-2415010040107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	225.07	306.29	252.99	1240.50	372.15
01-2415012770101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	55.84	47.16	47.16	107.51	32.25
01-2415012770108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	3233.79	9330.16	7408.38	23875.49	7162.65

01-2415017890103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	958.20	2376.00	1885.86	4619.20	1385.76
01-2415017890105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	28.36	12.00	12.00	20.80	6.24
01-2415017890107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	46.79	78.00	64.38	240.00	72.00
01-2415017960104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	70.46	173.84	165.96	375.30	112.59
01-2415017960105 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	1.51	5.71	4.53	19.50	5.85
01-2415017960108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	1.86	0.84	0.84	1.69	0.51
01-2415012770112 कौशल विकास मिशन	282.82	282.73	282.73	661.60	198.48
01-2415017890108 कौशल विकास मिशन	72.00	72.00	72.00	128.00	38.40
01-2415017960109 कौशल विकास मिशन	5.18	5.27	5.27	10.40	3.12
01-2435601010101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	235.68	471.22	117.52	413.50	124.05
01-2435607890101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	60.00	120.00	30.00	80.00	24.00
01-2435607960101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	4.32	8.78	2.48	6.50	1.95
01-2435011010201 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	15.10	145.87	0.00	0.00
01-2435011010301 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00
01-2435017890201 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	2.70	36.00	0.00	0.00
01-2435017890301 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00
01-2435017960201 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.20	2.63	0.00	0.00
01-2435017960301 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
01-3475001060101 माप एवं तौल का मानकीकरण	72.38	89.24	82.16	322.60	96.78

01-3475007890103 माप एवं तौल का मानकीकरण	14.34	22.80	21.05	62.40	18.72
01-3475007960103 माप एवं तौल का मानकीकरण	0.61	1.66	1.53	5.00	1.50
01-4401000510101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	455.18	1767.08	1767.08	1654.00	496.20
01-4401007890101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	115.88	450.00	450.00	320.00	96.00
01-4401007960101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	8.33	32.92	32.92	26.00	7.80
01-2401001190124 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	353.42	145.01	55.38	16.61
01-2401007890153 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	90.00	34.20	10.72	3.22
01-2401007960175 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	6.59	2.74	0.90	0.27
01-4401000510103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	3000.21	2568.16	9337.83	8270.00	2481.00
01-4401007890105 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	763.80	654.00	2377.02	1600.00	480.00
01-4401007960103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	54.99	47.84	170.25	130.00	39.00
01-2415020040201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	305.28	763.88	1578.20	3456.86	1037.06
01-2415020040301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	203.66	136.56	129.91	0.00	0.00
01-2415027890201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	57.77	136.56	343.93	668.80	200.64
01-2415027890301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	39.37	91.04	91.04	0.00	0.00
01-2415027960201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	4.34	9.99	25.13	54.34	16.30
01-2415027960301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	2.89	6.66	6.66	0.00	0.00
01-2401001090219 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	0.00	0.00	856.48	2285.84	685.75

01-2401001190227 नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम (कृषोन्नति योजना)	0.00	0.00	0.00	78.57	23.57
01-2401007960277 नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम (कृषोन्नति योजना)	0.00	0.00	0.00	1.23	0.37
01-2401007890264 नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम (कृषोन्नति योजना)	0.00	0.00	0.00	15.20	4.56
01-2401007890261 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	0.00	0.00	218.11	442.24	132.67
01-2401007960274 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	0.00	0.00	15.95	35.92	10.78
01-2401001020202 दलहन में आत्म निर्भरता हेतु मिशन	0.00	0.00	0.00	6913.70	2074.11
01-2401007960279 दलहन में आत्म निर्भरता हेतु मिशन	0.00	0.00	0.00	108.70	32.61
01-2401007890266 दलहन में आत्म निर्भरता हेतु मिशन	0.00	0.00	0.00	1337.60	401.28
कुल योग	54285.96	84068.10	98441.45	248417.31	74525.19
मांग सं०-03 भवन निर्माण विभाग					
03-2052000900020 भवन निर्माण	173.10	635.78	635.78	638.56	255.42
03-2059800010001 निर्देशन	1125.47	1320.40	1912.40	3949.18	1579.67
03-2059800010004 निष्पादन	6501.27	11282.64	11282.64	31133.17	12453.27
03-2059800010011 उद्यान स्थापना	272.77	426.19	426.19	1113.64	445.46
03-4059017890101 अनु० जाति के लिए भवन	18245.63	11970.00	17220.00	30513.00	10679.55
03-4059017960104 अनु० जनजाति के लिए भवन	507.14	507.25	2172.64	1564.82	469.45
03-4059600510218 अनु० जातियों के विकास हेतु स्कीम	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30
03-4059600510318 अनु० जातियों के विकास हेतु स्कीम	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30

03-4059800510118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	47178.47	24000.00	32800.00	24000.00	19200.00
03-2059800530101 पिछड़े वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	102.25	100.00	600.00	1400.00	700.00
03-4225800510103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	632.14	560.00	1560.00	1900.00	760.00
03-4235021040101 वृद्धाश्रम	51.08	40.00	40.00	5.00	2.00
03-4059600510106 स्टेडियम तथा खेल संरचना	15290.17	16150.00	31626.28	28900.00	15028.00
03-2059010530102 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जीर्णोद्धार	57.18	45.00	45.00	150.00	45.00
03-4059600510114 डाटा केन्द्र—सह—आधुनिक अभिलेखागार भवन	2.72	30.00	30.00	100.00	30.00
03-4059800510117 इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)	0.00	0.00	5769.40	9000.00	3150.00
03-4202021050105 अभियंत्रण महाविद्यालय भवन(निश्चय)	0.00	0.00	7875.00	8749.98	3062.49
03-4202021040108 पोलिटैकनिक भवन(निश्चय)	0.00	0.00	2975.00	7500.00	2625.00
03-4059800510123 डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी	0.00	0.00	7000.00	2000.00	700.00
03-4059010510130 नगर विकास भवन	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
कुल योग	90139.40	67067.26	123970.93	152619.36	71185.91

मांग सं०-08 कला एवं संस्कृति विभाग					
08-2204001020001 राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन	633.80	1209.02	1220.83	0.00	0.00
08-2204001020002 राष्ट्रीय कैडेट कोर-वरीय शाखा	835.53	1556.01	1215.67	0.00	0.00
08-2204001020003 राष्ट्रीय कैडेट कोर-कनीय शाखा	675.53	1280.78	1280.78	0.00	0.00
08-2205001030001 पुरातत्व निदेशालय	167.84	291.16	378.44	955.59	382.24
08-2205001070001 संग्रहालय	1817.71	2779.59	2752.32	7048.62	2819.45
08-2251000900003 कला संस्कृति एवं युवा विभाग	274.21	445.20	417.21	1182.04	472.82
08-2205000010001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	252.26	736.73	711.13	1906.93	762.77
08-2205001030101 पुरातत्व निदेशालय	122.74	224.00	224.00	660.00	264.00
08-2205001020101 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	847.73	1540.00	1544.00	4002.00	1600.80
08-2205001070101 संग्रहालय	121.56	436.00	436.00	1320.00	528.00
08-2205001020103 मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00
कुल योग	5748.91	10498.49	10180.38	17175.18	6870.07
मांग सं०-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770001 छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां	12.50	12.50	12.50	25.00	12.50
11-2225032770002 छात्रवासों का संधारण	359.30	573.80	573.50	2417.32	725.20
11-22510009000024 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	218.24	234.69	270.92	900.86	270.26
11-2225031970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	6240.00	5200.00	6240.00	10400.00	6240.00

11-2225031980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	12378.60	9950.00	11940.00	19900.00	11940.00
11-2225032770101 शिक्षा	53817.32	53269.38	66604.00	95422.00	47711.00
11-2225032770212 अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	0.40	0.40	1.00	0.40
11-2225032770214 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी)	0.00	0.50	3000.50	7052.00	3526.00
11-2225032770215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी)	4335.50	5520.00	5520.00	19499.00	8969.54
11-4225032770101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	1.45	7.50	7.50	25.00	7.50
11-4225032770202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	620.10	620.10	0.00	0.00
11-4225032770302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	89.99	89.99	0.00	0.00
कुल योग	77362.90	75478.86	94879.41	155642.18	79402.39
मांग सं0-16 पंचायती राज विभाग					
16-2515001980010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	4564.09	10050.00	10050.00	20100.00	10050.00
16-2015001010001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	298.49	339.18	404.00	963.97	481.99
16-3451000900028 पंचायती राज विभाग	155.75	235.48	240.48	482.60	241.30
16-2515000010003 जिला पंचायत की स्थापना	18548.94	28358.46	28318.46	59312.91	29656.46
16-2515000030001 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	10.76	316.86	316.86	188.74	94.37
16-2515001970004 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	28592.20	32399.73	37164.40	74378.33	37189.17

16-2515001980009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	132223.03	151198.73	163193.96	347098.85	173549.43
16-2515001960106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515001970103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515001980105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515001980106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515007890103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515007890104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515007890105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515007890106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515000010102 जिला पंचायत की स्थापना	15674.55	1400.00	31628.00	2883.00	1441.50
कुल योग	200315.84	224298.44	271316.15	505408.40	252704.20
मांग सं०-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
18-2408011010201 एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	20192.96	18841.83	42700.08	48756.00	23402.88
18-2408017890201 एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	3221.19	4500.72	10065.08	13590.00	6523.20
18-2408017960201 एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	613.56	470.00	1816.62	971.00	466.08

18-3456001020306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	20192.96	4926.06	1860.37	0.00	0.00
18-3456001020307 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	7669.51	9566.82	9770.37	16562.96	7950.22
18-3456007890302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	3221.19	2734.93	453.69	0.00	0.00
18-3456007890303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	4476.16	1047.16	3067.84	1877.00	900.96
18-3456007960302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	613.56	94.00	86.42	0.00	0.00
18-3456007960303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	677.77	109.04	460.26	286.00	137.28
कुल योग	60878.88	42290.56	70280.74	82042.96	39380.62
मांग सं0-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	91.31	0.00	0.00	0.01	0.00
19-2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास अनुसूचित जाति	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406018000101 नहर तट फार्म	55.14	0.00	0.00	0.01	0.00
19-2406017890102 नहर तट फार्म (अनु0 जा0)	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406011010111 जल-जीवन-हरियाली	5274.55	3454.79	3897.94	9800.00	3430.00
19-4406010700102 भवन	985.14	1600.00	1400.00	4000.00	1400.00

19-4406010700101 सड़क और पुल	167.07	400.00	595.00	1000.00	350.00
19-2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	472.50	400.00	980.00	1966.97	688.44
19-2406021100323 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
19-2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	23.99	27.99	0.00	0.00
19-2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	34.10	25.80	30.10	0.00	0.00
19-2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
19-2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	40.00	35.00	0.00	0.00
19-2406021100224 बाघ परियोजना	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406021100223 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	0.00	533.70	698.95	2371.00	829.85
19-2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	357.20	312.55	1011.00	353.85
19-2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	50.00	40.00	65.10	300.00	105.00
19-2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	20.00	17.50	0.00	0.00
19-2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	720.00	630.00	720.00	252.00
कुल योग	7167.15	7675.48	8690.14	21168.99	7409.15
मांग सं०-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2211001010001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1495.26	2529.13	9431.77	9510.26	3804.10
20-2211001030001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	125.61	454.01	1285.89	1888.31	755.32

20-2210012000209 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	22330.80	39000.00	94676.00	12086.94	4834.78
20-2210012000309 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2056.39	6300.00	5000.00	1500.02	600.01
20-2210017890201 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	6081.90	24000.00	71800.00	11000.00	4400.00
20-2210017890301 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	8327.45	4020.00	23576.50	0.00	0.00
20-2210017960219 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	427.20	3150.00	5200.00	1400.00	560.00
20-2210017960319 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	160.62	960.26	500.00	0.00	0.00
20-2210031100203 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	18421.20	54000.00	116800.00	251900.00	100760.00
20-2210031100303 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	47417.00	4800.00	149452.59	0.00	0.00
20-2210037890201 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1750.80	16500.00	40074.00	100000.00	40000.00
20-2210037890301 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1500.00	2569.20	5000.00	0.00	0.00
20-2210037960202 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	204.90	3150.00	4200.00	8000.00	3200.00
20-2210037960302 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	800.78	1500.00	2675.93	0.00	0.00
20-2211000010204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	991.99	9000.00	20000.00	30000.00	12000.00

20-2211000010304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	98.62	2400.00	6993.06	9000.00	3600.00
20-2211001020202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	66.91	450.00	1000.00	1000.00	400.00
20-2211001020302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	24.29	120.00	240.00	400.00	160.00
20-2230031020102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	0.00	30.00	25.00	100.00	40.00
20-4210031050119 बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	1860.00	450.00	200.00	500.00	200.00
20-2211000030306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	2460.00	0.00	5000.00	2000.00
20-2211000040302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	240.00	0.00	300.00	120.00
20-2211000030206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	15000.00	0.00	35000.00	14000.00
20-2211000040202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	120.00	0.00	500.00	200.00
कुल योग	114141.73	193202.61	558130.74	479085.53	191634.21
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202011910002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	13.23	31.81	42.31	95.01	33.25
21-2202011920002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	21.39	52.50	63.00	198.01	69.30
21-2202011930002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	9.35	155.32	155.32	110.01	38.50

21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	96622.47	125979.17	125979.17	146016.01	51105.60
21-2202021910004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	15.23	84.53	84.53	265.65	92.98
21-2202021920004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	30.13	224.91	224.91	706.86	247.40
21-2202021930004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	21.85	175.67	175.67	552.09	193.23
21-2202021960004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	0.00	2252.78	2252.78	4080.15	1428.05
21-2202011910001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2990.32	4451.05	4451.05	7975.81	2791.53
21-2202011920001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2579.49	3404.05	3404.05	7782.01	2723.70
21-2202011010001 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	0.00	476815.62	810330.62	2598175.78	909361.52
21-2202011930001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3499.24	4807.13	4807.13	6800.01	2380.00
21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	96622.47	125979.17	125979.17	146016.01	51105.60
21-2202011980002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202010010004 बिहार बाल भवन किलकारी	0.00	288.64	497.31	1692.50	592.38
21-22020211090001 अन्य विद्यालय	0.00	4527.21	368226.08	1041492.46	364522.36
21-2202021910001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	5979.94	9346.68	9346.68	7101.61	2485.56
21-2202021920001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	5149.24	8196.01	8196.01	2112.01	739.20

21-2202021930001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3803.26	6289.76	6289.76	2019.61	706.86
21-2202021960001 जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	45903.15	74819.59	74819.59	19496.41	6823.74
21-2202031020001 पटना विश्वविद्यालय	11112.16	11903.02	12314.62	0.00	0.00
21-2202031020002 मगध विश्वविद्यालय	21959.55	29220.07	31683.72	0.00	0.00
21-2202031020003 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय)	21050.65	24014.77	24565.67	0.00	0.00
21-2202031020004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	9568.76	11692.19	12057.41	0.00	0.00
21-2202031020005 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	24919.42	15683.91	15840.53	0.00	0.00
21-2202031020008 बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	10839.77	13976.33	14930.43	0.00	0.00
21-2202031020009 भागलपुर विश्वविद्यालय	13898.07	13561.24	16217.22	0.00	0.00
21-2202031020011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	23263.20	29068.35	29938.45	0.00	0.00
21-2202031020012 कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	9514.29	11503.60	11724.80	0.00	0.00
21-2202031020016 मौलाना मजहरुल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	449.60	931.92	1034.47	0.00	0.00
21-2202031020024 पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	14328.64	22074.35	22457.60	0.00	0.00
21-2202031020025 पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	4107.39	6025.44	7474.96	0.00	0.00
21-2202031020027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	3560.72	5356.11	5554.39	0.00	0.00
21-2202031020028 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00
21-2202800030005 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	406.20	335.49	479.69	1733.63	606.77

21-2202800030006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	2418.68	2819.43	2932.13	13049.32	4567.26
21-2202800030007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	144.23	227.63	227.63	562.51	196.88
21-2202800030008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	1067.38	1555.22	1555.22	4661.83	1631.64
21-2202010010101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	524.10	33250.00	33250.00	21450.00	7507.50
21-2202010010105 शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	349.93	420.00	1295.00	100.00	35.00
21-2202011020102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि	4834.26	700.00	700.00	5000.00	1750.00
21-2202011090101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	1580.45	1400.00	2030.00	400.00	140.00
21-2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.00	875.00	2065.00	500.00	175.00
21-2202011090105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	4273.25	350.00	10500.00	500.00	175.00
21-2202011010201 पी0एम0श्री योजना	0.00	7285.25	1400.00	4800.00	1680.00
21-2202011110201 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	103112.99	149491.65	149491.65	462123.00	161743.05
21-2202011010301 पी0एम0श्री योजना	0.00	2625.00	0.00	0.00	0.00
21-2202011110301 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	68781.79	33665.10	116921.70	129584.00	45354.40
21-2202011110302 सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति (समग्र शिक्षा)	433390.57	87500.00	140000.00	105400.00	36890.00
21-2202011120203 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी0एम0पोषण)	36674.81	37956.45	37956.45	75840.00	26544.00

21-2202011120303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0) (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) (पी0एम0पोषण)(शिक्षा)	20975.14	9360.75	21854.00	33606.00	11762.10
21-2202017890102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	78.37	350.00	700.00	100.00	35.00
21-2202017890203 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	27858.89	60208.40	60208.40	125659.00	43980.65
21-2202017890209 मध्यान भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	5912.96	14235.55	14235.55	17280.00	6048.00
21-2202017890306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) (पी0एम0पोषण)(शिक्षा)	6768.21	4015.55	7256.55	7657.00	2679.95
21-2202017890308 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	18572.59	14670.25	34681.15	26446.00	9256.10
21-2202017960210 मध्यान भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	310.18	1614.20	1614.20	2880.00	1008.00
21-2202017960211 प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	1717.53	5419.05	5419.05	4069.00	1424.15
21-2202017960309 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	1145.02	1565.55	2400.65	1970.00	689.50
21-2202017960310 मध्यान भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	936.70	413.70	954.45	1277.00	446.95
21-2202020010101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	1815.22	34200.95	34568.45	23045.00	8065.75
21-2202020520103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	0.00	175.00	175.00	100.00	35.00
21-2202021090105 आई0सी0टी0 परियोजना	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	26.95	560.00	560.00	500.00	175.00
21-2202021090212 पी0एम0श्री योजना	0.00	18334.75	52004.75	136700.00	47845.00

21-2202021090207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	11859.81	18792.20	76331.15	176375.00	61731.25
21-2202021090313 पी0एम0श्री योजना	0.00	5775.00	0.00	0.00	0.00
21-2202021090307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	7906.54	5819.80	62402.83	59470.00	20814.50
21-2202027890207 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	2483.57	14660.45	17700.20	77951.00	27282.85
21-2202027890307 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	1655.71	4132.10	10659.92	23346.00	8171.10
21-2202027960209 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	167.39	1540.00	1540.00	3337.00	1167.95
21-2202027960309 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	111.59	548.10	933.21	1924.00	673.40
21-2202031020115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	5830.86	19250.00	19250.00	0.00	0.00
21-2202031020117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	175.00	175.00	1785.00	0.00	0.00
21-2202031020118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
21-2202031020126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
21-2202031020323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	412.65	412.65	0.00	0.00
21-2202031130101 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	458.68	87.50	350.00	0.00	0.00
21-2202042000102 प्रौढ़ शिक्षा	8.91	3150.00	5865.13	1780.00	623.00
21-2202042000203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	641.26	1185.80	1801.45	6177.00	2161.95
21-2202042000303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	411.40	176.40	1417.50	4860.00	1701.00

21-2202047890101 प्रौढ़ शिक्षा	7836.83	12600.00	30076.20	34410.00	12043.50
21-2202800010102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	262.42	385.00	385.00	1100.00	385.00
21-2202800040106 ए० एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	174.11	175.00	175.00	0.00	0.00
21-2202021070108 अन्य विद्यालय	5710.30	875.00	8974.35	1000.00	350.00
21-2202800040108 ललित नारायण मिश्र इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज	372.90	700.00	700.00	0.00	0.00
21-2202800040121 बिहार राज्य भाषा अकादमी	8.75	29.75	29.75	0.00	0.00
21-4202012020103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	37158.18	28035.00	28175.00	10010.00	3503.50
21-4202012030108 राजकीय महाविद्यालय	1225.00	1750.00	1750.00	0.00	0.00
21-4202012030207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	2600.85	4317.41	0.00	0.00
21-2202011120104 मध्याह्न भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	13866.35	12250.00	29104.95	24000.00	8400.00
21-2202021030101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	350.00	875.00	1575.00	1500.00	525.00
21-2202031020127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
21-2202037890301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	357.35	357.35	0.00	0.00
21-2202037960301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
21-2202047890202 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	81.03	432.95	432.95	1484.00	519.40
21-2202047960203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	2.16	47.25	47.25	162.00	56.70

21-2202047890302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	72.59	92.40	92.40	317.00	110.95
21-2202047960302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	1.44	11.20	11.20	38.00	13.30
21-2202037890201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	805.00	1336.30	0.00	0.00
21-2202037960201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	94.15	156.29	0.00	0.00
कुल योग	1275322.14	1706906.54	2797314.33	5628922.30	1970122.81
मांग सं०-23 उद्योग विभाग					
23-2851001020106 उद्योग मित्र	80.00	80.00	80.00	160.00	64.00
23-2851001030113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण	159.00	160.00	280.00	400.00	160.00
23-2851001040101 हस्तशिल्प का विकास	580.00	240.00	240.00	1800.00	720.00
23-2851001080101 विद्युत करघा योजना	1333.60	318.00	866.80	795.00	318.00
23-2852801020135 इन्टर प्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	60.00	160.00	560.00	400.00	160.00
23-2852801020150 सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी की स्थापना	1760.00	0.40	0.40	0.01	0.00
23-2852801020160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	22359.02	20000.00	30000.00	47900.00	19160.00
23-2851001030103 हस्तकरघा विकास की योजना	122.00	122.00	122.00	305.00	122.00
23-2851001020107 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	5788.80	1016.00	1016.00	2658.00	1063.20
23-2851001070101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	202.66	160.00	335.81	400.00	160.00

23-2851007890110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	4822.00	4890.00	4890.00	12105.00	4842.00
23-2851007960117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	396.60	408.00	408.00	1012.00	404.80
23-6851001020101 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	5560.00	992.00	992.00	2600.00	1040.00
23-6851007890101 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	4822.00	4710.00	4710.00	11675.00	4670.00
23-6851007960107 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	390.00	384.00	384.00	950.00	380.00
कुल योग	48435.68	33640.40	44885.01	83160.01	33264.00
मांग सं०-26 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग					
26-2230030030333 कौशल विकास मिशन	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960122 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	67.50	292.80	712.80	0.00	0.00
26-2230037890102 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	2085.68	2970.00	3210.00	0.00	0.00
26-2230030030130 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	4578.07	8640.00	10680.00	0.00	0.00
26-2230031010103 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2340.71	5100.00	5400.00	0.00	0.00
26-2230030030105 पूर्व स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	39.07	150.00	201.30	0.00	0.00
26-2230037890302 कौशल विकास मिशन	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960302 कौशल विकास मिशन	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960204 कौशल विकास मिशन	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

26-2230020030101 नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम	43.20	180.00	195.00	0.00	0.00
26-2230021010101 नियोजन सेवा का विस्तार	23.68	90.00	135.00	0.00	0.00
26-2230021010113 निःशक्त जनो के लिए नियोजन सहायता	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
कुल योग	9424.06	17431.80	20543.10	0.00	0.00
मांग सं०-27 विधि विभाग					
27-2235602000013 बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
कुल योग	0.00	1800.00	2400.00	3000.00	2400.00
मांग सं०-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2202021070109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	9677.59	9640.00	10200.00	10000.00	6000.00
30-2202021070210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	3.06	40.00	40.00	0.00	0.00
30-2202031070106 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कॉचिंग की व्यवस्था	218.79	200.00	250.00	500.00	300.00
30-2225042770101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	0.40	0.40	1.00	0.40
30-2250000030101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	150.00	40.00	50.00	50.00	25.00
30-4250000510207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	0.00	4800.00	4200.00	24233.00	7269.90
30-4250000510307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	0.00	800.00	600.00	0.00	0.00
30-4250000510308 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम विकास- विशेष राज्यांश (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	348.18	400.00	3500.00	1100.00	385.00

30-5465011900104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल सेयर)	6300.00	6000.00	6000.00	5000.00	3000.00
कुल योग	16697.62	21920.40	24840.40	40884.00	16980.30
मांग सं०-33 सामान्य प्रशासन विभाग					
33-2051001030001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग	520.78	6677.74	6707.49	18452.67	6458.43
33-2051001030004 बिहार तकनीकी सेवा आयोग	490.42	892.02	907.77	2609.86	913.45
33-2052000900004 सामान्य प्रशासन विभाग	1405.45	1639.27	1790.65	4423.91	1548.37
33-2052000900005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग)	103.69	91.06	91.06	324.86	113.70
33-2052000900041 अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	47.03	50.23	107.98	324.46	113.56
33-2052000900045 राज्य महादलित आयोग	28.00	25.31	98.91	386.29	135.20
33-2052000900052 उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग	18.76	18.88	146.28	398.62	139.52
33-2052000920008 स्थानिक आयुक्त	70.32	90.32	113.60	280.31	98.11
33-2053000930001 जिला प्रशासन	9500.72	12339.33	12203.71	36127.24	12644.53
33-2053000940001 अनुमंडलीय स्थापना	4504.21	6955.49	6125.99	18296.16	6403.66
33-2053001010001 मुख्य कार्यालय	1155.11	1362.75	1298.00	3865.64	1352.97
33-2070000010001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु	1109.01	693.27	310.44	1420.30	497.11
33-2070000030006 बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	2694.97	4445.00	7945.00	12700.00	4445.00
33-2070000030007 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	28.60	33.43	33.43	128.75	45.06

33-2070001040012 लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभुत)	212.92	294.37	201.97	786.77	275.37
33-2070001150003 सर्किट भवन	623.19	822.41	958.91	2615.10	915.29
33-2251000920002 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय	250.82	338.87	338.87	1028.26	359.89
33-2052000920122 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी	6090.00	6722.37	6722.37	20230.94	7080.83
कुल योग	28853.99	43492.12	46102.42	124400.14	43540.05

मांग सं०-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

36-2215011020106 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	704.66	630.00	630.00	79.00	35.55
36-2215017890104 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	236.14	180.00	180.00	40.50	18.23
36-2215017960105 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	1.21	90.00	90.00	1.50	0.68
36-4215011010104 पेय जलापूर्ति (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	0.00	40.00	90.00	100.00	45.00
36-4215011020101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	27.63	90.00	90.00	50.00	22.50
36-4215011020103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स कूप, नलकूप द्वारा)	867.82	1485.00	1485.00	1627.50	732.38
36-4215011020132 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	18129.24	18000.00	21140.55	25385.00	11423.25
36-4215011020135 पेय जलापूर्ति (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	0.00	40.00	90.00	100.00	45.00
36-4215011020230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	7470.00	7470.00	415.00	186.75
36-4215011020330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	7695.00	1867.50	1867.50	109.50	49.28

36-4215017890111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	132.40	720.00	720.00	804.50	362.03
36-4215017890114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	5589.17	6750.00	7935.75	13333.00	5999.85
36-4215017890212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	1440.00	1440.00	80.00	36.00
36-4215017890312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	2361.60	360.00	360.00	22.00	9.90
36-4215017960107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप)	0.76	45.00	45.00	68.00	30.60
36-4215017960119 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	77.22	450.00	533.70	1082.00	486.90
36-4215017960120 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	39.72	742.50	764.55	1442.00	648.90
36-4215017960217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	90.00	90.00	5.00	2.25
36-4215017960317 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	22.50	22.50	1.50	0.68
36-4215021060104 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	86.01	22.50	22.50	50.00	22.50
36-4215011020134 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण सात निश्चय-2	118.58	225.00	225.00	500.00	225.00
36-2215011020107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव सात निश्चय-2	29500.60	22275.00	30150.00	100000.00	45000.00
36-4215011020133 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4612.19	28012.50	28852.20	34038.00	15317.10

36-4215017890115 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	1775.43	8775.00	9038.25	17720.00	7974.00
36-4059010510128 सरकारी कार्यालय का निर्माण	507.60	1125.00	1125.00	2352.00	1058.40
36-4216010510103 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण	15.50	225.00	225.00	100.00	45.00
36-4215011020125 जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	198.05	90.00	180.00	500.00	225.00
36-2215020030102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण-सह-शोध कार्य के संचालन एवं अन्य कार्यो हेतु अनुदान	11.34	70.65	70.65	100.00	45.00
36-4215028000102 शमशन घाटों के विकास एवं आधुनिकीकरण	0.00	45.00	45.00	50.00	22.50
36-4215011020124 अन्वेषण एवं सर्वेक्षण	0.00	4.50	4.50	10.00	4.50
कुल योग	72687.84	101382.65	114982.65	200166.00	90074.70
मांग सं०-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-2029001040001 राजस्व प्रशासन पर व्यय	23398.39	40839.16	8218.26	148056.16	44416.85
40-2029001030001 भू-अभिलेख स्थापना	318.74	487.81	487.81	1690.78	507.23
40-2029000010001 जिला प्रभार-भू-अर्जन स्थापना	1140.80	1498.53	1841.73	7605.00	2281.50
40-2029000010004 भू-अर्जन प्राधिकार	178.62	244.10	248.60	957.69	287.31
40-2052000920004 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार	41.10	64.14	97.74	364.80	109.44
40-2052000900017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	674.36	1220.73	1843.23	4735.52	1420.66
40-2029001040002 हाट बाजार, कचहरी इत्यादि का संरक्षण	477.51	600.00	600.00	2000.00	600.00

40-3604002000001 भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को शेष का भुगतान	0.00	199.16	199.16	663.88	199.16
40-2052000990001 राजस्व वर्षद	308.38	242.05	331.16	1694.95	508.49
40-2506001020001 जोतों की चकबंदी	159.48	328.10	328.10	983.25	294.98
40-2070008000002 गजेटियर्स	30.62	68.46	97.26	0.00	0.00
40-2029000010102 जोतों की चकबंदी	484.04	450.00	582.90	1100.00	330.00
40-4059800510102 जल निकाय एवं सरकारी भूमि की धेराबंदी तथा सीमांकन	0.00	15.00	15.00	25.00	7.50
40-2029000030101 क्षमतावर्द्धन	7.07	150.00	150.00	860.00	258.00
40-2029001020101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	14060.56	10316.99	23449.86	40739.96	12221.99
40-2029001030306 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	223.17	1428.00	1428.00	1500.00	450.00
कुल योग	41502.82	58152.23	39918.82	212976.99	63893.10
मांग सं०-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना-2-सात निश्चय-2	0.00	1100.00	1536.00	3044.00	1461.12
42-2215021050105 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान	4320.00	5760.00	16320.00	12000.00	5760.00
42-2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	4427.92	32288.64	40266.24	78805.16	37826.48
42-2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	4173.09	7977.60	0.01	0.00	0.00
42-2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0सी0	3391.62	24735.36	30846.72	22107.50	10611.60
42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0सी0	2281.44	6111.36	0.00	0.00	0.00
42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0टी0	172.72	1259.04	1570.08	1153.34	553.60

42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)—एस0टी0	115.15	311.04	0.00	0.00	0.00
42-2501061010205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसबीईपी) (एन0आर0एल0एम0)	280.00	311.04	3595.20	4000.00	3320.00
42-2501061010305 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसबीईपी) (एन0आर0एल0एम0)	186.66	398.40	1438.40	0.00	0.00
42-2501061010206 दीन दयाल उपाध्यायक ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (एन0आर0एल0एम0)	0.00	1675.77	2692.00	6930.00	5751.90
42-2501061010306 दीन दयाल उपाध्यायक ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (एन0आर0एल0एम0)	0.00	1117.18	1076.80	0.00	0.00
42-2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना (एनआरईटीपी)(एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना (एनआरईटीपी)(एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2501061020202 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)(एन0आर0एल0एम0)	0.00	3112.50	3000.00	3716.00	3084.28
42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	127257.26	159336.18	273425.38	226943.07
42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)—एस0सी0	0.00	43655.51	36680.62	0.00	0.00
42-2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)—एस0सी0	0.00	26862.12	33520.08	56860.12	47193.90
42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)—एस0सी5	0.00	786.84	1264.00	3465.00	2875.95
42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)—एस0सी6	0.00	524.56	505.60	0.00	0.00

42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी0	0.00	9078.54	7627.92	0.00	0.00
42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी0	0.00	2499.13	3130.74	5370.50	4457.52
42-2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी5	0.00	77.19	124.00	105.00	87.15
42-2501067960305 दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी6	0.00	51.46	49.60	0.00	0.00
42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी0	0.00	857.39	720.46	0.00	0.00
42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	86921.49	130293.00	163067.59	283800.00	141900.00
42-2505021010204 क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी)(मनरेगा)	192.47	2007.50	2007.50	0.00	0.00
42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	19816.80	50000.00	17225.40	0.00	0.00
42-2505027890201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)– एस0सी0	0.00	51700.00	51700.00	200.00	100.00
42-2505027960201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	3850.00	3850.00	200.00	100.00
42-2505021010202 सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी बिहार	0.00	1000.00	1000.00	3900.00	1950.00
42-2505021010203 प्रशासनिक मद (मनरेगा)	0.00	30625.00	30625.00	31100.00	15550.00
42-2505021010205 प्रोजेक्ट उन्नति (मनरेगा)	0.00	124.50	124.50	35.00	17.50
42-2515001020119 सतत् जीविकोपार्जन योजना	24900.00	8300.00	10375.00	7500.00	6225.00
42-2505021010207 विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन(विकसित भारत–जी–राम–जी)	0.00	0.00	0.00	106866.00	53433.00

42-2505027890203 विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन(विकसित भारत-जी-राम-जी)	0.00	0.00	0.00	73964.00	36982.00
42-2505027960203 विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन(विकसित भारत-जी-राम-जी)	0.00	0.00	0.00	8200.00	4100.00
कुल योग	151179.36	575707.93	625275.64	986747.00	610284.06
मांग सं0-43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग					
43-2203001120004 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन	0.00	0.00	157.50	450.00	157.50
43-2203001050003 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन	0.00	0.00	140.00	400.00	140.00
43-2203000010001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय	0.00	0.00	336.80	1088.52	380.98
43-2203000010002 राज्य तकनीकी शिक्षा पार्षद	0.00	0.00	206.13	594.75	208.16
43-3451000900003 सचिवालय-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	0.00	0.00	170.10	472.91	165.52
43-2203001050001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	8086.93	9446.62	9604.12	28625.10	10018.79
43-2203001120001 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	10891.51	14084.69	14207.19	42549.53	14892.34
43-2203000030101 शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम	116.63	280.00	280.00	400.00	140.00
43-2203000040101 बिहार काउन्सिल आफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना	361.38	1050.00	1225.00	1500.00	525.00
43-2203001050106 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	432.00	700.00	700.00	1800.00	630.00
43-2203001050107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस-सात निश्चय-2	193.55	602.35	602.35	1000.00	350.00

43-2203001120101 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	480.81	875.00	916.29	2300.00	805.00
43-4202021040109 पोलिटैकनिक (निश्चय)	4269.35	4200.00	4200.00	6250.00	2187.50
43-4202021050106 अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)	4615.34	4200.00	4200.00	6250.00	2187.50
43-4202021050107 राजकीय पोलिटैकनिक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस – सात निश्चय-2	1516.20	2372.65	2372.65	3000.00	1050.00
कुल योग	30963.69	37811.31	39318.13	96680.81	33838.28
मांग सं०-44 अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225010010004 वैधिक सहायता	0.00	0.40	0.30	1.00	0.30
44-2225010010001 निदेशन एवं प्रशासन	0.00	0.00	2959.60	10456.02	3136.81
44-2225011970002 छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225011980001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	20.00	20.00	50.00	20.00
44-2225012770002 छात्रावासों का संधारण	389.23	593.62	773.59	2552.34	765.70
44-2225012770003 आवासीय विद्यालय	6866.89	9465.04	9674.30	35361.95	12376.68
44-2225012770007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00
44-2225012770008 पुस्तक अधिकोष की स्थापना	2.33	4.00	3.00	10.00	3.00
44-2225012770009 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.04	0.03	0.10	0.03
44-2225012770011 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	405.47	420.00	915.00	2350.00	705.00
44-2225012770012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	124.68	219.52	206.02	797.68	239.30

44-2225022770001 छात्रवृत्तियां/वृत्तियां	9.85	11.70	11.70	39.00	11.70
44-2225022770003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	32.20	96.22	129.82	361.51	108.45
44-2225022820001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण	55.40	61.24	64.87	233.14	69.94
44-2225022770004 आवासीय विद्यालय	1345.96	1609.47	1894.36	6981.63	2443.57
44-20700000010106 अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	20.00	15.00	50.00	15.00
44-2225010010101 निदेशन और प्रशासन	24.39	30.00	30.00	100.00	30.00
44-2225011020101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.00	15.00	3.84	50.00	15.00
44-2225011020115 महादलित विकास हेतु	19680.00	19717.00	24953.60	49293.00	19717.20
44-2225011970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	2400.00	2842.00	2842.00	7105.00	2842.00
44-2225011980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	3407.17	6970.80	6970.80	17427.00	6970.80
44-2225012770101 शिक्षा	1024.21	735.00	1209.00	2530.00	759.00
44-2225012770107 शिक्षा	17680.69	18880.80	19468.99	31168.00	18700.80
44-2225022770101 शिक्षा	3958.84	1058.40	4374.60	6281.00	3768.60
44-2225012770219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00
44-2225012770221 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1390.06	1500.00	2400.00	8500.00	2550.00
44-2225012770222 अनु० जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	182.44	0.40	0.40	1.00	0.40
44-2225012770319 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	243.00	243.00	243.00	1000.00	300.00

44-2225012770321 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1390.06	600.00	611.16	0.00	0.00
44-2225017930401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
44-2225021020105 अनु० जनजाति विकास हेतु	234.65	234.65	234.65	782.18	234.65
44-2225021020201 अनु० जनजातियों का बहुमुखी विकास –संविधान की धारा 275(01) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	157.20	810.00	765.28	2700.00	810.00
44-2225021020203 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	0.00	150.00	152.18	500.00	150.00
44-2225021970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	160.00	271.20	271.20	678.00	271.20
44-2225021980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	360.00	829.20	829.20	2073.00	829.20
44-2225022770101 शिक्षा	3958.84	2116.80	4374.60	6281.00	3768.60
44-2225022770106 आवासीय विद्यालय	403.77	660.00	660.00	1800.00	540.00
44-2225022770214 अनु० जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	0.00	3.00	2.99	10.00	3.00
44-2225022770216 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	132.99	120.00	150.00	800.00	240.00
44-2225027960125 थरुहठ क्षेत्र विकास	900.00	900.00	900.00	3000.00	900.00
44-2225027960228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समुहों के विकास	0.00	30.00	27.82	0.00	0.00
44-4425001080164 बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास निगम	30.00	120.00	120.00	400.00	120.00
44-2225011020216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई०)	132.99	0.30	150.00	800.00	240.00

44-2225010010102 आवासीय विद्यालय	50.53	54.00	63.42	190.00	57.00
44-2225012770324 अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	351.37	377.60	377.60	1038.00	415.20
44-2225022770316 अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	59.11	80.00	80.00	0.00	0.00
44-2225022770217 अनुसूचित जनजाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	362.00	442.00	910.00	364.00
44-2225022770315 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
44-2225017890201 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)	261.71	2800.00	2100.00	8000.00	2400.00
44-2225021020204 राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई	10.77	0.00	6.18	25.00	7.50
44-2225021020205 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान(पीएमजेएनएमएएन)	0.00	0.00	2.99	10.00	3.00
44-2225022770219 बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	0.00	0.00	102.38	238.00	71.40
44-2225022770218 बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	0.00	0.00	448.24	100.00	30.00
कुल योग	67823.60	75186.40	92189.70	213244.55	87078.04
मांग सं0-46 पर्यटन विभाग					
46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
कुल योग	9121.86	40500.00	42500.00	44200.00	22100.00
मांग सं0-47 परिवहन विभाग					
47-2041001010002 मोटर वाहन पर नियंत्रण	2942.00	4766.02	4820.02	17097.56	5129.27
47-2052000900035 परिवहन विभाग (सचिवालय)	94.61	139.28	148.56	492.41	157.57

47-2041001020001 वाहनों का निरीक्षण	269.74	402.29	433.46	1414.25	424.28
कुल योग	3306.35	5307.59	5402.04	19004.22	5711.11
मांग सं०-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	2250.00	2250.00	2250.00	1000.00	300.00
48-2215011920101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	900.00	900.00	500.00	150.00
48-2215011930101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	300.00	300.00	500.00	150.00
48-2215017890102 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215017960103 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215021910102 नाला निर्माण, सीवररेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	393.60	600.00	1350.00	500.00	150.00
48-2215021920102 नाला निर्माण, सीवररेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	30.00	300.00	300.00	500.00	150.00
48-2215021930102 नाला निर्माण, सीवररेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	30.00	300.00	300.00	500.00	150.00
48-2215027890101 नाला निर्माण, सीवररेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	3752.29	1800.00	2550.00	2500.00	750.00
48-2215011910106 जल जीवन हरियाली अभियान	199.42	99.30	309.28	300.00	90.00
48-2215011920103 जल जीवन हरियाली अभियान	161.60	90.00	285.00	300.00	90.00
48-2215011930102 जल जीवन हरियाली अभियान	28.80	90.00	285.00	300.00	90.00
48-2217011910109 नागरिक सुविधा	662.80	300.00	900.00	500.00	150.00
48-2217011910116 नागरिक सुविधा	194.87	300.00	5550.00	1000.00	300.00

48-2217031920105 नागरिक सुविधा	610.55	600.00	1200.00	500.00	150.00
48-2217031930104 नागरिक सुविधा	292.86	450.00	750.00	500.00	150.00
48-2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	579.00	585.00	585.00	1950.00	585.00
48-2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	76.50	165.00	165.00	590.00	177.00
48-2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	159.00	186.00	186.00	620.00	186.00
48-2217011910115 मु० शहरी नाली-गली पक्की० निश्चय योजना	132.77	300.00	600.00	500.00	150.00
48-2217031930103 मु० शहरी नाली-गली पक्की० निश्चय योजना	625.03	3600.00	4050.00	500.00	150.00
48-2217017890102 मु० शहरी नाली-गली पक्की० निश्चय योजना	44.69	150.00	150.00	500.00	150.00
48-2217037890102 मु० शहरी नाली-गली पक्की० निश्चय योजना	335.91	750.00	750.00	2500.00	750.00
48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	1956.23	3000.00	3000.00	0.00	0.00
48-2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	2572.50	1200.00	1200.00	0.00	0.00
48-5075601900101 पटना मेट्रो रेल	4158.60	0.00	0.00	0.01	0.00
48-5075600510101 पटना मेट्रो रेल	3453.00	0.00	2055.00	499.97	149.99
48-2217011910106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	7.54	22.57	13.54	45.20	13.56
48-2217017890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	4500.00	4500.00	0.02	0.01
48-2217017890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
48-2217017960201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	180.00	180.00	0.02	0.01
48-2217017960301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00

48-2217030510203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	3673.03	34163.98	46375.92	108048.14	32414.44
48-2217030510303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	1306.78	10020.00	14717.45	0.00	0.00
48-2217031910102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	96.74	169.01	107.71	360.00	108.00
48-2217031920102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	196.38	364.45	242.37	806.80	242.04
48-2217031930102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	147.26	264.48	158.69	528.00	158.40
48-2217037890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	1364.41	19254.00	21504.00	51968.42	15590.53
48-2217037890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	454.80	1500.00	3501.12	0.00	0.00
48-2217037960203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	166.49	740.41	888.48	4394.88	1318.46
48-2217037960303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	58.10	204.59	236.52	0.00	0.00
48-2217010510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217030510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण	1325.05	1500.00	2250.00	6999.99	2100.00
48-2217010510201 स्मार्ट सिटी मिशन	3675.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
48-2217010510301 स्मार्ट सिटी मिशन	4350.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00
48-2217030510306 स्मार्ट सिटी मिशन	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2217030510207 स्मार्ट सिटी मिशन	5113.13	3000.00	3000.00	0.00	0.00
48-2217030510307 स्मार्ट सिटी मिशन	5113.13	1200.00	1200.00	0.00	0.00

48-2215021050101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन —निश्चय—2	96.00	15.00	15.00	0.01	0.00
48-2215027890104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन —निश्चय—2	0.00	15.00	15.00	14999.98	4499.99
48-2215027960106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन —निश्चय—2	0.00	15.00	15.00	0.01	0.00
48-2215021070101 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम—सात निश्चय—2	3750.00	2514.00	4014.00	5000.00	1500.00
48-2215027890103 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम—सात निश्चय—2	2700.00	7221.00	7220.99	45000.00	13500.00
48-2215027960105 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम—सात निश्चय—2	1050.00	870.00	870.00	999.98	299.99
48-2215021060302 राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन0आर0सी0पी0)	0.00	0.00	9658.20	5000.00	1500.00
48-2217050010103 क्षमतावर्धन	3.57	60.00	60.00	100.00	30.00
48-2217050010101 ई—गवर्नेन्स	15.00	150.00	159.00	400.00	120.00
48-2217011910105 नगर निगमों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	30.00	200.00	60.00
48-2217031910101 नगर निगमों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	90.00	100.00	30.00
48-2217031920101 नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	142.50	300.00	90.00
48-2217031930101 नगर पंचायतों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	210.00	400.00	120.00

48-2217011910110 शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	0.00	0.00	45.00	15.00	4.50
48-2217050010107 शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	0.00	0.00	225.00	59.94	17.98
48-2217031920106 शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	0.00	0.00	45.00	20.00	6.00
48-2217031930105 शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	0.00	0.00	22.50	5.00	1.50
48-2217010510103 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	0.00	120.00	90.00	0.01	0.00
48-2217050010102 योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217050010104 निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण हेतु	0.00	0.00	195.00	0.01	0.00
48-2217011910122 आवारा कुत्तों के जनसंख्या नियंत्रण हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण	0.00	0.00	576.00	500.00	150.00
48-2217050510103 मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना	0.00	0.00	4500.00	500.00	150.00
48-2217010510104 शहरी क्षेत्र में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना निश्चय-3	0.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00
48-2217030510105 शहरी क्षेत्र में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना निश्चय-3	0.00	0.00	0.00	50000.00	15000.00

48-2217010510105 नये नियोजित शहरों का विकास योजना निश्चय-3	0.00	0.00	0.00	60000.00	18000.00
48-2217030510106 नये नियोजित शहरों का विकास योजना निश्चय-3	0.00	0.00	0.00	120000.00	36000.00
48-2217010510106 शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की योजना निश्चय-3	0.00	0.00	0.00	2000.00	600.00
48-2217030510107 शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की योजना निश्चय-3	0.00	0.00	0.00	8000.00	2400.00
48-2217030510104 मोक्षधाम निर्माण (एन0एच0बी0 पोषित)	0.00	0.00	0.03	0.10	0.03
48-2217011900101 बिहार राज्य आवास बोर्ड को विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217030510103 शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा कराये जाने वाले कार्य	0.00	120.00	90.00	0.01	0.00
48-2217010510202 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन(अमरुत-2.0)	0.00	0.00	0.00	14000.00	4200.00
48-2217030510219 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन(अमरुत-2.0)	0.00	0.00	0.00	8859.00	2657.70
48-2217030510218 सबके लिए आवास (शहरी) 1.0 केन्द्रांश	0.00	0.00	28763.36	66604.50	19981.35
48-2217017890206 सबके लिए आवास (शहरी) 1.0 केन्द्रांश	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
48-2217037890206 सबके लिए आवास (शहरी) 1.0 केन्द्रांश	0.00	0.00	11780.48	33082.56	9924.77
48-2217017960202 सबके लिए आवास (शहरी) 1.0 केन्द्रांश	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
48-2217037960204 सबके लिए आवास (शहरी) 1.0 केन्द्रांश	0.00	0.00	1422.17	6107.90	1832.37

48-2217030510220 सबके लिए आवास (शहरी) 2.0	0.00	0.00	0.00	7000.00	2100.00
48-2217030510221 सबके लिए आवास (शहरी) 2.0	0.00	0.00	0.00	7000.00	2100.00
48-2217030510222 सबके लिए आवास (शहरी) 2.0	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
48-2217030510217 सीआईटीआईआईएस 2.0	0.00	0.00	225.00	2812.50	843.75
48-2235021040112 मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय योजना	0.00	600.00	600.00	2000.00	600.00
48-2217031910113 भू-अर्जन	7235.26	1500.00	18000.00	1500.00	450.00
48-2217030510212 स्वच्छ भारत मिशन-2 शौचालय	4.73	455.00	454.80	3302.25	990.68
48-2217030510309 स्वच्छ भारत मिशन-2	14.18	450.00	450.00	0.00	0.00
48-2217030510213 स्वच्छ भारत मिशन-2	1799.33	4093.20	4093.20	30682.00	9204.60
48-2217030510310 स्वच्छ भारत मिशन-2	1799.33	3600.00	3600.00	0.00	0.00
48-2217030510214 स्वच्छ भारत मिशन-2	4912.95	7998.00	7998.00	65561.75	19668.53
48-2217030510311 स्वच्छ भारत मिशन-2	4912.95	3000.00	3000.00	0.00	0.00
48-2217030510215 स्वच्छ भारत मिशन-2	795.00	1274.00	1273.80	14510.00	4353.00
48-2217030510312 स्वच्छ भारत मिशन-2	530.00	300.00	300.00	0.00	0.00
48-2017030510216 स्वच्छ भारत मिशन-2	314.37	639.60	639.60	6510.00	1953.00
48-2217030510313 स्वच्छ भारत मिशन-2	209.30	300.00	300.00	0.00	0.00
48-2217030510208 अमरुत-2	0.00	31440.00	31440.00	121935.00	36580.50
48-2217030510308 अमरुत-2	0.00	7050.00	7050.00	0.00	0.00
48-2217030510209 अमरुत-2	9.75	1020.00	1020.00	4000.00	1200.00
48-2217030510210 अमरुत-2	0.00	1500.00	1500.00	2000.00	600.00
48-2217030510211 अमरुत-2	12.16	1200.00	1200.00	3000.00	900.00

48-2215021070104 स्टार्म वाटर ड्रेनेज (एन0एच0बी0 पोषित)	0.00	6000.00	5999.99	19999.98	5999.99
48-2215010510101 पेय जलापूर्ति योजना (एन0एच0बी0 पोषित)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-5054053370101 बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने हेतु भूमिगत मार्ग निर्माण योजना ।	1200.00	900.00	2400.00	2000.00	600.00
48-5075600500101 पटना मेट्रो रेल	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-3075601900101 पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0	0.00	0.00	0.00	4500.00	1350.00
48-7075601900101 पटना मेट्रो रेल	9747.00	900.00	21593.10	0.01	0.00
48-3475001080203 दीनदयाल जल आजीविका योजना	0.00	0.00	3710.74	5810.81	1743.24
48-3475007890203 दीनदयाल जल आजीविका योजना	0.00	0.00	750.00	1350.00	405.00
48-3475007960203 दीनदयाल जल आजीविका योजना	0.00	0.00	450.00	839.19	251.76
48-3475001080102 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	0.00	0.00	600.00	180.00
48-3475001080203 दीनदयाल जल आजीविका योजना	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	92486.84	185008.59	321438.56	949379.08	284813.72
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2210061010113 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	4360.00	4587.35	5840.00	1100.00	441.10
51-2235021010106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान	162.00	171.77	210.60	500.00	269.85
51-2235021010119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	1641.33	1802.52	2433.49	4506.30	1802.52
51-2235021010121 मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	140.00	137.68	140.00	400.00	139.20

51-2235021020117 आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	4692.80	0.00	4301.91	0.01	0.00
51-2235021020222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	64947.27	53466.71	65786.22	86559.46	73575.54
51-2235021020223 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	1720.54	4692.00	3707.11	7980.00	3591.00
51-2235021020225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	9602.57	12328.66	22265.56	14587.87	11670.30
51-2235021020227 चाईल्ड हेल्थलाईन (मिशन वात्सल्य स्कीम)	270.97	522.16	564.22	1110.00	555.00
51-2235021020228 गैर संस्थागत देखभाल के परियोजन/पालन पोषण देख-रेख (मिशन वात्सल्य योजना)	634.64	1579.56	2676.50	4342.00	2171.00
51-2235021020229 स्वच्छता कार्य योजना (मिशन वात्सल्य योजना)	3.90	7.80	22.15	80.00	40.00
51-2235021020232 स्वच्छता कार्य योजना (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण-2.0)	2025.87	690.18	651.12	0.02	0.01
51-2235021020322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	47455.12	11255.19	41574.26	0.00	0.00
51-2235021020323 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	3473.31	1767.00	1185.27	0.00	0.00
51-2235021020325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	6408.06	1230.58	14843.71	0.00	0.00
51-2235021020327 आंगनवाड़ी सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2235021020328 गैर संस्थागत देख-भाल के परियोजन/पालन पोषण देख-रेख (मिशन वात्सल्य योजना)	576.10	515.50	315.50	0.00	0.00

51-2235021020329 स्वच्छता कार्य योजना (मिशन वात्सल्य योजना)	2.60	5.20	5.20	0.00	0.00
51-2235021020332 स्वच्छता कार्य योजना (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण-2.0)	1350.58	460.12	434.08	0.00	0.00
51-2235021020333 मिशन वात्सल्य पर राज्य सरकार का अतिरिक्त व्यय	142.93	305.85	413.32	1200.00	600.00
51-2235021040106 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	868.02	805.50	900.00	750.00	225.00
51-2235021040107 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	550.00	504.40	825.00	500.00	275.00
51-2235021060106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	593.62	700.00	836.56	2200.00	880.00
51-2235021060107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	116.00	197.06	197.06	700.00	280.00
51-2235022000103 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	402.50	441.87	455.00	1800.00	630.00
51-2235022000105 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	420.00	426.30	420.00	400.00	280.00
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.57	10.00	10.00	25.00	12.50
51-2235027890103 आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	2643.68	0.00	1792.47	3584.93	1792.47
51-2235027890104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	175.93	254.93	262.50	450.00	157.50
51-2235027890111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	474.69	630.00	836.61	1400.00	630.00
51-2235031010101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	6956.24	2211.49	14499.68	2000.00	1040.00
51-2235031010102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.11	2.05	2.05	5.00	2.05

51-2235031010201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	46574.27	41414.52	41873.52	83526.00	43433.52
51-2235031010202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	1310.29	1371.89	1403.64	3653.00	1534.26
51-2235031010301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	17174.04	6685.90	141298.57	26876.00	13975.52
51-2235031010302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	440.58	410.00	4042.97	800.00	336.00
51-2235031020203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना	18475.94	7191.94	12691.04	13550.04	13279.04
51-2235037890101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2163.70	2057.20	5020.64	1000.00	540.00
51-2235037890103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.24	4.10	4.20	10.00	4.20
51-2235037890201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	9065.62	17106.64	16631.00	33262.00	16631.00
51-2235037890203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	311.98	595.23	580.00	1450.00	580.00
51-2235037890301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	9537.35	11314.60	54636.63	10000.00	5300.00
51-2235037890303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	113.07	164.20	1003.24	400.00	164.00
51-2235037960203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	448.21	2160.06	2160.06	4200.00	2660.06
51-2235037960303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	457.60	462.87	3231.85	1000.00	520.08
51-2235601020104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	12859.51	5689.60	40593.02	20725.00	7461.00

51-2235607890103 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3026.27	3271.52	9602.34	2275.00	819.00
51-2235021020116 परवरिश	8000.00	0.00	986.00	1000.00	500.00
51-2236021010103 पूरक पोषाहार	21081.63	14306.56	27540.34	15389.38	8310.27
51-2236021010203 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)(सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	49384.52	46961.08	53401.55	54614.59	29491.88
51-2236021010303 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)(सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	43767.27	0.00	46502.95	0.00	0.00
51-2236027890204 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)(सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	20960.99	30316.59	30316.59	120212.43	64914.71
51-2236027890304 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)(सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	16399.44	17521.96	17521.96	0.00	0.00
51-2236027960305 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)(सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	5341.64	5580.36	5580.36	0.00	0.00
51-4235021020110 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन	0.00	5300.00	5300.00	10000.00	5300.00
51-4235021020209 किशोर न्याय पर्षद (जे०जे०बी०एस०) (मिशन वात्सल्य योजना)	42.91	1590.00	42.91	130.00	68.90
51-4235021020103 समेकित बाल विकास योजना(नाबार्ड संपोषित योजना)	41.34	0.00	15858.66	10000.00	5300.00
51-4235021020210 सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 (आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का उन्नयन)	2609.82	40.48	1500.00	0.02	0.01
51-4235021020208 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	115.62	1500.00	1500.00	0.02	0.01
51-4235021020308 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	77.08	0.00	1500.00	0.00	0.00

51-4235021020309 किशोर न्याय पर्षद (जे0जे0बी0एस0) (मिशन वात्सल्य योजना)	27.00	26.98	1500.00	0.00	0.00
51-2235022000201 नेशनल एक्शन प्लान फोर ड्रग डिमांड रिडेशन	62.23	195.00	195.00	1100.00	330.00
51-2235021040201 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	112.80	438.30	467.52	1100.00	352.00
51-2235021020105 समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत एम0आई0एस0 हेतु	1011.71	1038.79	1057.28	1125.57	450.23
51-2235021040109 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	93386.41	38750.72	255677.93	81028.00	38083.16
51-2235027890114 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	11438.86	13038.45	41280.65	27773.00	13053.31
51-2235027960125 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	2303.00	2600.76	7201.50	6754.00	3174.38
51-2235021040110 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना	1615.00	1850.50	1900.00	1200.00	456.00
51-2235021010111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रिय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	1.89	10.00	10.00	25.00	12.50
51-2235021020121 बाल सहायता योजना	7.00	4.68	4.68	10.00	5.00
51-2235021020123 आंगनवाड़ी सेवायें (आई0सी0डी0एस0)	73670.33	50922.96	98856.54	48900.10	41565.09
कुल योग	636233.28	433603.87	1138882.27	719269.74	419665.15
मांग सं0-52 खेल विभाग					
52-2202031020033 बिहार खेल विश्वविद्यालय	86.00	118.32	169.04	476.59	238.30
52-2204001010002 शारीरिक शिक्षा	200.49	306.82	464.11	882.02	441.01
52-2204001040012 बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	0.00	0.00	551.68	1213.69	606.85
52-2251000900031 खेल विभाग(सचिवालय)	0.00	0.00	842.24	2210.55	1105.28
52-2202031020033 बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर	0.00	0.00	169.04	476.59	238.30

52-2204001040013 राज्य खेल अकाडमी राजगीर	0.00	0.00	1025.59	1096.79	548.40
52-2204001040011 खेल-कूद	419.03	480.84	1472.15	3195.57	1597.79
52-2204001040109 खेल कूद	6288.50	5653.28	12076.12	12450.00	6225.00
कुल योग	6994.02	6559.26	16769.95	22001.80	11000.90

मांग सं०-53 युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

53-2230030030136 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	26427.00	7928.10
53-2230037890104 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	13256.00	3976.80
53-2230037960124 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	317.00	95.10
53-2230031010106 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	0.00	0.00	2141.79	642.54
53-2230030030133 पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	0.00	0.00	0.00	600.00	180.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	42741.79	12822.54

मांग सं०-54 उच्च शिक्षा विभाग

54-2202031020034 पटना विश्वविद्यालय पटना	0.00	0.00	0.00	36411.46	10923.44
54-2202031020036 मगध विश्वविद्यालय बोधगया	0.00	0.00	0.00	94255.33	28276.60
54-2202031020037 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर(बिहार विश्वविद्यालय)	0.00	0.00	0.00	81753.29	24525.99
54-2202031020038 जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा	0.00	0.00	0.00	47309.43	14192.83
54-2202031020039 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा	0.00	0.00	0.00	53003.12	15900.94
54-2202031020041 बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा	0.00	0.00	0.00	46927.87	14078.36
54-2202031020042 भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर	0.00	0.00	0.00	45143.96	13543.19
54-2202031020043 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा	0.00	0.00	0.00	98990.88	29697.26

54-2202031020044 कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	42435.13	12730.54
54-2202031020046 मौलाना मजहूरुल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय पटना	0.00	0.00	0.00	2108.92	632.68
54-2202031020047 पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना	0.00	0.00	0.00	73385.67	22015.70
54-2202031020048 पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	23444.05	7033.22
54-2202031020049 मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर	0.00	0.00	0.00	22089.49	6626.85
54-2202031020050 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना	0.00	0.00	0.00	1250.00	375.00
54-2202031040006 वित्त संपोषित महाविद्यालय	0.00	0.00	0.00	24976.00	7492.80
54-2202031130102 बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00
54-2202800040128 ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेज	0.00	0.00	0.00	200.00	60.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	694084.60	208225.38
महायोग	3101073.92	4048990.87	6608652.96	11742422.94	4638925.90



बिहार सरकार
वित्त विभाग